₹ 20

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

मई -2015



- सामाजिक न्याय और इस्लाम
  –डॉ॰ फ़रहत हुसैन
- न्याय की मौजूदगी में ही शांति
  –डॉ॰ मुनीश कुमार गयज़ादा
- शांति कुंज में शांति-संदेश
  –डॉ॰ मुहम्मद अहमद
- नैतिक विकास का धर्म इस्लाम
  –विद्या प्रकाश



Shiraz



GOLDEN RESTAURANT



Home Delivery Menu

135, Park Street, Kolkata - 700 017
Phone : 2286-6806, 2286-6795, 2286-7272, 2286-7273
Mob. : 9831599258
shiraz.golden1412@gmail.com

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 24 अंक 11 मई 2015

हमने आदम की संतान को श्रेष्ठता प्रदान की और उन्हें थल और जल में सवारी दी और अच्छी पाक चीज़ों से उन्हें रोज़ी दी । –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

011-26949430, 09818799223

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 20/- विशेषांक रु० 30/-

वार्षिक रु० 220/-, दो वर्ष 425/-

पांच वर्ष 1000/-, आजीवन रु० 5000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–100 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–35 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

ग़ज़ल

आप जो सज़ा भी दें ठीक है, मुनासिब[1] है
हां, मैं एक बाग़ी हूं मेरा क़त्ल वाजिब[2] है

शाइरों से मत पूछो रहनुमाओं से पूछो
रंग क्यों सियासत[3] का शायरी पे ग़ालिब[4] है

बावक़ार[5] रहने को बरक़रार रहने को
जंग भी ज़रूरी है सुलह भी मुनासिब है

लाख इल्म वाला हो, लाख फ़ज़्ल वाला[6] हो
मुअ्तबर[7] नहीं है वो शह का जो मुसाहिब[8] है

मेरी ही कमी है जो उसको मेरे रिश्ते का
एतिराफ़[9] है लेकिन एहतिराम[10] ग़ायिब है

कोसते हैं बेचारे गर्दिशे-ज़माना[11] को
तरहदार[12] लोगों को बस ग़मे-मरातिब[13] है

भूल को बुज़ुर्गों की भूल ही कहा जाए
साथ ही मगर उनका एहतिराम वाजिब है

सच है ऊंचा सुनती हैं ऐ 'हफ़ीज़' सरकारें
कुछ ख़बर नहीं उनको जिनसे तू मुख़ातिब है ।

■ **हफ़ीज़ मेरठी**

1. उचित 2. आवश्यक 3. राजनीति 4. प्रभावी, छाया हुआ 5. इज़्ज़त के साथ 6. बड़ाई वाला 7. विश्वास करने योग्य 8. दरबारी 9. स्वीकृति 10. आदर-सम्मान, इज़्ज़त 11. समय-चक्र 12. माशूक़, छबीले, ख़ूबसूरत 13. मर्तबों का ग़म, प्रतिष्ठाओं की चिंता, मनसबों का ग़म ।



कहां क्या है ?

ग़ज़ल	–हफ़ीज़ मेरठी	3
कुरआन ज्योति		5
अल्लाह का ज़िक्र (हदीस मंजरी)		6
हाशिमपुरा के पीड़ितों को क्या मिल पाएगा न्याय ? (संपादकीय)		7
सूर्य नमस्कार की अनिवार्यता क्यों ? (आपके पत्र)		9
सनातन धर्म-इस्लाम (आस्था)	–अबरार अहमद	13
''शांति कुज'' में शांति-संदेश (सद्भावना)	–डॉ॰ मुहम्मद अहमद	15
न्याय की मौजूदगी में ही शांति (दृष्टिकोण)	–डॉ॰ मुनीश कुमार रायज़ादा	17
हाशिमपुरा तुम भारत से हार गये ! (कही-अनकही)	–प्रशांत सिंह	19
इस्लाम के प्रति ग़लतफ़हमियों का निवारण (विचार)	–डॉ॰ मुहम्मद मज़हर हुसैन	21
अम्मां (कहानी)	–मासूम अंसारी	23
नैतिक विकास और समानता का धर्म इस्लाम (चिंतन)	–विद्या प्रकाश	25
सामाजिक न्याय, समानता और इस्लाम (विशेष आयोजन)	–डॉ॰ फ़रहत हुसैन	26-27
भ्रष्टाचार निवारण की सामाजिक ज़िम्मेदारियां	–संपादन प्रभाग	32
ग़ज़ल	–ऋषि कुमार मिश्र	34
टैगोर की नज़र में राष्ट्रवाद मानवता संहारी	–डॉ॰ सुरेश खैरनार	35
विश्वास और अंधविश्वास (चेतना)	–राधागोविन्द पातर	39
क्यों नहीं कम हो रहे अपराध ? (ज्वलंत सामयिक)	–सी॰ के॰ रहमानी	41
काका मेरा मोबाइल खो गया है (लघुकथा)	–पूरन सिंह	43
सावधान सफ़ाई चालू आहे (व्यंग्य)	–सीताराम गुप्त	44
आर्थिक आज़ादी का आह्वान (अभिमत)	–रोशनलाल अग्रवाल	45
ज़रूरत है सामाजिक एकजुटता की	–सवाई सिंह	47
कहीं और नहीं (कविता)	–डॉ॰ सुरेश उजाला	49
बालवीथी	–विद्या प्रकाश	50



(73) ऐ नबी ![81] अधर्मियों और मुनाफ़िक़ों दोनों का पूरी शक्ति से मुक़ाबला करो और उनसे सख़्ती से निपटो ।[82] अंततः उनका ठिकाना ज़हन्नम है और वह सबसे बुरी ठहरने की जगह है ।

–क़ुरआन, 9 : 73

81. यहां से वे आयतें शुरू होती हैं जो तबूक की लड़ाई के बाद उतरी थीं ।

82. उस समय तक मुनाफ़िक़ों के साथ अधिकतर क्षमा का मामला हो रहा था, और इसके दो कारण थे । एक यह कि मुसलमानों की शक्ति अभी इतनी मज़बूत न हुई थी कि बाहर के शत्रुओं से लड़ने के साथ-साथ घर के 'दुश्मनों' से भी लड़ाई मोल ले लेते । दूसरे यह कि इनमें से जो लोग सन्देहों में पड़े हुए थे, उनको ईमान और विश्वास प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय भी देना था । ये दोनों कारण अब बाक़ी नहीं रहे थे । मुसलमानों की शक्ति अब पूरे अरब को अपनी पकड़ में ले चुकी थी और अरब के बाहर की शक्तियों से संघर्ष का सिलसिला शुरू हो रहा था, इसलिए आस्तीन के इन सांपों का सिर कुचलना अब संभव भी था और ज़रूरी भी हो गया था ताकि यह लोग बाहरी शक्तियों से सांठ-गांठ करके देश में कोई भीतरी संकट न पैदा कर सकें । फिर इन लोगों को पूरे 9 साल तक सोचने-समझने और सत्य-धर्म को परखने का अवसर भी दिया जा चुका था जिससे वे लाभ उठा सकते थे, अगर उनमें वस्तुतः भलाई की कोई तलब होती । इसके बाद उनके साथ और अधिक छूट देने का कोई कारण न था । इसलिए आदेश हुआ कि विधर्मियों के साथ-साथ अब इन मुनाफ़िक़ों के विरुद्ध भी जिहाद शुरू कर दिया जाए और जो नर्म रवैया अब तक इनके मामले में अपनाया जाता रहा है, उसे समाप्त करके अब इनके साथ कड़ा बर्ताव किया जाए ।

मुनाफ़िक़ों के विरुद्ध जिहाद और कड़े बर्ताव से तात्पर्य यह नहीं है कि उनसे युद्ध किया जाए । वास्तव में इससे तात्पर्य यह है कि उनके निफ़ाक़ भरे (कपटपूर्ण) रवैये को जो अब तक अनदेखा किया गया है, जिसके कारण ये मुसलमानों में मिले-जुले रहे और आम मुसलमान उनको अपने ही समाज का एक अंग समझते रहे और उनको जमाअत (समुदाय) के मामलों में हस्तक्षेप करने और समाज में अपने निफ़ाक़ (कपट) का विष फैलाने का अवसर मिलता रहा, उसको आगे के लिए समाप्त कर दिया जाए । अब जो आदमी भी मुसलमानों में शामिल रहकर निफ़ाक़ भरा रवैया अपनाए और जिसके तौर-तरीक़े से भी यह स्पष्ट हो कि वह अल्लाह और रसूल और ईमान वालों का निष्ठावान साथी नहीं है, उसे खुल्लम-खुल्ला बेनक़ाब किया जाए, खुले तौर पर उसकी निंदा की जाए, समाज में उसके लिए आदर और भरोसे का कोई स्थान बाक़ी न रहने दिया जाए, सामाजिक मामलों में कोई संबंध न हो, सामूहिक मशविरों से वह

(शेष पृष्ठ 14 पर)



अल्लाह का ज़िक्र

● हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "जो अपने रब को याद करता है और जो उसे याद नहीं करता उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक जीवित है और एक मृत ।

–बुख़ारी

और मुस्लिम ने इसको इस प्रकार रिवायत किया है कि आपने कहा : "जिस घर में अल्लाह को याद किया जाता है और जिस घर में अल्लाह को याद नहीं किया जाता उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक जीवित है और एक मृत ।"

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "अल्लाह तआला कहता है : मैं अपने बन्दे के गुमान के साथ हूं और जब वह मुझे याद करता है, तो मैं उसके पास होता हूं । यदि वह मुझे अपने दिल में याद करता है, तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूं । और यदि वह मुझे किसी जनसमूह में याद करता है, तो मैं एक ऐसे समूह में उसकी चर्चा करता हूं जो उस बन्दे के समूह से कहीं अच्छा है ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत जाबिर (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को यह कहते हुए सुना : "उत्तम स्मरण है : 'ला इलाह इल्लल्लाह' (अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं)।" –तिरमिज़ी

● हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र (रज़ि॰) से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), इस्लाम के धार्मिक आदेश मेरे लिए बहुत अधिक हैं, तो आप मुझे कोई ऐसी चीज़ बताइए ? जिसे मैं मज़बूती से पकड़ लूं । आपने कहा : "तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह के स्मरण से भीगी रहे ।"

–तिरमिज़ी । तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस 'हसन' है ।

● हज़रत इब्न मसऊद (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "मैं अपने 'मेअराज' (आसमानी यात्रा) के सफ़र में हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) से मिला, तो उन्होंने कहा : ऐ मुहम्मद (सल्ल॰) मेरी तरफ़ से समुदाय को सलाम कहना और उन्हें यह बताना कि जन्नत की मिट्टी बहुत पाक है और उसका पानी बहुत मीठा है और वह एक विस्तृत मैदान है और उसके वृक्ष और पौधे हैं : सुबहानल्लाह, वलहम्दुलिल्लाह, व ला इलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ।' (महान है अल्लाह, और प्रशंसा अल्लाह के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है ।)"

–तिरमिज़ी । तिरमिज़ी ने कहा कि यह हदीस 'हसन' है ।

● हज़रत अबू दरदा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "क्या मैं तुम्हारे कर्मों में तुम्हें ऐसे कर्म न बताऊं ? जो सबसे अच्छा और तुम्हारे मालिक की दृष्टि में सबसे निखरा हुआ है और तुम्हारे दर्जों को बहुत ऊंचा करने वाला है ? और तुम्हारे लिए (अल्लाह के मार्ग में) सोना और चांदी ख़र्च करने से बेहतर है और तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर है कि तुम्हारे अपने शत्रु से मुठभेड़ हो और तुम उनकी गर्दनें मारो और वे तुम्हारी गर्दनें मारें ? सहाबा ने कहा : क्यों नहीं ज़रूर बताएं ? आपने कहा : "अल्लाह तआला को याद करो ।" –तिरमिज़

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

हाशिमपुरा के हिंसा पीड़ितों को क्या मिल पाएगा न्याय ?

हाशिमपुरा (मलियाना-मेरठ) गोली कांड के अस्ली क़ातिलों को 27 साल के बाद आख़िरकार उन लोगों ने बचा लिया है, जो अक्सर अद्ल व इन्साफ़ के विरोधी दिखते हैं और अपने घिनौने स्वार्थ को हासिल करने के लिए सरगर्म रहते हैं। दिल्ली में तीस हज़ारी की एक अदालत ने गत 21 मार्च को 1987 के हाशिमपुरा जनसंहार के सभी 16 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित हाशिमपुरा में पी॰ए॰सी के जवानों ने 42 मुसलमानों की हत्या कर दी थी। यह गोलीकांड पुलिस की बर्बरता, नृशंसता और हैवानियत का जीता-जागता क्रूरतम मामला है, लेकिन राज्य और केन्द्र सरकारों ने इस मुक़दमे में अपनी जिस कारकर्दगी का प्रदर्शन किया है, वह निहायत ही अफ़सोसनाक, निंदनीय और अमानवीय है। अदालत ने कहा कि सबूतों, ख़ासतौर पर आरोपियों की पहचान से जुड़े सबूतों का अभाव था। साथ ही अदालत ने पीड़ितों के पुनर्वास के लिए मामला दिल्ली राज्य विधि सेवा अधिकरण के हवाले कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय जिंदल ने कहा कि सभी आरोपी बरी किये जाते हैं। बरी किये गये लोगों में सुरेश चंद शर्मा, निरंजन लाल, कमल सिंह, बुद्धि सिंह, बसंत बल्लभ, कुंवर पाल सिंह, बुद्धा सिंह, रामबीर सिंह, लीलाधार, हमबीर सिंह, मोकाम सिंह, समीउल्लाह, श्रवण कुमार, जयपाल सिंह, महेश प्रसाद और राम ध्यान शामिल हैं। महेश प्रसाद और कुंवर पाल सिंह के अलावा सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे और ज़मानत पर रिहा हैं। अदालत ने अभियोजन, आरोपी और पीड़ितों के वकील से कुछ स्पष्टीकरण मांगने के बाद पिछली 21 फ़रवरी को शनिवार के लिए फ़ैसला सुनाने की तारीख़ तय की थी। अदालत ने इससे पहले 22 जनवरी को अंतिम दलीलों को सुनने के बाद अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष लोक अभियोजक सतीश टम्टा ने कहा कि प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पी॰ए॰सी॰) के लोग 22 मई को 1987 में आये थे और वहां एक मस्जिद के बाहर एकत्र लगभग 500 लोगों में से तक़रीबन 50 मुसलमानों को उठाकर ले गये। अभियोजन पक्ष ने कहा कि पीड़ितों को आरोपियों ने गोली मार दी और उनके शव एक नहर में फेंक दिये। जनसंहार में 42 लोगों को मृत घोषित किया गया। इस घटना में पांच लोग ज़िंदा बच गये, जिन्हें अभियोजन ने गवाह बनाया। ये पांच गवाह आरोपियों को पहचान नहीं पाये। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग़ाज़ियाबाद के समक्ष 1996 में आरोप पत्र दायर किया गया था। इसमें 19 लोगों को आरोपी के तौर पर नामज़द किया गया था। सुनवाई के दौरान 19 में से तीन आरोपियों की मौत हो गयी। 16 के ख़िलाफ़ 2006 में यहां की अदालत ने हत्या, हत्या का प्रयास, सबूतों के साथ छेड़छाड़ और साज़िश के आरोप तय किये थे। सितंबर 2002 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामला दिल्ली स्थानांतरित किया गया। मामले की जांच करने वाली उत्तर प्रदेश की सी॰बी॰-सी॰आई॰डी॰ ने 161 लोगों को गवाह के तौर पर सूचीबद्ध किया था। मामले में आरोप पत्र 1996 में ग़ाज़ियाबाद के चीफ़ जूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में दाख़िल की गयी थी, लेकिन सितंबर, 2002 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले को दिल्ली हस्तांतरित किया गया।

साल 2006 में आरोपियों के ख़िलाफ़ हत्या, हत्या की कोशिश, सबूतों से छेड़छाड़ और साज़िश रचने के आरोप तय किये गये थे। यह सरकारी आतंकवाद से सीधा जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें सबने पी॰ए॰सी॰ के जवानों को बचाया

ही और इन्साफ़ की राह में बहुत-सी अड़चनें पैदा कर दीं । कांग्रेस, सपा, बसपा–ये सभी एक ही भगवाई रंग में रंगी नज़र आती हैं । हालत इतनी बदतर कर डाली गयी कि मुस्लिम नवजवानों को भूनने वाले जवानों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गयी ! पीड़ितों ने इसके लिए बार-बार गुहार लगायी, किन्तु कोई नतीजा सामने नहीं आया । जो पहले से तय कर लिया गया था कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, वही हुआ । हद तो यह हो गयी कि इस मामले की सुनवाई ही लंबे समय तक ठप रही । जब पीड़ितों ने आर०टी०आई० का सहारा लिया और 24 मई 2007 को लखनऊ पहुंचकर डी०जी०पी० आफ़िस में 615 आर०टी०आई० आवेदन भरे, तब जाकर उन्हें मामले की प्रगति का पता चला ! सितंबर 2007 में उन्हें जो सूचना दी गयी, उसमें यह भी बताया गया कि किसी भी आरोपी जवान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यहां तक कि उनकी वार्षिक विश्वसनीय रिपोर्ट (ACR) में भी कुछ दर्ज नहीं किया गया । उल्लेखनीय है कि इस मामले में 11 साल तक पी०ए०सी० के क़ातिल जवान अदालत में पेश ही नहीं हुए, जो उनके राजनीतिक संरक्षण का खुला सबूत है । मई 2000 में 16 जवानों ने अदालत में सरेंडर किया । दरअस्ल यह मामला भी सीधे सांप्रदायिक सियासत से जुड़ा हुआ है । अप्रैल 1987 में केंद्र की राजीव गांधी सरकार बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था और वहां पूजा-पाठ शुरू कर दिया गया, जिसके चलते माहौल तनावपूर्ण हो गया था । यह तनाव अन्य स्थानों तक पहुंच चुका था । 19 मई 1987 को हापुड़ रोड, गोला कुआं और पलोखड़ी में हिंसा की कुछ घटनाएं घटीं, जिनके कारण हालात और तनावपूर्ण हो गये थे । जैसा की उत्तर प्रदेश में अक्सर देखा गया है कि पी०ए०सी० मुस्लिमकुशी का काम करती है । उसे यहां बुलाया गया । उसने आते ही मुसलमानों को पकड़ना और सताना शुरू कर दिया, मगर इतने से उसकी तबियत न भरी तो मुसलमानों की सामूहिक हत्या का जघन्य प्लान बना डाला गया । भाज़पा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी के आरोपों के मुताबिक़, इस सामूहिक हत्या में कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम की भूमिका थी, जो उस वक़्त गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सुरक्षा राज्य मंत्री थे । स्वामी ने जून 2012 में पत्रकारों से कहा था कि इस सिलसिले में उनके पास पर्याप्त सबूत हैं । उन्होंने कहा कि "चिदंबरम ने मेरठ जाकर एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि 200-300 ऐसे नवजवानों को गोली से उड़ा दो, तो दंगे कभी नहीं होंगे । उस वक़्त सांसद रहीं मुहसिना क़िदवाई उस बैठक की गवाह हैं, लेकिन उन्हें उस बैठक में शामिल होने से जबरन रोक लिया गया था ।" स्वामी ने यह भी कहा था कि इस मामले में वे अदालत में जनहित याचिका दाख़िल करेंगे और जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत की भी शरण लेंगे; लेकिन उन्होंने कुछ न किया । वास्तव में इस मामले की अगर ठीक से पैरवी होती तो इन्साफ़ की अधिक आशा थी । उल्लेखनीय है कि रमज़ान के आख़िरी अशरे में यह निर्मम सामूहिक हत्या की गयी । जुमअतुल विदाअ, 22 मई 1987 को पी०ए०सी० के प्लाटून कमांडर सुरेन्द्र पाल सिंह ने हाशिमपुरा स्थित मस्जिद से बड़ी तादाद में मुसलमानों को पकड़वाया । फिर बच्चे-बच्चियों को अलग करवा दिया । बच गये 43 रोज़ेदार नवजवान, जिनमें ज़्यादातर दिहाड़ी के मज़दूर और बुनकर थे । इन सबको ट्रक में भेड़-बकरियों की तरह भरकर ग़ाज़ियाबाद के मुरादनगर गंग नहर के पास ले जाया गया, जहां सभी को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून डाला गया और लाशों को गंग नहर में फेंक दिया गया । गोली लगने के बाद पांच मुसलमानों की जान बच गयी, जिनमें नसीम आरिफ़, मुजीबुर्रहमान, ज़ुल्फ़िक़ार नासिर और मुहम्मद उस्मान शामिल हैं । ऐसे में वर्षों बाद आये अदालत के फ़ैसले ने हिंसा पीड़ितों समेत सभी इन्साफ़ पसन्द लोगों को अंदर से हिला दिया । हाशिमपुरा हक़्का-बक्का रह गया । कोर्ट से ऐसा फ़ैसला आयेगा, इसकी उम्मीद उन्हें सिरे से नहीं थी । फ़ैसले के बाद लोगों ने सरकार, प्रशासन के ख़िलाफ़ गुस्सा जताया । महिलाएं फूट-फूटकर रोने लगीं । लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि आरोपियों को सख़्त सज़ा मिलेगी । लेकिन उन्हें साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया जाएगा ऐसा किसी ने सोचा तक नहीं था । कुछ लोग मान रहे थे कि कम से कम आजीवन कारावास तो होगा ही । इन्साफ़ की ख़ातिर अब इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करने के सिवा मुसलमानों के सामने अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है ।

सूर्य नमस्कार की अनिवार्यता क्यों ?

मई, 2014 में जब से नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है साम्प्रदायिकता विभिन्न रूपों में व कारणों से विकराल रूप लेने लगी है । वर्तमान में 'लव जिहाद', 'घर वापसी', 'हम सब हिन्दू', 'हिन्दुओं अधिकाधिक बच्चे पैदा करो', 'स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य हो', 'गीता को राष्ट्रीय धार्मिक पुस्तक घोषित करो', 'धर्मान्तरण के विरुद्ध क़ानून बनाओ', 'देश में अल्पसंख्यक कोई नहीं', जैसे नारे बढ़-चढ़कर लगाये जा रहे हैं । दुर्भाग्य तो यह है कि यह सब कुछ विभाजनकारी कृत्य राष्ट्रीय भक्ति, राष्ट्रीय एकता, संस्कृति संरक्षण, वसुदेव कुटुम्बकम की बढ़-चढ़कर बातें करवाने और करने वाले ही कर रहे हैं । ऐसे तत्व भारतवासियों को जाति, समुदाय, धर्म, पूजा पद्यति, आस्था, वर्ग, क्षेत्र आदि के आधार पर बांटकर अपने संकीर्ण स्वार्थों की 'साधना' में लगे हैं ।

राजस्थान में ताज़ा विवाद स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य करने की सरकारी मांग से उत्पन्न हुआ है । जिसके बारे में आर०एस०एस० की हिन्दुवादी विचारधारा से प्रभावित बी०जे०पी० सरकार के द्वारा इसे बच्चों के शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी, सूर्य जो शक्ति का चिन्ह है की पूजा, एक साथ दस योगासनों के अभ्यास, संसार भर में राष्ट्र संघ के माध्यम से योग की उपयोगिता की स्वीकारोक्ति, भारतीय योगियों एवं संस्कृति के सम्मान जैसे तर्क देकर सही ठहराया जा रहा है । जबकि दूसरे पक्ष विशेषत: मुसलमानों के द्वारा इसे अपने धर्म की आस्था एवं मान्यता के विरुद्ध बताकर कड़ा प्रतिवाद किया जा रहा है । उनका मानना है कि इसलाम धर्म में अल्लाह जो संपूर्ण सृष्टि का निर्माता है के अलावा किसी अन्य की पूजा का स्पष्ट निषेध है । उनकी मान्यता के अनुसार सूर्य, चांद, पृथ्वी, हवा, आग, पानी आदि सभी कुछ अल्लाह द्वारा इन्सान की सेवा करने के लिए निर्मित किये गये हैं तो सेवक की पूजा कैसे की जा सकती है ? एक मुस्लिम विद्वान ने उदाहरण देते हुए तर्क रखा कि चपरासी ऑफ़ीसर्स की ख़िदमत के लिए होता है । इसीलिए चपरासी को अफ़सर नमन नहीं करते हैं । उनका कहना है कि अल्लाह के फ़रमान से बढ़कर उनके लिए अन्य कुछ भी नहीं है । उनका विरोध व्यायाम व योगाभ्यास से बिल्कुल नहीं है लेकिन सूर्य नमस्कार के दौरान सूर्य की आराधना संबंधित लोक बोलते हुए उसे नमस्कार करना उनके धर्म के अनुसार उन्हें स्वीकार्य किसी क़ीमत पर नहीं हो सकता है । जिस प्रकार सूर्य नमस्कार समर्थकों द्वारा निराकार की इबादत करना, अपने धर्म स्थल पर जाने से पहले कोहनी से पंजे की ओर पानी से हाथ धोना, व्रत के समय रात को खाना, हर कहीं आसन बिछाकर पूजा कर लेना स्वीकार्य नहीं हो सकता है । भारतीय संविधान ने हर एक व्यक्ति को अपनी आस्था, मर्यादा, मान्यता, सामाजिक स्वीकार्यता और धर्म गुरुओं के निर्देशों के अनुसार धर्म पालना व पूजा अर्चना का अधिकार दिया है तो इस संबंध में किसी को अन्यथा बाध्य किया ही नहीं जा सकता है ।

वैसे भी 'स्कूलों में सूर्य नमस्कार तो होगा ज़ो नहीं करना चाहे नहीं करें' का दावा हर तरह से अहंकार, संकीर्ण सोच, परिणाम के प्रति लापरवाही, संविधान को चुनौती, साम्प्रदायिकता, राजनीतिक लाभ की लालसा आधारित ही माना जाएगा । सामान्य स्कूलों में मुश्किल पांच प्रतिशत बच्चे मुस्लिम समुदाय के होते हैं जो पहले से ही ग़रीबी, अपरिपक्व मानसिकता, समाज की धारा से भटकाव जैसी कुंठाओं से घीरे होते हैं । वे विरोधी होकर सहज रूप से वहां नहीं रह सकते हैं । इससे तो वे अपनी ही स्कूल में और अधिक अलग-थलग पड़ सकते हैं । हर योग गुरु यह ही शिक्षा देता है कि प्रत्येक योगासन ख़ाली पेट ही किया जा सकता है । तब ही तो योगाचार्य रामदेव सहित सभी ऐसे योग प्रशिक्षक टी०वी० चैनल्स पर सूर्योदय के पूर्व ही सामूहिक रूप से योग की शिक्षाएं करते प्रतिदिन नज़र आते हैं, हर योग शिविर प्रात:काल ही लगता है । जिन कुछ अंग्रेज़ी टी०वी० चैनल्स पर मूल या रिपोर्ट योग कार्यक्रम प्रात:काल के अलावा समय में दिखाये जाते हैं उनकी भारतीय संस्कृति के ठेकेदार बने 'योग गुरु' ख़ूब आलोचना करते हैं । तो फिर अब वे चुप क्यों हैं ? जो स्कूलें दो पारियों में चलते हैं या दस बजे प्रारंभ होते हैं वहां तो सूर्य नमस्कार करवाने का

प्रश्न ही नहीं है । भरे पेट वाले बच्चों से ऐसा करवाना तो हर दर्जे का सनकीपन ही माना जाएगा । सूर्य नमस्कार वाला योग प्रदर्शन बहुत कठिन तथा रीढ़ की हड्डी पर ज़ोर डालने वाला होता है, जो पूरी तरह प्रशिक्षित योग गुरु के निरंतर मार्गदर्शन में ही किया जा सकता है । जबकि राजस्थान के स्कूलों के संबंध में तो वास्तविकता यह है कि अधिकांश में पी०टी० तक करवाने वाले शारीरिक शिक्षक नहीं हैं और जहां है वहां उनसे उनके निर्धारित काम के अलावा सब कुछ करवाया जाता है । ऐसी स्थिति की पूर्ण जानकारी शिक्षा मंत्री को भी है लेकिन वास्तव में उन्हें योजना की सफल क्रियांवित से नहीं बल्कि आर०एस०एस० के यहां अपने अंक बढ़ाने से मतलब है । उनकी घोषणा से मीडिया में तर्क, वितर्क, वाद-विवाद, आरोप-प्रत्यारोप होने भर से ही उनका मूल उद्देश्य तो सफल हो गया ।

सरकार को विद्यार्थियों की सेहत का इतना ही ख़याल है तो उसे स्कूलों में खेल के मैदान, इंडोर स्पोर्ट्स, खेल सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, यथानुसार क्लास रूम्स एवं उनमें पंखों आदि की सुविधा, बिजली आपूर्ति की न्यूनतम ज़रूरतों को तो पहले पूरा करना चाहिए । मिड डे मील की क़िस्म को औसत स्तर का तो बनाना ही चाहिए । आज भी ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश स्कूलों में बच्चों को जाति, आर्थिक स्थिति, बौद्धिक स्तर, शरीर के रंग, लिंग आदि के आधार पर भेद का सामना करना पड़ता है, छोटी जाति के कहे जाने वाले बच्चों को स्कूल की सफ़ाई, टॉयलेट, केयर बर्तन मांजने जैसे काम करने पड़ते हैं । कुछ स्कूलों में तो पेयजल के घड़े अलग-अलग रखे जाते हैं, क्लास में उन्हें एक तरफ़ या सबसे अंतिम पंक्ति में बैठाया जाता है, उनके पास 'स्टेनरी, पाठ्य-पुस्तकें' आदि भी पर्याप्त संख्या में नहीं होती है । जाति एवं धर्म सूचक शब्दों से उनका मखोल उड़ाया जाता है । इन परिस्थितियों में परिवर्तन लाये बिना स्कूली बच्चों पर सूर्य नमस्कार, वंदेमातरम्, गीता की शिक्षाओं जैसे बहानों से मानसिक दबाव डालना समाज और राष्ट्र विरोधी कृत्य ही माना जाएगा ।

प्रश्न उठता है सूर्य नमस्कार स्वस्थ शरीर, मानसिक विकास एवं बौद्धिक स्तर के लिए उतना ही उपयोगी है तो स्वेच्छिक रूप से इसे स्कूली एवं व्यक्तिगत स्तर पर बड़े पैमाने पर अभी तक अपना लिया जाना चाहिए था । जबकि सार्वजनिक पार्कों में भी व्याम-विलोम और कपालभाती करने वालों की संख्या तो अच्छी होती हैं लेकिन सूर्य नमस्कार करने वाले अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं । मंत्रियों, बी०जे०पी० पदाधिकारियों, सक्रिय कार्यकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों में एक प्रतिशत भी नियमित रूप से ऐसा नहीं करते हैं । ऐसे में इसके संबंध में सामान्य जागरूकता बढ़ाने के बाद भी आगे की कोई योजना क्रियान्वित करने पर विचार करना ही सही योग हो सकता है ।

प्रो० मानचंद खंडेला

खंडेला हाउस, ठ 14, जवाहरनगर, जयपुर

शाश्वत है पारलौकिक जीवन

'कान्ति' का फ़रवरी 2015 का अंक प्राप्त हुआ । इसमें डॉ० सैयद शाहिद अली का लेख "मृत्यु के पश्चात क्या ?" पढ़ा । मैं लेखक के विचारों से पूर्णतया सहमत हूं । वास्तव में इस दुनिया में पूरा इन्साफ़ होना असंभव है । यदि एक आदमी ने दस लोगों को मार डाला और वह पकड़ा गया और उसे एक बार फांसी पर लटका दिया गया, तो यह पूरा न्याय नहीं है, क्योंकि बाक़ी नौ लोगों को न्याय नहीं मिला । पूरा न्याय तब होता जब उसे दस बार जीवित करके दस बार फांसी पर लटकाया जाता । हिटलर के बारे में तो कहा जाता है कि उसने तो लाखों लोगों की हत्या की और फिर आत्महत्या कर ली, इस प्रकार उन लाखों लोगों को न्याय कहां मिला ?

इस्लाम में मरने के पश्चात जीवन की परिकल्पना पायी जाती है । अर्थात इन्सान को हमेशा-हमेशा के लिए पैदा किया गया है । उसकी ज़िन्दगी के दो हिस्से हैं । पहला हिस्सा थोड़े समय के लिए और इम्तिहान के लिए है । दूसरा हिस्सा मरने के बाद की ज़िन्दगी है, जो कि कभी ख़त्म होने वाली नहीं है । ज़िन्दगी के दूसरे हिस्से में ज़िन्दगी के पहले हिस्से में किये गये कर्मों के अनुसार सज़ा या इनाम मिलेगा ।

जिसने ज़िन्दगी के पहले हिस्से में ईमान लाकर नेक कर्म किये, उसे ज़िन्दगी के दूसरे हिस्से में इनाम के तौर पर जन्नत मिलेगी, जहां उसे कोई कष्ट नहीं होगा तथा सभी प्रकार का ऐशोआराम भोगने को मिलेगा, जबकि जिसने ज़िन्दगी के पहले हिस्से में बुरे कर्म किये, उसे ज़िन्दगी के दूसरे हिस्से में सज़ा के तौर पर जहन्नम में डाला जाएगा, जहां उसे कभी ख़त्म न होने वाले कष्टों से दो-चार होना पड़ेगा ।

हम देखते हैं कि दुनिया में जो इन्सान बुरे कर्म करता है वह खूब ऐश करता है और जो इन्सान नेक कर्म करता है, वह परेशानी से ग्रस्त रहता है । अत: एक लोक अवश्य ऐसा होना चाहिए जहां नेक लोगों को उनकी नेकी का और बुरे लोगों को उनकी बुराई का बदला मिले । यह एक बुद्धिसंगत बात है । वैसे भी दुनिया का नियम है कि यहां कोई चीज़ मिटती नहीं, वरन् उसका रूप बदल जाता है । इसी प्रकार मृत्यु के उपरांत भी इन्सान का व्यक्तित्व शेष रहता है, लेकिन रूप बदल जाने के कारण हमें इसका आभास नहीं होता है । इन्सान दुनिया में जो कर्म करता है, वे सब अल्लाह के यहां एक खुली किताब में दर्ज हैं । यह ऐसी किताब है कि इन्सान की छोटी-बड़ी कोई हरकत ऐसी नहीं है, जो इसमें अंकित न हो ।

इन्सान के कर्मों के फ़ैसले वाले दिन को क़ियामत का दिन भी कहा जाता है । इस दिन हर इन्सान को अपनी कमाई हुई नेकी या बुराई का पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा और किसी पर हरगिज़ ज़ुल्म न होगा । जिसने कण भर भी नेकी की होगी, वह उसे देख लेगा और जिसने कण भर भी बुराई की होगी वह उसे देख लेगा । क़ुरआन में है–

"उस दिन के अपमान और मुसीबत से बचो जबकि तुम अल्लाह की ओर वापस होंगे, वहां हर इन्सान को अपनी कमाई हुई नेकी या बुराई का पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा और किसी के साथ हरगिज़ ज़ुल्म न होगा ।"

(क़ुरआन, 2:281)

अत: इन्सान का वर्तमान जीवन उसकी परीक्षा का जीवन है । एक दिन इन्सान अवश्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तथा उसे पुनर्जीवित किया जाएगा और उसके कर्मों के अनुसार उसे बदला दिया जाएगा । इसी को आख़िरत कहते हैं तथा आख़िरत का जीवन ही शाश्वत है ।

अबरार अहमद (लाखेरी वाले)

जे०पी० कॉलोनी, रंगपुर रोड, कोटा, राजस्थान

मुस्लिम आरक्षण

देश की स्वतंत्रता के बाद से ही मुस्लिम समाज की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही है । एक प्रकार से उन्हें हाशिये पर रखा गया है । जिस कारण उनमें उच्च शिक्षा की कमी तथा सभी शासकीय सेवाओं के साथ उनमें अच्छे रोज़गार की कमियां भी दिखायी दे रही हैं । सच्चर कमेटी जैसे अन्य कमेटियों ने मुसलमानों के उत्थान के लिए सिफ़ारिशों की सूचियां केन्द्र सरकार के समक्ष पेश की थीं । लेकिन अब तक उन पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया । आरक्षण के मुद्दे पर वर्तमान सरकार तो पहले से ही मुसलमानों को 4.5 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के विरोध में रही है । ऐसी स्थिति में इस सरकार से क्या अपेक्षाएं की जा सकती हैं । अब कम से कम मुस्लिम बुद्धिजीवियों के दलों को प्रत्येक राज्य सरकारों से मिलकर आरक्षण के संबंध में अपनी मांगों को लिखित रूप से रखने में किसी तरह की देरी नहीं करना चाहिए । उन्हें आरक्षण के लाभ हेतु विभिन्न विधानसभाओं में संबंधित प्रस्ताव को पारित करवाने का प्रयास भी करना चाहिए ताकि आगे किसी भी तरह का व्यवधान न आने पाये और मुसलमानों को आरक्षण का पूरा-पूरा फ़ायदा मिल सके । राज्य एवं केन्द्र सरकार को भी चाहिए कि वे मुसलमानों के उत्थान हेतु नीतियों में आवश्यक परिवर्तन करने में निष्पक्ष होकर सफल भूमिका निभाए ।

डॉ० एम०ए० रशीद

नागपुर

दुर्घटना का कारण

दुर्घटनाओं में चालक के सिर को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए हेलमेट की अनिवार्यता अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती है, जबकि दुर्घटनाओं से जुड़े कारणों को दूर नहीं किया जाता । आमतौर पर सड़क दुर्घटनाएं सड़कों पर गड्डे, भीड़भाड़, अतिक्रमण तथा रात में विपरीत दिशा से आने वाले वाहन चालक पर तेज़ प्रकाश डालने से हुआ करती हैं । कभी चालक द्वारा शराब सेवन कर गीत आदि सुनते हुए वाहन चलाना भी दुर्घटना का कारण बनता है । ऐसे मामलों में यातायात पुलिस एवं पुलिस द्वारा चौराहों तथा आकस्मिक निरीक्षण कर दोषियों के लाइसेंस ज़ब्त करना चाहिए, ताकि दोषी चालकों के हौसले बुलंद न हो सकें जो दुर्घटनाओं को न्योता देते रहते हैं । इस प्रकार हेलमेट की ज़िद समाप्त कर यातायात विभाग को निस्वार्थ होकर साफ़-सुथरी यातायात नीति बनानी चाहिए ताकि दुर्घटनाएं ही न हो सकें तथा सिर के साथ-साथ ही पूरे शरीर को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके ।

मलिक

नागपुर

OUR PUBLICAITON IN BENGALI

FOR DAWAH WORK

Pavitra Quran (Bengali)	S. A. Ala Moududi	180/-
Islam Parichity	S. A. Ala Moududi	25/-
Islamer Jivn Paddhati	S. A. Ala Moududi	15/-
Tawhid Resalat O P. Jivan	S. A. Ala Moududi	15/-
Shanti Path	S. A. Ala Moududi	7/-
Ekmatra Dharma	S. A. Ala Moududi	10/-
Islamer Paigam	S. A. Ala Moududi	5/-
Bhanga O Gara	S. A. Ala Moududi	7/-
Islamer Naitik Dristikon	S. A. Ala Moududi	10/-
Islam O Nari	Mohd. Qutub	6/-
Pardah Ekti Bastav Prayojon	Shamsunnahar Nizami	15/-
Quraner Talaq O Tin Talaq	Nurul Islam Khan	10/-
Purdah O Islam	S. A. Ala Moududi	75/-
Swami Strir Adhikar	S. A. Ala Moududi	50/-
Arthanaitik Samasyar	S. A. Ala Moududi	10/-
Ek Mahat Jivan	A.S.M. abdul Hai	66/-
Adarsha Manab	S. A. Ala Moududi	6/-
Nabi Jivaner Baishishtya	S. A. Ala Moududi	7/-
Muha. (S) : Islamer Vartabahak	R. Rao	12/-
Islam O V ishwer Bhabishyat	Dr. M.W. Hoffman	7/-
Ahwban (Appeal)	Ali Nasim Hejaji	15/-
Nari : Islamer Dristete	Al Bahi Al-Khawli	90/-

Bangla Islami Prakashani Trust
27B, Lenin Sarani, Kolkata-700 013
Email : mizanweekly@gmail.com

सनातन धर्म–इस्लाम

❖ अबरार अहमद
(कोटा, राज॰)

सनातन धर्म की शुरुआत होती है–हज़रत आदम (अलैहि॰) से । अल्लाह ने उन्हें सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया, फिर उनके पुतले में जान फूंक दी । फिर उनकी पस्ली से हज़रत हव्वा को पैदा किया । दोनों जन्नत में रहने लगे । फिर शैतान ने उन्हें बहकाकर जन्नत से निकलवा दिया । तब दोनों पति-पत्नी ने अल्लाह से क्षमा-याचना की । अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया तथा उन्हें धरती पर भेज दिया । इस प्रकार इन्सान पहली बार इस धरती पर आया ।

अल्लाह ने हज़रत आदम (अलैहि॰) और हज़रत हव्वा से काफ़ी मर्द और औरत इस धरती पर फैला दिये । अल्लाह ने आदम (अलैहि॰) को न केवल माफ़ कर दिया, बल्कि उन्हें अपना पहला नबी भी चुन लिया ।

इस प्रकार सतानत धर्म का प्रारंभ हुआ हज़रत आदम (अलैहि॰) के बाद भी अल्लाह ने अलग-अलग इलाक़ों, अलग-अलग क़ौमों में अपने नबियों को भेजना जारी रखा ।

हज़रत आदम (अलैहि॰) के बाद जो भी नबी दुनिया में आये, उन्होंने यही शिक्षा दी कि केवल और केवल एक अल्लाह की बन्दगी करो, उसी से डरो और उसके नबी की आज्ञा का पालन करो ।

अधिकतर लोग अनजाने में समझते हैं कि इस्लाम एक नया धर्म है, जो हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) का चलाया हुआ है । यह उनकी भूल है, दरअस्ल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने उसी सनातन धर्म को आगे बढ़ाया, जो सदा से सत्य-प्रिय व्यक्तियों और नबियों का धर्म रहा है ।

यह अलग बात है कि अलग-अलग समयों तथा अलग-अलग भाषाओं में इस धर्म का नाम कुछ भी रहा हो । हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने इस्लाम धर्म को नहीं चलाया है, बल्कि वे तो अल्लाह के आख़िरी नबी हैं ।

"(लोगो) मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, मगर वे अल्लाह के रसूल और नबियों के समापक (आख़िरी नबी) हैं ।" (क़ुरआन, 33:40)

चूंकि हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) का जन्म अरब में हुआ, इसलिए आप पर जो ग्रंथ (क़ुरआन) अवतरित हुआ उसकी भाषा अरबी है । क्योंकि–

"अगर हम इसको ग़ैर-अरबी क़ुरआन बनाकर भेजते तो ये लोग कहते, "क्यों न इसकी आयतें खोलकर बयान की गयीं ? क्या ही अजीब बात है कि कलाम ग़ैर-अरबी है और सुनने वाले अरबी ।" (क़ुरआन, 41:44)

अल्लाह के अन्य ग्रंथों पर भी यही बात लागू होती है । ग्रंथ उसी भाषा में उतारा जाता है, जो कि उस क़ौम की भाषा होती है ।

अलग-अलग समयों में कर्मकांडों में अवश्य अंतर आया, परन्तु धर्म की मौलिक शिक्षाओं में कभी अन्तर नहीं आ सका ।

धर्म का अस्ल संबंध मानवीय स्वभाव से है । जब मानव स्वभाव और मानवीय प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता है, तो धर्म की मौलिक और उसकी बुनियादी शिक्षाएं कैसे बदल सकती हैं ?

अल्लाह की ओर से जितने भी नबी आये, सबने एक अल्लाह की उपासना और उसके आदेशों के पालन की शिक्षा दी । क़ुरआन में कुछ नबियों के नाम दिये गये हैं, तथा कुछ के नहीं । उदाहरणार्थ–

"ऐ नबी, हमने तुम्हारी ओर उसी तरह प्रकाशना भेजी है जिस तरह नूह और उसके बाद के पैग़म्बरों की ओर भेजी थी । हमने इबराहीम, इसमाईल, इसहाक़, याक़ूब और याक़ूब की संतान, ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान की ओर प्रकाशना भेजी । हमने दाऊद को ज़बूर दी ।" (क़ुरआन, 4:163)

सभी ने लोगों को इधर-उधर भटकने के बजाए इस बात की ओर बुलाया कि वे अल्लाह के नबियों के दिखाए

हुए मार्ग पर चलें। अर्थात एक ही अल्लाह की बन्दगी करें।

"हमने हर समुदाय में एक रसूल भेज दिया, और उसके द्वारा सबको सूचित कर दिया कि "अल्लाह की बन्दगी करो और बढ़े हुए अवज्ञाकारी (ताग़ूत) की बन्दगी से बचो।" (कुरआन, 16:36)

सभी नबियों ने अल्लाह की ओर से इन्सानों को सूचित किया कि जीवन केवल सांसारिक जीवन नहीं है, बल्कि मौत के बाद एक समय आएगा जब सारे अगले-पिछले लोग अल्लाह के समक्ष एकत्र किये जाएंगे और उन्हें उनके भले-बुरे कर्मों का फल दिया जाएगा।

"वह दिन आने वाला है जब व्यक्ति अपने किये का फल मौजूद पाएगा, चाहे उसने भलाई की हो या बुराई।" (कुरआन, 3:30)

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने धर्म की इन्हीं शिक्षाओं को मानव के समक्ष रखा जिनको पहले के नबियों ने प्रस्तुत किया था। इस्लाम कोई नवीन धर्म नहीं है। तथा न ही हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) किसी विशेष वर्ग या जाति के पथ प्रदर्शक हैं, बल्कि उन्हें सारी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजा गया है।

"ऐ नबी हमने तो तुमको दुनिया वालों के लिए दयालुता बनाकर भेजा है।" (कुरआन, 21:107)

"बहुत ही बरकत वाला है वह जिसने यह फ़ुरक़ान (कसौटी) अपने बन्दे पर अवतरित किया ताकि जहान वालों के लिए सावधान कर देने वाला हो।" (कुरआन, 25:1)

"और ऐ नबी हमने तुमको सारे ही इन्सानों के लिए शुभ-सूचना देने वाला और सावधान करने वाला बनाकर भेजा है, मगर ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं।" (कुरआन, 34:28)

क्योंकि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) अल्लाह के आख़िरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। इस कारण हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर अवतरित ग्रंथ कुरआन को पूर्णनतया सुरक्षित कर दिया गया है।

"रहा ये ज़िक्र, तो इसको हमने उतारा है और हम खुद इसके रक्षक हैं।" (कुरआन, 15:9)

अतः इस्लाम एक सनातन धर्म है। हज़रत आदम (अलैहि०) जो मानव जीवन की आधारशिला हैं, अल्लाह के पहले नबी हैं तथा हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) अल्लाह के आख़िरी नबी हैं।

क़ुरआन ज्योति

(पृष्ठ 5 का शेष)

अलग रखा जाए, अदालतों में उसकी गवाही अमान्य हो, पद और ओहदों का द्वार उसके लिए बन्द रहे, सभाओं में उसे कोई मुंह न लगाए, हर मुसलमान उससे ऐसा बर्ताव करे जिससे उसको स्वयं मालूम हो जाए कि मुसलमानों की पूरी आबादी में कहीं भी उसका सम्मान नहीं और किसी दिल में भी उसके लिए आदर का कोई अंश नहीं। फिर अगर उनमें से कोई व्यक्ति खुला विद्रोह कर बैठे, तो उसके अपराध की लीपापोती न की जाए, न उसे क्षमा किया जाए, बल्कि सबके सामने उस पर मुक़दमा चलाया जाए और उसे समुचित सज़ा दी जाए।

यह एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्देश था जो इस मरहले पर मुसलमानों को दिया जाना ज़रूरी था। इसके बिना इस्लामी समाज को गिरावट और पतन के भीतरी कारणों से बचाए नहीं रखा जा सकता था। कोई जमाअत (समुदाय) जो अपने भीतर मुनाफ़िक़ों और ग़द्दारों को पाल-पोस रही हो और जिसमें घरेलू सांप, मान-सम्मान और सुरक्षा के साथ आस्तीनों में बिठाये जाते हैं, नैतिक गिरावट और अंत में पूरी तबाही का शिकार हुए बिना नहीं रह सकती। निफ़ाक़ का हाल प्लेग जैसा है और मुनाफ़िक़ वह चूहा है जो इस महामारी के कीटाणु लिए फिरता है। उसको आबादी में स्वतंत्रतापूर्वक चलने-फिरने का अवसर देना मानो पूरी आबादी को मौत के ख़तरे में डालना है। एक मुनाफ़िक़ को मुसलमानों के समाज में मान-सम्मान का पद प्राप्त होने का अर्थ यह है कि हज़ारों आदमी विद्रोह और निफ़ाक़ पर निडर हो जाएं और यह विचार आम हो जाए कि इस समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए निष्ठा, हितैषिता और ईमानी सच्चाई कुछ आवश्यक नहीं है, बल्कि ईमान के झूठे प्रदर्शन के साथ ख़ियानत और बेवफ़ाई का रवैया अपनाकर भी यहां आदमी फल-फूल सकता है। यही बात है जिसे नबी (सल्ल०) ने इस छोटे-से तत्वदर्शितापूर्ण वाक्य में वर्णन किया है कि "जिस आदमी ने किसी बिदअती (धर्म में कोई नयी बात निकालने वाले) का मान-सम्मान किया, वह वास्तव में इस्लाम की इमारत ढाने में सहायक हुआ।"

''शांति कुंज'' में शांति-संदेश

❖ डॉ॰ मुहम्मद अहमद

सन 1911 में गायत्री समाज के संस्थापक आचार्य श्रीराम शर्मा का जन्म सनाढ्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पं॰ मदन मोहन मालवीय ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया और मंत्र-दीक्षा दी। शर्मा जी देश की स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान कई बार जेल गये। उन्होंने जिस सुधार आन्दोलन की शुरुआत की थी, वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही अपना आधार मज़बूत कर सका, ख़ासकर 1958 में मथुरा में गायत्री यज्ञ के ज़रिये इसका उल्लेखनीय प्रसार हुआ। इस यज्ञ में कहते हैं कि चार लाख लोगों ने भाग लिया। हिन्दू धर्म की उदार एवं वैज्ञानिक व्याख्या की कोशिश ने उन वर्णों व जातियों को भी गायत्री समाज के क़रीब किया, जो सदियों से उपेक्षा और शोषण के शिकार रहे थे। इससे भी गायत्री समाज के प्रति जन-सहयोग एवं उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता चला गया।

गायत्री समाज का दर्शन

गायत्री समाज ऋग्वेद (3:62:10) के गायत्री मंत्र को अपना मूलदर्शन मानता है। यह मंत्र अन्य वेदों सामवेद, उत्तरार्चिक (13-33), यजुर्वेद (3:35, 30:2 और 36:3) में भी आया है। इसमें कुल 24 अक्षर हैं, लेकिन गायत्री समाज व्याहृति प्रयोग करते हुए 27-28 अक्षरवाला मंत्र बना देता है। अत: ''ॐ भू: भुव: स्व:'' की वृद्धि कर देता है। कहते हैं कि यह मंत्र क़ुरआन की सूरह फ़ातिहा के भावार्थ से मिलता-जुलता है। जनाब साबिर अबोहरी उर्दू पत्रिका ''हमारी ज़ुबान'' (8 मई 1994, पृ॰ 6) में कुछ ऐसा ही ख़याल ज़ाहिर करते हैं। डॉ॰ मुहम्मद हनीफ़ शास्त्री ''महामंत्र गायत्री एवं सूरह फ़ातिहा'' विषय पर रचे हुए अपने शोध-प्रबन्ध में इस मंत्र को सूरह फ़ातिहा के निकट भावार्थ वाला बताया है। यह भी कहा जाता है कि अल्लामा इक़बाल की ''आफ़ताब'' शीर्षक नज़्म गायत्री मंत्र के भावार्थ से मेल खाती है। पाठकों की जानकारी के लिए यह नज़्म अद्योलिखित प्रस्तुत है–

ऐ आफ़ताब रूह ख़ाने जहां है तू,
शीराज़ा बन्द दफ़्तरे क़ौनोमकां है तू।
बाइस है तू जूदो अदम की नमूद का,
है सब्ज़ तेरे दम से चमन हस्तोबूंद का।
क़ायम यह उन्सुरो का तमाशा तुझी से है,
हर शै में ज़िन्दगी का तक़ाज़ा तुझी से है।
हर शै को तेरी जलवागरी से सबात है,
तेरा यह सोज़ोसाज़ सरापा हयात है।
को आफ़ताब जिससे ज़माने में नूर है,
दिल है, ख़िरद है, रूहे रवा है, शऊर है।
ऐ आफ़ताब ! हमको ज़िया-ए-शऊर दे,
चश्मे ख़िरद को अपनी तजल्ली से नूर दे।
है महफ़िले वजूद का सामां तराज़ तू,
यज़दाने साकिनाने नशेबोफ़राज़।
तेरा कमाले हस्ती हर जानदार में,
तेरी नमूद सिलसिला-ए-कोहसार में।
हर चीज़ की हयात का परवरदिगार तू,
जाइदगाने नूर का है ताजदार तू।
न इब्तिदा कोई, न कोई इंतिहा तेरी,
आज़ाद क़ैदे अव्वलो आख़िर ज़िया तेरी।

अर्थात, ऐ सविता (परमसत्ता) तू ही जीवन के स्पंदन का मूल है। तू ही इस संसार को संचालित करने वाला है, लोक-परलोक का विधाता, पंच-तत्वों में प्राण डालने वाला है। प्रत्येक वस्तु तेरे प्रकाश से प्रकाशित और गतिवान है। तू ही वह दैदीप्यमान सूर्य है, जिसका प्रकाश सबमें व्याप्त है चाहे बुद्धि हो या हृदय हो। ऐ सूर्य ! हमको सद्बुद्धि और अपने प्रकाश (नूर) की आभा का ज्ञान प्रदान कर। तू ही सृष्टि के मूल का कारण है और यहां रहने वालों की स्थिति का पूर्ण ज्ञाता भी। पर्वत में, हर जानदार में, सृष्टि के कण-कण में तू ही व्याप्त है। तू सबका पालनहार है। सब तेरे ही प्रकाश से प्रकाशित है। तू आदि-अंत के बंधन से परे, सदा से प्रकाशित है।

सत्य-धर्म अनेक नहीं

निस्संदेह सत्य धर्म एक है, जिसे संसार का पालनहार मानव-कल्याण और उसके मार्गदर्शन के लिए विभिन्न समयों और विभिन्न देशों व भू-भागों में अपने पैग़म्बरों एवं नबियों द्वारा भेजता रहा और जिसे अंतिम व पूर्ण रूप में, तमाम इन्सानों को सन्मार्ग दिखाने के लिए अपने अंतिम नबी

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) द्वारा अवतरित किया । यही धर्म अर्थात इस्लाम अब संसार में एक ही प्रामाणित और अल्लाह का मान्यता प्राप्त धर्म है । ऐसे में अन्य धर्मों की शिक्षाओं में सत्यता और साम्यता का पाया जाना कोई अचरज एवं असंभव बात नहीं, लेकिन यह भी एक सच्चाई है, जिसका इन्कार नहीं किया जा सकता । वह यह कि नबियों की शिक्षाओं में विकृति आने के कारण ही अंतिम रूप से हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के ज़रिये सत्य-धर्म को पुनः स्थापित किया गया । इस प्रकार इस्लाम धर्म की शिक्षाएं ही सत्य शिक्षाओं को जानने-समझने की कसौटी है । इनसे हटाकर हम इस बात का फ़ैसला नहीं कर सकते कि कौन सही है और कौन ग़लत ? क्या यथार्थ है और क्या मिलावट ?

बातचीत स मालूम हुआ

स्पष्ट है कि सत्य-धर्म इन्सान का अभीष्ट है । इस पर चलकर ही वह ईश-प्रसन्नता और परलोक-कल्याण प्राप्त कर सकता है । जमाअत इस्लामी हिन्द सत्य-मार्ग की ओर सारे इन्सानों को बिना किसी भेदभाव के बुलाने और उनकी जिन्दगियों व आचार-विचार में शांतिमय एवं रचनात्मक तरीक़ों के द्वारा सुधार लाने के लिए प्रयासरत संगठन है । इसके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुहम्मद सिराजुलहसन का हरिद्वार स्थित ''शांतिकुंज'' जाना हुआ, जो वर्तमान में गायत्री समाज का मुख्यालय है । मौलाना के साथ एक शिष्टमंडल भी गया था, जिसमें मैं भी शामिल था । हम लोग जब 17 दिसम्बर 1997 को कड़ाके की ठंड में ''शांतिकुंज'' पहुंचे, तो आशा के अनुरूप गायत्री समाज को बनाने-संवारने में लगे महानुभावों ने अपने उदार एवं उदात्त व्यक्तित्व का परिचय देकर ठंड के एहसास को दरकिनार करने के लिए विवश कर दिया । बातचीत में गायत्री समाज की रूपरेखा और स्पष्ट हुई । इसके प्रमुख विचारक पं० वीरेश्वर उपाध्याय ने गायत्री समाज का परिचय कराया और हमारे प्रश्नों के उत्तर भी दिये । हमारी ओर से पेश की गयी इस्लामी शिक्षाओं को उन्होंने और गायत्री समाज के दूसरे महानुभावों ने सुना ।

उपाध्यायजी यह मानते हैं कि ईश्वर की शिक्षाएं एक हैं, लेकिन उन्हें बरतने के मार्ग अलग-अलग हैं । वे पैग़म्बरी की धारणा को भी स्वीकार करते हैं एवं ईमान को इन्सान की सबसे क़ीमती चीज़ बताते हैं, पर धर्म के स्थान पर आध्यात्मिकता पर अधिक ज़ोर देते हैं । बीच-बीच में इस्लाम की शिक्षाओं का भी उल्लेख करते हैं । अपनी बातों की पुष्टि में कुछ उदाहरण भी देते हैं, इस बात की परवाह किये बिना कि कुछ मिसालें बेमेल हो जाती हैं । लेकिन सद्भाव और सहिष्णुता का प्राचीन हिन्दू दर्शन उनकी बातचीत एवं शांतिकुंज परिसर में अवश्य दिखायमान होता है । इस मौक़े पर जमाअत इस्लामी हिन्द के तत्कालीन प्रमुख ने अपने उद्बोधन में साम्प्रदायिक सद्भाव क़ायम करने, शांतिपूर्ण और न्यायपरक समाज के निर्माण एवं उसे भय (ईशभय को छोड़कर), भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए प्रयास करने पर बल दिया ।

पुस्तकें क्या कहती हैं ?

किसी भी विचारधारा का सही परिचय उसके साहित्य से प्राप्त किया जा सकता है । जहां तक गायत्री समाज का संबंध है, तो यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि वह एक सुधार आन्दोलन है, इस प्रकार का कि देखने में तो मालूम होता है कि वहां सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु एवं तितिक्षा-भाव है, जैसी कि प्राचीन हिन्दू संस्कृति की ख़ास विशेषता है, लेकिन उसके साहित्य बताते हैं कि दूसरे धर्मों के अनुयायियों के प्रति उसका एक विशेष क़िस्म का आग्रही-भाव है, जिसकी बहरहाल सराहना नहीं की जा सकती । युग निर्माण योजना द्वारा प्रकाशित ''मुस्लिम धर्मानुयायियों का अनुकरणीय चिंतन व चरित्र'' शीर्षक पुस्तिका में ''दो शब्द'' लिखते हुए योजना के व्यवस्थापक श्री लीलापत शर्मा कहते हैं–''अब आवश्यकता है कि मुसलमान इंडोनेशिया के मुसलमानों का अनुकरण करते हुए इस देश की मुख्यधारा में बहना आरंभ करें ।'' यहां इंडोनेशिया के मुसलमानों के हवाले से क्यों बात की जा रही है ?

पुस्तिका के शीर्षक में ''मुस्लिम धर्मानुयायियों'' भी आया है, जबकि दुनिया में सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म है, मुस्लिम धर्म नहीं । दूसरी बात यह कि इस्लाम धर्म ही सत्य-धर्म है । इसकी शिक्षाएं ही मानव के लिए कल्याणकारी और पारलौकिक सफलता प्रदान करने वाली हैं । फिर यह कहना कि मुसलमान इस्लामी शिक्षाओं से परे किसी देशवासियों का अनुकरण करें, कितनी अविवेकपूर्ण और दुराग्रहपूर्ण बात है । यह कहना नितांत उचित होगा कि मुसलमान अपने जीवन में इस्लामी शिक्षाओं को समुचित रूप से अमल में लाएं, ताकि सत्य-शिक्षाओं का ठीक से प्रसार हो सके और उनकी भी लौकिक एवं पारलौकिक सफलता सुनिश्चित हो सके । यही देश की अस्ली मुख्यधारा है, क्योंकि यह देश किसी एक धर्म, संस्कृति और सभ्यता वाला देश नहीं है ।

न्याय की मौजूदगी में ही शान्ति

■ डॉ॰ मुनीश कुमार रायज़ादा

वर्तमान में भी विश्व विभिन्न प्रकार के संघर्षों, हिंसा, भेदभाव व असमानता से त्रस्त है । ऐसे में, डॉ॰ मार्टिन लूथर किंग ने अपने अहिंसा के सिद्धांतों व आध्यात्मिक शिक्षाओं का प्रयोग कर अमेरिका में सफलतापूर्वक नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया था । उनका कहना था कि 'वास्तविक शांति हिंसा की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि न्याय की मौजूदगी में है ।'

अमेरिका में अश्वेतों द्वारा निष्पक्षता, समानता और गरिमा की मांग को लेकर किया गया लंबा संघर्ष वास्तव में उल्लेखनीय है 'वह यह दिखाता है कि किस प्रकार से दुनिया के सुस्थापित लोकतंत्रों में भी लोगों को अपने अधिकारों के लिये लड़ना पड़ता है । अमेरिका 4 जुलाई 1776 को ब्रिटिश दासता से मुक्त हुआ था, लेकिन अश्वेतों को इसके भी 90 साल बाद ही दासत्व से मुक्ति प्राप्त हुई एवं कई नागरिक अधिकारों के लिए तो इन्हें अगले 90 सालों तक और इन्तिज़ार करना पड़ा ।

अफ़्रीक़ी दास पहली बार सन 1619 में उत्तरी अमेरिका लाये गये थे । दास प्रथा का अंत 1865 में जाकर हुआ जब 1863 में राष्ट्रपति लिंकन ने मुक्ति उद्घोषणा जारी की । अगले कुछ वर्षों में इन्हें अमेरिका की नागरिकता व मतदान के अधिकार मिले । वर्ष 1866 के सिविल राइट एक्ट ने अमेरिकी अश्वेतों को सार्वजनिक सुविधाओं की बिना किसी भेदभाव के प्रयोग की अनुमति दी । हालांकि सन 1875 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट नें इस क़ानून को निरस्त घोषित कर दिया । इसके पश्चात अपने बहुत से अधिकारों की पुन: प्राप्ति के लिए अफ़्रीक़ी अमेरीकियों को एक सदी का लंबा इन्तिज़ार करना पड़ा, जब मार्टिन लूथर किंग व उनके नागरिक अधिकार आंदोलन ने इस लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

नस्लीय भेदभाव के निजी अनुभवों, एक धार्मिक उपदेशक (मिनिस्टर) के रूप में उनकी शिक्षा-दीक्षा, मोहन दास करमचंद गांधी व जीसस क्राइस्ट के जीवन से ली गयी प्रेरणा ने मार्टिन लूथर किंग को एक असाधारण वाक् शक्ति सम्पन्न जननेता के रूप में स्थापित किया जिसके फलस्वरूप वे अश्वेत समुदाय के अधिकारों के लिए लड़े और अंतत: 1964 में सिविल राइट एक्ट पारित हुआ । किंग ने सामाजिक सुधार लाने के लिए अहिंसा के सिद्धांतों व आध्यात्मिक मूल्यों का सहारा लिया और इनके प्रायोगिक अमल पर ज़ोर दिया । अपने नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए अहिंसा को हथियार बनाने के लिए इन्होंने 1957 में एक माह के लिए भारत का दौरा भी किया व अहिंसक आंदोलन की बारीकियां सीखी । किंग ने अपने आंदोलन में सत्याग्रही तकनीकों यथा उपवास, सिट-इन्स (भारतीय परिप्रेक्ष्य में धरना), चुनिंदा ख़रीदारी (भेदभाव की नीति रखने वाले व्यापारों का बहिष्करण) आदि का प्रयोग किया ।

मार्टिन का जन्म 1929 में अमेरिका के जार्जिया राज्य के अटलांटा शहर में रेवेरेंड मार्टिन लूथर किंग सीनियर व अल्बर्टा विलियम किंग के यहां हुआ था । इनके पिता व दादा दोनों ईसाई पादरी थे । ऐसा कहा जाता है कि 17 साल की उम्र में मार्टिन के मन में भी मिनिस्ट्री (ईसाई धर्मोपदेशक) में शामिल होने का विचार आया । इन्होंने कला संकाय में अपनी स्नातक डिग्री अटलांटा के मोरहाउस कालेज से पूरी की, इस दौरान इन्होंने समाजशास्त्र व अंग्रेज़ी का अध्ययन किया जो आगे इनके सार्वजनिक जीवन में बहुत काम आया । इसके बाद मार्टिन को फिलाडेल्फ़िया के नज़दीक क्रोज़न सेमीनरी (धर्म शिक्षा संस्थान) में धर्मशास्त्र के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिली, इन्होंनें यहां तीन वर्ष अध्ययन किया । तत्पश्चात, मार्टिन ने 1951-54 तक बोस्टन विश्वविद्यालय से डाक्टरेट की । बोस्टन में ये अलबामा की युवती कोरेटा स्कोट के संपर्क में आये । इन दोनों ने 1953 में विवाह कर लिया ।

1954 में पी॰एच॰डी॰ पूरी करने के पश्चात मार्टिन ने मोंटगोमरी, अलबामा के डेक्सटर एवेन्यू बाप्टिस्ट चर्च में पादरी के रूप में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन गांधी की तरह ही किंग की भी नियति को कुछ और ही मंज़ूर

था । मोंटगोमरी की एक लोकल बस में रोजा पार्कस नामक महिला ने एक श्वेत यात्री के लिए सीट छोड़ने से इन्कार कर दिया, परिणामस्वरूप उसे गिरफ़्तार कर लिया गया । इस भेदभाव से लड़ने के लिए अश्वेत समुदाय ने बसों के बहिष्कार का निर्णय लिया । किंग व अन्य सामाजिक नेताओं के मार्गदर्शन से यह बहिष्कार 381 दिनों तक चला । अंत में अमेरिकी अश्वेतों के इस अहिंसक आंदोलन की विजय हुई व सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया की बसों में नस्ल के आधार पर यह पृथक्करण असंवैधानिक है ।

मोंटगोमेरी अभियान के बाद किंग अब अमेरिका में अश्वेतों के स्वतंत्रता संघर्ष का प्रमुख चेहरा बन चुके थे । अगले 12 वर्षों तक इन्होंने अश्वेतों के नागरिक अधिकारों के लिए हुए कई आंदोलनों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया । इनका यह संघर्ष 1968 में इनकी हत्या होने तक जारी था । ये अश्वेतों के साथ नियमित रूप से हो रहे भेदभाव, असमानता व उत्पीड़न से लड़ने के लिए कटिबद्ध थे । मार्टिन अश्वेतों को मतदान का अधिकार न होने, स्कूलों में उनका श्वेतों से पृथक्करण, सार्वजनिक सुविधाओं के प्रयोग की अनुमति न होने, रोज़गार व नौकरियों में असमानता व ग़रीबी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले प्रमुख व्यक्तित्व थे । गांधी की तरह ही किंग ने भी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए धार्मिक मूल्यों व अहिंसावादी सिद्धांतों का सहारा लिया । उनकी आवाज़ ने गोरों की अन्तरात्मा को जगाने का काम किया ।

उन्होंने दार्शनिक अंदाज़ में कहा था कि, ''अगर अंतिम रूप से विश्लेषण करें तो श्वेत लोग नीग्रो लोगों की समस्याओं को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे नीग्रो लोगों का ही एक हिस्सा हैं और नीग्रो उनका । नीग्रों की पीड़ा श्वेतों के क़द को घटा देती है व नीग्रो लोगों की आज़ादी इनका क़द बढ़ा देगी ।'' किंग ने नस्ली भेदभाव की लड़ाई को एक नैतिक आयाम दिया जिसने उनके पीड़ित बंधुओं को सम्मान दिलाया । अत्याचारी गोरों की अन्तरात्मा को झकझोर कर रख दिया । अपने आध्यात्मिक झुकाव व वक्तव्यों के माध्यम से एवं कभी-कभी उदारवादी रुख़ अपनाकर मार्टिन ने दोनों नस्लों के बीच रिश्ते सुधारने का प्रयास किया ।

1963 नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था । अलबामा राज्य का बर्मिंघम शहर अश्वेतों के समानता के लिए संघर्ष का केन्द्र बिंदु बना । इस शहर में दोनों आबादियां अलग-अलग रहती थी, मतदाता के अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन होता था, नौकरियों में भेदभाव व्याप्त था व अश्वेतों के प्रति भेदभाव, हिंसा व उनका अपमान यहां रोजमर्रा की घटना थी । किंग ने यहां एक सफल नागरिक अधिकार अभियान चलाया । महीनों तक चले इस अभियान को पूरी तरह अहिंसा के सिद्धांतों पर संचालित किया गया था । लेकिन श्वेत पृथकतावादियों ने अभियान को असफल करने के लिए हिंसा का सहारा लिया ।

आख़िरकार 1963 की गर्मियों के आख़िरी दिनों में यह नागरिक अधिकार आंदोलन उस समय अपने चरम पर पहुंचा जब वाशिंगटन डी॰सी॰ में ''वाशिंगटन मार्च'' का आयोजन किया गया । यहीं पर किंग ने अपना ऐतिहासिक ''मेरा स्वप्न (आई हैव ए ड्रीम)'' भाषण दिया । सेल्मा शहर किंग की सफलता का एक ओर उदाहरण है । उनके अभियान स्वरूप, यहां पर प्रशासन द्वारा अश्वेत वोटरों का रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए अपनाए जा रहे विभिन्न चालाकीपूर्ण तरीक़ों को उजागर किया गया ।

इस संघर्षों की बदौलत आख़िरकार, 1964 में नागरिक अधिकार क़ानून (सिविल राइट एक्ट) पारित हुआ व अश्वेतों को मतदान का अधिकार एवं सार्वजनिक स्थानों के उपयोग का अधिकार मिला । रोज़गार में इनके साथ हो रहा भेदभाव समाप्त हुआ । इसके साथ ही 'समान रोज़गार अवसर आयोग' भी अस्तित्व में आया । 35 वर्ष की उम्र में 1965 में किंग को नोबेल पुरस्कार से नवाज़ा गया ।

अपने संघर्षी जीवनकाल में किंग को तक़रीबन 20 बार जेल जाना पड़ा, श्वेत अतिवादियों नें उन पर कई बार हमला किया, उनके घर पर बमबारी की गयी । उन्होंने लाखों मील की यात्राएं की, 2500 से अधिक भाषण दिये तथा 5 किताबें और दर्जनों लेख लिखे । मानव इतिहास में युद्ध, दासता, उपनिवेशवाद, रंगभेद व अस्पृश्यता की घटनाओं की उपस्थिति मानवीय विरोधाभासों की सूचक हैं । डॉ॰ किंग के शब्दों में ''मानव्र की प्रगति न तो स्वचालित है और न ही अपरिहार्य । न्याय की प्राप्ति की दिशा में बढ़ाया गया हर क़दम इस उद्देश्य के लिए समर्पित लोगों से अथक प्रयास, पूर्ण समर्पण, त्याग, दुख व संघर्ष मांगता है ।''

(लेखक शिकागो-स्थित सामाजिक-राजनीतिक बिश्लेषक हैं)

हाशिमपुरा तुम भारत से हार गये !

■ प्रशान्त सिंह

''हाशिमपुरा'', अचानक से चर्चा में आया यह शब्द मेरे लिए एकदम नया था। हो भी क्यों न नया ? यह घटना तब की थी जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। जब तक मैं समझ पाता कि यह क्या बला है, उससे पहले ही अख़बार, टी०वी०, सोशल मीडिया सब जगह हाशिमपुरा जंगल में लगी आग की तरह फैल गया। जब इस हाशिमपुरा नामक आग के दरिया में थोड़ा क़रीब से झांक कर देखा तो पता चला कि इतिहास में कितना कुछ दफ़न है। बीते 28 सालों से मुर्दे की तरह दफ़न इस मामले के बारे में इससे पहले शायद मैंने कभी नहीं सुना था, या सुना भी होगा तो याद नहीं। आज इस हाशिमपुरा नरसंहार के 28 साल बीतने के बाद भी लपटें किसी को भी झुलसाने के लिए काफ़ी हैं।

दिल्ली से सटे मेरठ के हाशिमपुरा में 22 मई 1987 को पी०ए०सी० के जवानों ने मुस्लिम समुदाय के 42 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हुआ कुछ यूं था कि 1986 में तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने अयोध्या के विवादित ढांचे को खोलने का फ़ैसला लिया था। जिसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में रह-रहकर दंगे भड़कते रहे थे। धीरे-धीरे दंगों की आग मेरठ ज़िले तक पहुंची। 21 मई 1987 को मेरठ के हाशिमपुरा में एक युवक की हत्या कर दी गयी। हत्या के बाद हाशिमपुरा जल उठा। कैसा जल उठा होगा ? उस समय क्या हालात रहे होंगे ? मुझे पता नहीं। जहां तक मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं, शायद मुजफ़्फ़रनगर दंगों की तरह या उससे भी अधिक भयावह हालात रहे होंगे। पूरा इलाक़ा दंगे की चपेट में आ चुका था। गली-चौराहे की दुकानों को आग के हवाले किया जा चुका था। दंगा-फ़साद चरम पर था।

22 मई, 1987 को जवानों से लदा पी०ए०सी० का एक ट्रक मस्जिद के सामने रुकता है। मस्जिद में धार्मिक सभा चल रही थी। ट्रक से भारी संख्या में जवान उतरते हैं और सभा में शामिल लोगों को हिरासत में ले लेते हैं। यह था इस घटना का पहला दृश्य दूसरा दृश्य इस नरसंहार के पीड़ित मुहम्मद उस्मान की ज़ुबानी, ''उस्मान बताते हैं कि हम घर पर थे। मैं, अपने वालिद के साथ बैठा था। कुछ लोग तलाशी के बहाने से आये और हमें घर से बाहर निकाला। हम से हाथ ऊपर करने को कहा गया और फिर हमें पी०ए०सी० के हवाले कर दिया गया। हमने देखा कि वहां बहुत सारे लोग पहले से बैठे हुए थे। शाम के समय सब को ट्रकों में भर के सिविल लाइंस थाने भेजा गया। फिर उसके बाद क़रीब 50 मर्दों को छांट कर अलग किया गया। औरतों और बच्चों को एक तरफ़ कर दिया गया।''

इसके बाद जो हुआ उसका बखान करने में शायद किसी का भी कलेजा कांप उठे। सूरज ढलने के बाद सभी को पी०ए०सी० की 41 बटालियन के एक ट्रक में लादा गया। सभी को ट्रक में बैठने के लिए कहा गया और पी०ए०सी० के जवान उनकी निगरानी के लिए खड़े रहे। पी०ए०सी० के इरादों से बेपरवाह वह सभी शून्य भाव होकर एक-दूसरे का मुंह ताक रहे थे। उन बेचारों को क्या पता था कि यह उनकी ज़िंदगी का आख़िरी सफ़र होगा। ट्रक को मुरादाबाद की गंग नहर की ओर ले जाया गया था। नहर के निकट एक जगह ट्रक को रोका गया। वहां एक व्यक्ति को नीचे उतारा गया और उसे गोली मार दी गयी। और यह देख ट्रक में बैठे बाक़ी के लोग सहम गये। पी०ए०सी० के इरादों की भनक लगते ही उनमें से कुछ ने हिम्मत कर के ट्रक से कूद कर भागने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने उन्हें वहीं का वहीं छलनी कर दिया। इसके बाद सभी को नहर में फेंक दिया गया। इस घटना में 42 लोग मारे गये थे।

न्याय का इन्तिज़ार करते-करते पीड़ितों के बाल सफ़ेद हो गये थे। सालों बाद घटना की जांच रिपोर्ट सौंपी गयी। मामला दर्ज हुआ। 161 गवाह बने और पी०ए०सी० के जवानों को आरोपी भी बनाया गया। 16 जवानों पर मुक़दमा चला। 21 मार्च 2015 को अदालत ने फ़ैसला सुनाया, लेकिन अदालत ने आरोपियों को सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए बरी करने का हुक्म सुनाया। सालों से दफ़न हाशिमपुरा मामले में फ़ैसला तो आ गया लेकिन जीत किसकी हुई ? हाशिमपुरा पीड़ितों की या फिर ख़ुद को क़ानून पर चलने वाले संवैधानिक गणतंत्र रखने वाले भारत की ?

طبقات دوزخ سات ہیں۔ سقر۔ سعیر۔ لظی۔ حطمہ۔ جحیم۔ جہنم اور ہاویہ۔

قادری دواخانہ کی کامیاب ترین یونانی دوائیں

LARGEST UNANI
G.M.P.
CERTIFIED COMPANY

قادری قبض سروجن

گیس ٹک کے درد میں؟

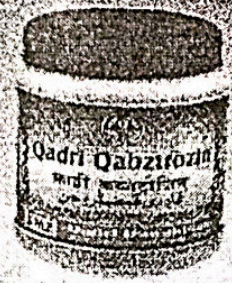

بدہضمی، بھوک کی کمی، درد جگر، قبض، سینے کی جلن اور پیٹ کے امراض میں بہت ہی مفید ہے

زعفرانی تیل

گٹھیا کے درد میں؟



کسی بھی قسم کے درد چوٹ موچ۔ گٹھیا۔ جلنے کٹنے اور بچوں کی مالش میں بہت ہی مفید ہے۔

پشتک چورن

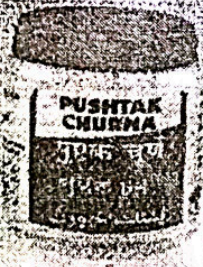

جریان، کثرت احتلام، سرعت انزال، ضعف باہ اور جملہ امراض مردانہ میں بہت مفید ہے

ذیابطیش سی

شوگر کی کامیاب دوا



مثانہ کو قوت پہنچاتی ہے۔ پیشاب کی زیادتی اور ذیابطیش سے ہونے والی کمزوری میں بے حد مفید ہے

زعفرانی مالٹ

ہر عضو کی کمزوری کے لئے



دماغ و اعصاب کے لئے محرک ہے۔ صفرک مادہ کو دور کرتی ہے اور اعلیٰ درجہ کا حسک بھی ہے۔ اس کے متواتر استعمال سے مردانہ قوت اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ صبح و شام ۵ گرام دودھ کے ساتھ

کیسر فورٹ

قوت باہ کی طاقت میں اضافہ کے لئے



مقدار خوراک روزانہ ایک گولی سوتے وقت دودھ کے ہمراہ

Qadri Dawakhana ™
B-18, Nawab Wajid Ali Shah Road, Kol-24
(O) 5-152, S. A. Farooque Road, (Akra Road) Kolkata- 700 018
Ph. No. 2469-3173-2489-3539 (M) 9830009616 / 9674013169
Website : www.qadridawakhana.com
Email : qadridawakhana80@yahoo.co.in

STOCKIST

Qadimi Dawakhana
1397, Ballimaran, Delhi - 6
Ph : 011 23966395

M/s. Shifa Clinic
A-280, Moti Masjid Road,
P.O. Chikamberpur, Shaheed Nagar,
Ghaziabad, Ph : 0120 - 2621286

इस्लाम के प्रति ग़लतफ़हमियों का निवारण

■ डॉ॰ मुहम्मद मज़हर हुसैन
(पटना, बिहार)

श्री जी॰टी॰ रंगाचार्यालु ने अपनी पुस्तक ''सुप्रीमेसी ऑफ़ हिन्दुइज़्म'', जो 1986 ई॰ में आंध्र आश्रम, ऋषिकेश से प्रकाशित हुई थी उसमें मुसलमानों तथा इस्लाम धर्म, अंतिम पैग़म्बर तथा कुरआन के संबंध में अनाधार और मनगढ़ंत बातें लिखी हैं । उन्होंने लिखा है–

1. इस्लाम बल और आतंक के आधार पर फैला और मुसलमानों के जुल्म और आतंक के कारण हिन्दू धर्म पुर्णरूपेण नहीं फैल सका ।

2. मुसलमानों ने हिन्दू मंदिरों को नष्ट कर दिया, स्त्रियों का बलात्कार किया और हिन्दुओं को ज़ोर-ज़बरदस्ती कर इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर विवश किया गया (पृष्ठ 3,5)।

3. जीसस क्राइस्ट की तरह अंतिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की भी हत्या कर दी गयी ।

4. कुरआन ग़लत और मनगढ़ंत किताब है और यह आसमानी किताब नहीं है ।

5. कुरआन ईश्वर के स्वरूप और प्रकृति के भेदों के संबंध में कोई उत्तर देने में असमर्थ है ।

हिन्दू धर्म और उसकी सर्वोच्चता के संबंध में लेखक ने जो कुछ लिखा है, उस पर कुछ लिखने का मेरा अधिकार नहीं है किन्तु इस्लाम धर्म, कुरआन और अंतिम पैग़म्बर के संबंध में लेखक ने जो कुछ लिखा है, वह इस्लाम धर्म के प्रति उनकी अज्ञानता का प्रतीक है । स्पष्ट है, इस प्रकार की ग़लत बातों के कारण अन्य समुदायों में इस्लाम के प्रति ग़लतफ़हमियां फैलती हैं एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बाधित होता है । अत: उपरोक्त मनगढ़ंत बातों का स्पष्टीकरण अत्यंत आवश्यक है ।

जहां तक इस्लाम की उत्पत्ति बल और आतंक के आधार पर होने का प्रश्न है, तो इस संबंध में स्पष्ट कर दूं कि इस्लाम शांति और सद्भाव का धर्म है । एकता और अखंडता इस्लाम की बुनियादी शिक्षाओं में से है । इस्लाम में जाति-पात, रंग और समुदायों के बीच कोई अन्तर नहीं है । इस्लाम ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है, जिसके संबंध में कुरआन में कई स्थानों पर इसका उल्लेख है ।

अंतिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने कहा था– ''उन काफ़िरों (नास्तिकों) के प्राण हम मुसलमानों के प्राणों की तरह सुरक्षित और उन नास्तिकों के माल मुसलमानों के माल की तरह सुरक्षित हैं ।'' सामान्यत: ग़ैर-मुस्लिम समुदाय शब्द 'काफ़िर' को गाली समझते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि यह अरबी का शब्द है और जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, जिस प्रकार ईश्वर को नहीं मानने वालों को नास्तिक कहा जाता है और अंग्रेज़ी में 'Atheist' कहा जाता है ।

जिन लोगों ने इस्लामी इतिहास का अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि सन 623 ई॰ में जब अंतिम पैग़म्बर मक्का से हिजरत करके मदीना आये, तो उन्होंने मदीना और उसके निकटतम क्षेत्रों की सुरक्षा, बचाव तथा विकास हेतु मुहाजिर (प्रयाण करने वाले) और अंसार (मुहाजिरों की सहायता करने वाले) लोगों के साथ अन्य धार्मिक गिरोहों को मिलाकर जिनमें यहूदी, ईसाई, साबी, मागी तथा मूर्तिपूजा करने वाले गिरोह भी सम्मिलित थे, सबने एक साथ एक राजनीतिक गिराह का रूप प्रदान किया, ताकि बाहरी आक्रमण से मदीना के वासी सुरक्षित रह सकें । सभी धर्म के लोगों ने इस पर अपनी सहमति प्रदान की थी ।

मुसलमानों ने इस्लाम के प्रचार और प्रसार के लिए न कभी युद्ध किया, न कभी बल का प्रयोग किया और न ही दबाव की नीति अपनायी । हां, जिन लोगों ने इस्लाम के विरुद्ध जुल्म की नीति अपनायी, उनके साथ युद्ध किया गया, किन्तु युद्ध में बनाये गये बन्दियों के साथ विनम्रता का बर्ताव किया गया । उन पर दया की गयी और अधिकतर बन्दियों को बिना किसी शर्त के रिहा कर उन्हें सुरक्षित उनके क्षेत्रों में पहुंचाया गया ।

कुरआन कहता है कि यदि अल्लाह का साझी मानने

वालों में से कोई आपसे (अंतिम पैग़म्बर से) शांति मांगता हो तो उसको शांति दे दो, यहां तक कि वह अल्लाह की वाणी सुन ले, फिर उसको उसकी शांति के स्थान तक सुरक्षित पहुंचा दो । इसका अर्थ यह है कि जो भी पैग़म्बर के पास इस्लाम की बातें सुनने के लिए आये, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, वह इस्लाम के अमान में है, यहां तक कि अल्लाह की वाणी सुनने के बाद, वह जहां से आया है वहां तक शांतिपूर्ण पहुंच जाए । निष्कर्ष यह निकला कि इस्लाम के प्रचार-प्रसार में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है, जो सुनना चाहे सुने और जो न चाहे वह सुरक्षित है । इससे बढ़कर शांति का उदाहरण और क्या हो सकता है ?

इस्लाम ने जो जिहाद किया वह किसी धर्म के विरुद्ध नहीं था, बल्कि जो लोग इस्लाम धर्म के दुश्मन थे और इस्लाम को मिटा देना चाहते थे उनके विरुद्ध जिहाद किया गया । सामान्यतः लोग 'जिहाद' का अर्थ युद्ध तथा मार-धाड़ समझते हैं, जबकि इसका वास्तविक अर्थ 'जिद्दोजहद' अर्थात "अनथक प्रयास और परिश्रम" है । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के समय में मुसलमानों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था और चेतावनी दी गयी थी कि जुल्म के जवाब में कोई भी क़दम नहीं उठाया जाए । इसका वर्णन कुरआन में इस प्रकार किया गया है–"क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों की ओर जिनसे कहा गया था कि अपने हाथ बंधे रखो ।" इस प्रकार यह बात प्रमाणित है कि इस्लाम ने सदा शांति, सद्भाव, भाईचारगी, संयम और क्षमा की नीति अपनायी है न कि युद्ध, जुल्म और आतंक की नीति ।

जहां तक 'कुरआन' के मनगढ़ंत किताब होने और आसमानी किताब न होने का प्रश्न है और यह कि अल्लाह के स्वरूप और प्रकृति के भेदों का उत्तर देने में कुरआन असमर्थ है, तो इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक है कि कुरआन किस माध्यम से पृथ्वी पर प्रस्तुत किया गया । जैसा कि इतिहासकारों ने लिखा है (जिसका उल्लेख स्वयं कुरआन में भी है) कि कुरआन थोड़ा-थोड़ा करके (स्थिति और आवश्यकतानुसार) अंतिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के माध्यम से इस धरती पर उतारा गया और जब-जब जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, आवश्यकतानुसार 23 वर्षों तक यह धरती पर उतरता रहा । 23 वर्षों में समस्त कुरआन धरती पर उतार दिया गया । अल्लाह के फ़रिश्ते हज़रत जिबरील (अलैहि०), अल्लाह का संदेश लेकर आते और पैग़म्बर (सल्ल०) के मस्तिष्क और हृदय में उसे डाल देते और पैग़म्बर उसे अपने साथियों को लिखवा देते या याद करा देते । बाद में, अंतिम पैग़म्बर की मृत्यु के उपरांत जो भी लिखित रूप में या हृदय में सुरक्षित था एक जगह एकत्रित कर ज्यों का त्यों उसे लिखित रूप दे दिया गया और आज तक कुरआन वैसा ही है, उसमें एक बिन्दु का भी हेर-फेर नहीं किया गया । फिर किस प्रकार कहा जा सकता है कि कुरआन मनगढ़ंत किताब है और यह आसमानी किताब नहीं है ?

जहां तक अल्लाह के स्वरूप का प्रश्न है तो धार्मिक धारणा यही है कि अल्लाह एक है, उसका कोई साझी नहीं, उसका कोई रंग-रूप नहीं और न ही उसके अस्तित्व की कोई विशेष बनावट है । कुरआन स्वयं कहता है–ऐ मेरे नबी (पैग़म्बर) आप (लोगों से) कह दीजिए कि अल्लाह एक है, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, उसने न किसी को जन्म दिया और न ही उसे किसी ने जन्म दिया है, और उसका कोई साझी नहीं ।" यह शब्द उस समय पैग़म्बर के मस्तिष्क और हृदय में उतारे गये जब मुशरिकों (अल्लाह का साझी मानने वालों) ने अल्लाह के अस्तित्व और उसके स्वरूप के संबंध में प्रश्न किया था । इस प्रकार यह बात सिद्ध हो जाती है कि अल्लाह एक है और उसका कोई साझी नहीं और न ही उसका कोई स्वरूप है । उसी ने समस्त प्रकृति और मानव की उत्पत्ति की । वह हमारी दृष्टि से ओझल होकर सब कुछ देख रहा है और पूरे ब्रह्माण्ड और विश्व को चला रहा है ।

जहां तक यह बात लिखी गयी है कि हज़रत ईसा मसीह की तरह अंतिम पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की भी हत्या कर दी गयी थी, तो यह बात बिल्कुल ही मनगढ़ंत है । इससे स्पष्ट है कि लेखक को इस्लाम धर्म के इतिहास का कुछ भी ज्ञान नहीं है । बिना ज्ञान के कोई झूठी बात लिख देना उचित नहीं । यह बात सभी इतिहासकारों ने लिखी है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई थी । आप बीमार पड़े और तेरह दिनों तक बीमार रहने के बाद आप इस दुनिया से कूच कर गये ।

For Information On
City Shops, RoaosQ, Restaurants, Magazines, Schools and much more.
Syed Shahbaz Alam Barvi
Business Development Director (09049185093)
Visit us:
www.shoppinglanes.com

अम्मां

■ मासूम अंसारी

दूर समुद्र में आते जहाज़ी बेड़े का शोर, दूर से उठते तूफ़ान का शोर चला आता है । आवाज़ें साफ़ सुनायी पड़ती हैं, मगर दिखायी नहीं पड़ता है कि किधर से आ रहा है । वैसे ही अम्मां की याद की तड़प उनकी ममता की छांव पाने को मन दौड़ता है मगर काली आंधी में आंख और दिल किरकिरे होकर बहते हैं और तलाश उदास होकर याद और ख़्वाब बन जाती है । ''मासूम तू ज़मीन पर पैर रखने से इतना घिन क्यों खाती है ? क्या हुआ अगर उसने तेरे चप्पलों पर जूता रख दिया कौन-सी गन्दगी उनमें लग गयी ।

अम्मां मुझे डांट रही थीं और मैं चीख़-चीख़कर ऐसा रोयी कि घर में नगाड़ा बजा दिया भाई ने शरारत से मेरी चप्पलों को अपने जूते से रौंद डाला था । अपनी स्लीपर को ले जाकर मैंने सर्फ़एक्सेल से रगड़-रगड़कर धो डाला । रोती जाती धोती जाती । जूतों की गन्दगी देखती तो रोंगटे खड़े हो जाते । रो धोकर जब अम्मां के पास गयी तो उन्होंने गंभीर होकर कहा–''एक दिन इसी मिट्टी में जाना है और तुम इस मिट्टी से इतना घिन खाती हो, अल्लाह तआला कितना नाराज़ होता होगा तुम पर ।'' बस अम्मां की यही बात खटक जाती थी ।

क़ब्रिस्तान, मिट्टी में समा जाना अल्लाह तआला की नाराज़गी खौफ़ज़दा करते थे मुझको । बात-बात पर टोकती बात-बात पर रोकती, हर वक़्त की टोका-टोकी से मैं उलझ कर रह जाती । मैं उनसे कटने लगती मगर दूर रहकर भी उनके ही क़रीब रहती । किसी भी महफ़िल में या घर के किसी कामकाज के मौक़े पर भरी महफ़िल में मेहमानों के सामने अम्मी की डांट मुझे ही पड़ती । और मैं अपनी सफ़ाई देने में बहस पर बहस किये जाती और जब कोई हंस देता तो गुस्से में तेज़-तेज़ बात करती । उनको गुस्से में मेरा बात करना बहुत बुरा लगता था । फिर क्या था अम्मी पूरी तरह से मुझ पर बरस पड़तीं । घबरा कर मैदान छोड़ना ही समझ में आता था । किसी कोने में छुपकर बैठ जाती । गुस्सा ठंडा होने पर दिल को मलाल होता बेवजह अम्मी से बहस कर ली । पता नहीं अम्मी अब कब तक नाराज़ रहती हैं एक घंटे बाद अम्मी ख़ुद ढूंढ़ निकालती थीं । ''मासूम तुम बहुत सताती हो पहले तो मेरा दिल दुखाती हो फिर मुंह सुजाकर कोने में बैठ जाती हो । कहते-कहते उनका गला रुंध जाता और मेरा दिल दुख-सा जाता । मगर आज तक मैं उनसे न कह पायी कि उनका रोना मुझे बहुत तकलीफ़ देता है । अम्मी को हमेशा काम में लगा देखती रहती । और हम सबको भी लगाए रहतीं । अक्सर वह मुझे रसोई घर के कामों में लगाए रहतीं और रसोई के सारे काम मेरे सर से गुज़रते रोटियां बेलती तो बेलन से लिपट कर रह जाती । अम्मी को मेरी फ़िक्र सताती वह मेरे लिए अल्लाह से दुआएं करतीं कभी-कभी तो आह के साथ दुआ करती या अल्लाह मेरी मासूम को रोटियां पकानी आ जाए, वरना इस लड़की का क्या होगा । लड़कपन की नादानियों से उलझते-सुलझते वक़्त आगे बढ़ गया अम्मी को हम से नयी उम्मीदें हो गयीं ।

घर की उन ज़िम्मेदारियों को डालना शुरू कर दिया जिनसे मैं बहुत घबराती थी । घर के सारे बिस्तर रज़ाई से लेकर बिछौने तक मुझ से सिलवातीं । ग्लूकोमा के मर्ज़ ने अम्मां की आंखों को धुंधला कर दिया था । धुंधली रोशनी में भी वह घर बाहर के सारे काम खुद ही निबटातीं बस मेरा साथ लेतीं ।

रास्ते भर मुझे डांट पड़ती रहती और मैं भी मनचाहा बोलती थी । सोच-समझकर बोलना आता ही न था ।

रसोई का चूल्हा, प्रेशर कूकर की मरम्मत कराना बाल्टी, टब, बर्तन सब्ज़ी ख़रीदना हर जगह मुझे ले जातीं । एक दिन मैंने गुस्से में कहा–''अम्मी ऐसी जगहों पर आप मुझे लेकर जाती हैं और ख़ास जगह जाना होता है, तो उन नवाबज़ादियों को लेकर जाती हैं'' तब अम्मी नर्मी से बोलीं–''इन सब कामों में ज़लालत नहीं ज़हानत होती है तुम्हें तमीज़ आ जाएगी ।''

फिर भी मुझे कमतरी का एहसास होता । अहमियत मेरी बहनों को ही मिलती । मैं यही सोचती कि अम्मी मुझ से कम मुहब्बत करती हैं वह मुझे समझती नहीं है । पहला प्यार

दिल को पूरा क़रार था मगर अपने महबूब से न कभी इज़हार किया और न ही उसे कभी मौक़ा दिया कि वह मुझ से इज़हार करे । बस ख़्वाहिश कि वह मुझ से इज़हार करे । मगर यह बात भी छिप न सकी । घर में सब तंग व्यंग्य में मुझ से बात करते । शर्म के मारे अम्मी से कहती उनका सामना करने से बचती थी । एक दो बार अम्मी ने चुपके से हड़की लगाकर डांटा "तुम्हारा अब घर से बाहर निकलना बन्द, तुम्हारी आगे की पढ़ाई बन्द, बहुत पढ़-लिखकर कूढ़ गयी हो । पढ़ाई बन्द, यह सुनकर दिल मुट्ठी में आ जाता । महबूब से जुदाई का ग़म पढ़ाई का ग़म, मैं उदास रहने लगी । अम्मां की सहेलियां आयी हुई थीं मैं चाय बनाकर उनके सामने गयी । "अरे मासूम तुझे क्या हुआ तूने इतने गन्दे कपड़े क्यों पहने हैं । एक पर एक सवाल करने लगीं । जवाब में अम्मी बोलीं शादी कर दी जाए तो खुश रहने लगेंगी ।"

इस बात पर अम्मी को मैंने जलकर देखा । अम्मा की सहेलियों ने प्रेम से मुझे अपने पास बिठा लिया । थोड़ी देर बाद अम्मां खुद से बोलीं–"मेरी यह लड़की अपने आप में बहुत सच्ची और पाक है कोई कुछ भी कहे मैं इसके ऊपर आंख बन्द करके भरोसा करती हूं ।" यह सुनना था कि मेरा आत्मविश्वास वापस लौट आया । आज फिर मैं अम्मां से हार गयी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे जीत लिया था । दिल उनके एहतिराम से लबरेज़ हो गया था । अम्मां ने मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में करा दिया अल्लाह तआला के करम से मैंने उनका विश्वास फिर कभी नहीं तोड़ बल्कि उस एहतिराम ने किसी को जगह बनाने ही न दी ।

रात में अंधेरे से डर लगता था आंख खुलने पर अम्मी के बिस्तर पर अम्मी का हाथ था पैर पकड़ कर बेख़ौफ़ सो जाती । मैं तो सो जातीं मगर अम्मी की नींद ग़ारत कर देती । यह लड़की सोने नहीं देती रात में भी सकून नहीं लेने देती । फिर से मुझे मेरे बिस्तर पर धकेल देतीं । इसके बावजूद जब भी आंख खुलती अम्मां ही से चिपक जाती । एक रात अम्मी ने आंख खुलने पर मुझे डांटा नहीं बल्कि मुझ से कहने लगी–"मैं अभी ख़्वाब देख रही थी कि दो लोग सफ़ेद चादर में लपेटे ऊपर लिये जा रहे हैं" सुनकर दिल धक से रह गया । अम्मी रात में ख़्वाब मत बताया करो" अम्मी को टोकते हुए बोली–"अच्छा चादर उठा दो" अम्मी को चादर उढ़ाकर मैं चादर पकड़े ही लेटी रही आज मेरी नींद ख़राब हो गयी थी । अम्मां को ऐसा बुख़ार आया कि डॉक्टर उसका सही इलाज कर ही न पाये अम्मां के होश चले गये । मगर आई॰सी॰यू॰ में भी वह मासूम-मासूम पुकारतीं । कहां है बोलती क्यों नहीं है" अम्मां के पास मुझे काफ़ी देर रुकने दिया जाता वह मुझे तब भी डांटती कहां थी रात भर तुम्हें पुकारा है आख़िर तुम चली कहां जाती हो ।" मैं बस इतना ही कह पाती "अम्मां माफ़ कर दो ग़लती हो गयी ।"

"माफ़ क्या कर दें अब गयीं तो माफ़ नहीं करेंगे । आओ यहां पर चुपके से लेट जाओ मेरे पास आओ यह सब बहुत तेज़ है मुझे डांटते हैं तुम जाना मत ।" बहुत दुआओं के बाद अम्मां आई॰सी॰यू॰ से बाहर आ गयीं । हम सब उनको घर ले आये । चार महीने बाद वह पूरे होश में आयीं । फिर से वही घर की फ़िक्र में उनका दिल लग गया । स्कूल से घर आने में पांच मिनट की देर हो जाती अम्मां पूछती–"मासूम आज देर हो गयी" मैं चौंक जाती आज तो कहीं रुके भी नहीं पहले बच्चे निकलते हैं शायद उसी में देर हो गयी । अम्मां बीमारी की कमज़ोरी से चल नहीं पाती थीं । मेरा दिल तकलीफ़ से खिंचता कि अम्मी मेरा कितना इन्तिज़ार करती हैं कि एक-एक पल वह मेरे आने की राह देखती हैं, "अम्मां मैं नौकरी छोड़ दूं ।"

अम्मां फ़ौरन "नहीं" में जवाब देतीं पढ़ाती हो पढ़ाओ तुम्हारे आने तक घर में सब रहते हैं । फिर हम दोनों साथ में ही दिन-रात का खाना खाते अम्मां की प्लेट से एक दो निवाले खा न लेती तब तक मेरा पेट न भरता था । अम्मां मुझे बहुत सारे काम बतातीं यहां तक कि आम का अचार तक डलवा लिया और अम्मां खुश होकर सबसे कहतीं मासूम ने आम का अचार डाला है । मगर डांटने से तब भी अम्मां न चूकती थी । यह लड़की अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं कर पायी है मैं जल्दी-जल्दी अपना काम निबटा कर अम्मां के पास जाना चाहती थी कि अम्मां ने मुझे बुला भेजा मैं काम रोक कर अम्मां के पास गयी अम्मां ने तकल्लुफ़ से कहा काम कोई नहीं था अकेले अच्छा नहीं लगता । "बताएं अम्मी बहुत सारे काम हैं कल बक़रईद भी तो है ।"

"परदे सुखाए कि नहीं ?" अम्मी परदों को लेकर ही डांट रही थीं । "उन्हीं पर प्रेस कर रहे थे कि आपने बुला लिया, अब जाएं बहुत से काम हैं ।" (शेष पृष्ठ 49 पर)

नैतिक विकास और समानता का धर्म इस्लाम

■ विद्या प्रकाश

संसार में अनेकानेक धर्म प्रचलित हैं जिनका उद्देश्य मानव का सर्वांगीण चारित्रिक उत्थान व परोपकार, करुणा, सत्यनिष्ठा पर दु:ख कातरता, इन्द्रिय निग्रह तथा आत्मानुशासन जैसे गुणों का विकास करना है । इस्लाम में व्यक्ति के नैतिक तथा चारित्रिक विकास तथा समाज में समानता की स्थापना के उद्देश्य से जो प्रावधान किया गया है, वह अधिक व्यावहारिक, दूरदर्शितापूर्ण तथा सर्वोपयोगी है ।

जहां तक प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक ने जाना-समझा तथा महसूस किया है, इस्लाम अच्छे एवं बेहतरीन समाज की स्थापना पर अधिक ज़ोर देता है तथा यह मानकर चलता है कि यदि व्यक्ति का निजी आचरण तथा चरित्र सुधर जाए तो समाज स्वयंमेव सुधर जाएगा । इस्लाम में इसके लिए प्रतिदिन पांचों वक़्त की नियमित नमाज़ के अलावा साल भर में एक बार माहे रमज़ानुल मुबारक में रोज़ों का प्रावधान किया गया है ।

पांचों वक़्त की नमाज़ पढ़ने, माहे रमज़ान में रोज़ों को रखने तथा तिलावते कलाम पाक से अक़ीदतमंद व्यक्ति का चारित्रिक विकास खुद-बखुद हो जाता है । रोज़ा व नमाज़ उसे बुराइयों से बचाने में ढाल का काम करता है । इतना ही नहीं, इस्लाम की व्यवस्था में सामूहिक और विश्वव्यापी चेतना के विकास में सहायक है ।

इस्लाम जाति, पाति, भाषा-भूषा, रंग, क्षेत्र तथा नस्ल पर आधारित किसी भी प्रकार की भेदभावना से परे उठकर विश्व में समानता का भाव स्थापित करने का पक्षधर है तथा एतदर्थ उसमें चरणबद्ध सुनियोजित व्यवस्था की गयी है ।

व्यक्ति सप्ताह में एक दिन जुमा को मस्जिद में जाकर बाजमाअत नमाज़ अदायगी करता है । फिर वर्ष में वह ईदगाह में ईदुल फ़ित्र तथा ईदुल अज़हा की सामूहिक नमाज़ पढ़कर परस्पर गले मिलता तथा मुबारकबादी पेश करता है । फिर इससे एक क़दम आगे बढ़कर हर सामर्थ्यवान मोमिन के लिए ज़िन्दगी में कम से कम एक बार हज करना अनिवार्य है, जिसमें दुनिया के अनेक देशों के मुसलमान तमाम तरह की भाषाई, सामाजिक, भौगोलिक तथा देशगत भेद भावना भूलकर अल्लाह के दरबार में एक जगह इकट्ठा होते हैं तथा वे इस्लाम की विश्वव्यापी एकता का पैग़ाम देते हैं ।

इस प्रकार इस्लाम में जीवन के निजी दायरे से ऊपर क्रमश: उठकर विश्व्यापी स्तर तक आत्म-चेतना के विकास का सुन्दर सोपान विद्यमान है । इस्लाम में सामाजिक तथा आर्थिक अप्राकृतिक ग़ैर-बराबरी को दूर करके समानता की स्थापना का यह सुन्दर उदाहरण है । इस्लाम में धनाढ्य लोगों से ज़बरदस्ती धन छीनकर नहीं बल्कि ज़कात व ख़ैरात की शक्ल में ज़रूरतमंद ग़रीबों, मुफ़लिसों और मुहताजों को स्वेच्छापूर्वक देकर सामाजिक समानता की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो अंयत्र नहीं दृष्टिगत होता । ज़कात में हर मोमिन के लिए अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा ग़रीबों को देना अनिवार्य माना गया है ।

इस्लाम में सामाजिक समानता का यह एक सुन्दर उदाहरण है कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ते वक़्त अमीर-ग़रीब सब एक पंक्ति में अल्लाह के सामने खड़े होकर सजदा करते हैं ।

ऐसा नहीं है कि नमाज़ में अगली पंक्ति में पसमान्दा तबक़े का एक ग़रीब खड़ा है और वह बाद में नमाज़ पढ़ने के मक़सद से आने वाले एक मुसलमान मंत्री या अफ़सर के लिए हट जाए तथा जगह ख़ाली कर दे । अल्लाह के दरबार में सब बराबर हैं । मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए अगली पंक्ति में खड़े ग़रीब मज़दूर को पीछे की पंक्ति में खड़ा अमीर मुसलमान नहीं हटाता और वह इसे न अपनी शान में गुस्ताख़ी, तौहीन व हिमाक़त समझता है ।

व्यक्ति के चारित्रिक विकास तथा सामाजिक, आर्थिक समानता की ऐसी सुन्दर अवधारणा और उसका व्यावहारिक प्रदर्शन सिर्फ़ इस्लाम में ही मुमकिन है ।

सामाजिक न्याय, समानता और इस्लाम

■ डॉ॰ फ़रहत हुसैन

सामाजिक अन्याय और इन्सानों के बीच जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर भेदभाव प्राचीन युग से आज तक चला आ रहा है । यह भेदभाव आगे बढ़कर घृणा, दुश्मनी, अपमान, ज़ुल्म-ज़्यादती, अत्याचार और मानवाधिकार हनन तक पहुंच जाता है । निहित स्वार्थों के चलते भेदभावपूर्ण व्यवस्था के पक्ष में दलीलें इकट्ठा की गयीं, नियम क़ानून और सिद्धांत बनाए गये, यहां तक कि इस भेदभावपूर्ण नीति को धार्मिक मान्यता प्रदान की गयी । कई क़ौमों और देशों ने इसे अपनी स्थायी नीति बनाकर कार्य किये । यहूदियों ने अपनी क़ौम को अल्लाह की चहेती क़ौम ठहराया और धार्मिक कार्यों में भी ग़ैर-इस्राईलियों को नीचे स्तर पर रखा ।

हिन्दुओं के यहां वर्णाश्रम को धार्मिक मान्यता दी गयी, जिसके अनुसार ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना गया । उच्च वर्ग के अतिरिक्त सारे लोग 'दूसरे दर्जे' के ठहराए गये । शूद्रों को अतिहीन स्थिति में डाल दिया गया और उन्हें बुनियादी मानवाधिकार भी प्राप्त नहीं थे । रंगभेद ने अफ़्रीक़ा और अमेरिका के काले लोगों पर जो अत्याचार किये गये उनसे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं और आज तक जारी हैं । यूरोपीय लोगों ने अमेरिकी महाद्वीप में घुसकर वहां के मूल निवासियों, रेड इंडियन नस्ल पर इसी अवधारणा के तहत नस्लकुशी की । एशिया और अफ़्रीक़ा के कमज़ोर देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करके जो अमानवीय और भेदभावपूर्ण व्यवहार किये गये और आज इक्कीसवीं शताब्दी में भी जारी है उनका कारण भी यही सोच है कि हमारे देश और हमारी क़ौम से बाहर पैदा होने वालों की जान, माल और इज़्ज़त पर हाथ डालने में कोई बुराई नहीं है । पाश्चात्य देशों के जातिवाद ने एक जाति को दूसरी जातियों के लिए जिस प्रकार हिंसक बना दिया है उसके उदाहरण विश्व युद्ध के इतिहास से लेकर आज के समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों पर देखे जा सकते हैं ।

आधुनिक युग में इस समस्या का समाधान में भारत

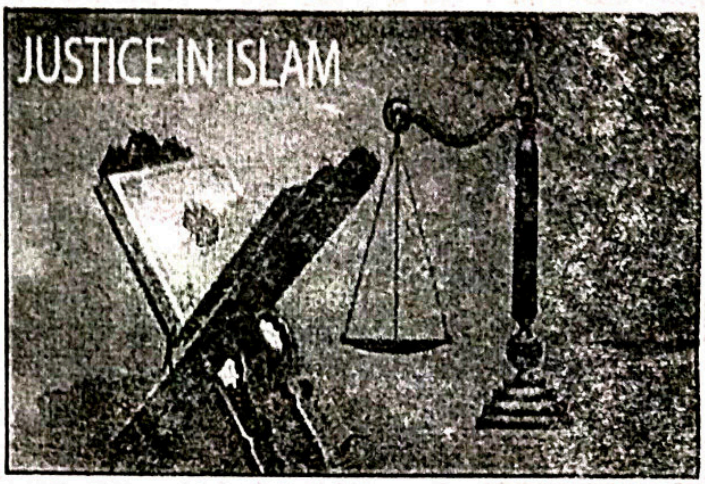

सहित अन्य देशों में जो क़दम उठाए गये उनकी सराहना की जानी चाहिए । मगर व्यवहार के धरातल पर उन्हें पूर्ण सफल नहीं कहा जा सकता । ऊंच-नीच, भेदभाव तथा अन्य सामाजिक समस्याओं के उन्मूलन में इस्लाम का योगदान प्रभावपूर्ण रहा है, जिसके निम्न कारण हैं–

1. इस्लाम अपने सुधारात्मक कार्य की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि अन्दर से करता है और इन्सान के अन्त:करण उसकी अन्तरात्मा को झंझोड़ता है । ईशभय, अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही तथा परलोक में ईश्वर के आशीष की प्राप्ति की आकांक्षा, इन्सान के व्यक्तित्व में मज़बूती प्रदान करता है । समाज सुधार के अन्य कार्यक्रमों का यह पहलू बहुत कमज़ोर रहा है ।

2. सामाजिक न्याय तथा इन्सानी बराबरी और भाईचारे को इस्लाम ने बड़ी गंभीरता से लिया । इस संबंध में एक अवधारणा प्रस्तुत की । यह अवधारणा पूर्ण तथा संतुलित होने के साथ-साथ व्यावहारिक अर्थात लागू करने योग्य थी और आज भी है । इस अवधारणा को इस्लामी विश्वासों से जोड़कर समाज में अमली तौर पर पूर्ण निष्पक्षता के साथ लागू किया गया है और सामाजिक न्याय और भाईचारे के ऐसे उदाहरण और नमूने पेश किये गये जो सुनहरे अक्षरों में लिखने योग्य हैं । इस्लाम ने अरबों की कायापलट कर दी । ऊंच-नीच, काले-गोरे, आक़ा और गुलाम का भेद समाप्त कर दिया । हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने सार्वजनिक

ऊंच-नीच का कोई आधार नहीं



घोषणा कर दी थी कि "अज्ञानताकाल की समस्त रूढ़िवादी परंपराएं मेरे पैरों तले हैं।" अर्थात पूर्णरूप से निरस्त कर दी गयी हैं। उनके अनुयायियों ने इस शिक्षा को गांठ में बांध लिया। और यही लोग जब इस्लाम का झंडा लेकर दूसरे देशों में पहुंचे तो वहां भी नस्ली भेदभाव समाप्त होता चला गया। अफ़्रीक़ा के काले जब इस्लाम की छत्र-छाया में आ गये तो इस्लामी बिरादरी का अटूट अंग बन गये जबकि इससे पहले वह जन्मजात गुलाम समझे जाते थे। इस्लाम से बाहर आधुनिक युग में आज भी उन्हें बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं है। तात्पर्य यह है कि इस्लाम ने सामाजिक न्याय के उसूल भी बनाए और उनको सोसायटी में लागू भी किया।

3. नैतिक चेतना और अंतरात्मा को अपील करने के साथ इस्लाम ने शासन-प्रशासन और क़ानून व्यवस्था द्वारा अधिक बिगड़े लोगों से सख़्ती से निपटने का प्रबंध भी किया और आचारसंहिता के साथ-साथ दंड विधान भी बनाया और उसे अंतिम विकल्प के रूप में पूर्ण निष्पक्षता के साथ समाज के सभी वर्गों पर लागू किया।

इस्लामी शिक्षाएं

सामाजिक न्याय तथा समता समानता संबंधी इस्लामी शिक्षाओं को यहां संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. सभी इन्सान एक जोड़े की सन्तान हैं

पवित्र क़ुरआन में अनेक स्थानों पर इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है–

"ऐ लोगो! हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और तुम्हें बिरादरियों और क़बीलों का रूप दिया ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो। वास्तव में अल्लाह के यहां तुम में सबसे अधिक प्रतिष्ठित वह है जो तुम में सबसे अधिक ईशभय रखता है।" (क़ुरआन, 49:13)

क़ुरआन के इस अंश में मानवजाति को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करके उस बड़ी बुराई का सुधार किया गया है जो सदैव विश्वव्यापी फ़साद के मूल में रही है अर्थात जाति, रंग, भाषा और क़ौम का भेदभाव, इसमें तीन महत्वपूर्ण बातें प्रस्तुत की गयी हैं–

पहली यह कि सभी इन्सानों का आरंभ एक है क्योंकि एक ही पुरुष और एक ही स्त्री से संपूर्ण मानवजाति का आविर्भाव हुआ है और आज तुम्हारी जितनी नस्लें भी दुनिया में पायी जाती हैं वे वास्तव में एक प्रारंभिक नस्ल की शाखाएं हैं। इस जीवन शृंखला में किसी जगह भी उस भेद और ऊंच-नीच के लिए कोई आधार नहीं पाया जाता जिसके भ्रम में तुम पड़े हुए हो। तुम्हारा स्रष्टा एक ईश्वर है, ऐसा नहीं है कि विभिन्न व्यक्तियों को अलग-अलग खुदाओं ने पैदा किया हो। एक ही प्रकार के तत्व से तुम्हारी रचना की गयी है। ऐसा नहीं है कि कुछ इन्सान किसी अच्छे तत्व से बनाए गये हों और कुछ दूसरे लोग किसी घटिया तत्व से बने हों। एक ही प्रक्रिया से तुम पैदा हुए हो, यह नहीं हुआ कि अलग-अलग लोगों की उत्पत्ति की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न हो। तुम एक ही मां-बाप की संतान हो, यह नहीं हुआ कि प्रारंभिक मानव जोड़े बहुत से रहे हों जिनसे दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों की आबादियां अलग-अलग पैदा हुई हों।

दूसरी यह कि अपने मूल के आधार पर एक होने पर भी तुम्हारा जातियों और वंशों में विभाजित हो जाना एक स्वाभाविक बात थी। पूरी धरती पर सारे इन्सानों का एक परिवार के रूप में बसना संभव न था इसलिए नस्ल बढ़ने के साथ-साथ अनेक परिवार बने और उनसे वंश और समुदाय बनते गये तथा रंग, रूप, भाषा और रहन-सहन में अन्तर भी आता चला गया। परन्तु इस स्वाभाविक अन्तर का

यह अर्थ कदापि नहीं था कि उसके आधार पर ऊंच-नीच और श्रेष्ठ व हीन के भेदभाव स्थापित किये जाएं। एक वर्ग दूसरे पर अपनी प्रधानता जताए, एक रंग के लोग दूसरे रंग के लोगों को तुच्छ और हीन समझें, या एक समुदाय दूसरे समुदाय पर अपनी उच्चता जमाए ! स्रष्टा ने जिस कारण इन्सानों को क़ौमों और वंशों के रूप में बनाया वह मात्र परिचय के लिए था। यह तो शैतानी हथकंडा है कि जिस चीज़ को परिचय का साधन बनाया गया था लोग उसे अभिमान और घृणा का साधन बना लें और फिर नौबत अत्याचार और शत्रुता तक पहुंच जाए।

तीसरी बात यह कि इन्सान और इन्सान के बीच 'उच्चता' का कोई आधार हो सकता है तो वह मात्र नैतिकता है। जन्म से सारे इन्सान बराबर हैं क्योंकि उनका रचयिता एक है, उनका रचना तत्व एक जैसा है, उनके पैदा होने की प्रक्रिया समान है तथा उनकी वंशावली एक ही माता-पिता तक पहुंचती है। किसी व्यक्ति का किसी विशेष जाति या देश या समुदाय में जन्म लेना एक संयोग की बात है, जिसमें उस व्यक्ति की इच्छा, पसन्द और प्रयास का कोई दख़ल नहीं, इसलिए ये श्रेष्ठता का आधार नहीं हो सकते। वास्तविक चीज़ जिसके कारण एक व्यक्ति को दूसरे की अपेक्षा उच्चता या श्रेष्ठता प्राप्त होती है वह यह है कि वह अपेक्षाकृत अधिक ईशभय रखने वाला, बुराइयों से बचने वाला और नेकी तथा पवित्रता के मार्ग पर चलने वाला हो। चाहे वो किसी जाति या क्षेत्र या रंग से संबंध रखता हो।

(कुरआन)

2. सभी की उत्पत्ति एक ही प्रकार से की गयी

इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार सभी इन्सानों के पैदा होने की प्रक्रिया तथा मूल तत्व एक समान हैं।

"हमने तुम्हें पैदा करने का निश्चय किया, फिर तुम्हारा रूप बनाया, फिर हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो।" (कुरआन, 7:11)

"वही है जिसने पैदा किया तुम्हें मिट्टी से फिर वीर्य से फिर रक्त के लोथड़े से फिर वह तुम्हें बच्चे के रूप में निकालता है। (कुरआन, 40:67)

"अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया फिर वीर्य से फिर तुम्हें जोड़े-जोड़े बनाया।" (कुरआन, 35:11)

3. सभी इन्सान ईश्वर की उत्तम रचना हैं

"निस्संदेह हमने मनुष्य को सर्वोत्तम संरचना के साथ पैदा किया।" (कुरआन, 95:4)

"हे मनुष्य ! किस चीज़ ने तुझे अपने उदार प्रभु के विषय में धोखे में डाल रखा है। जिसने तेरा रूप बनाया फिर नख-शिख से दुरुस्त किया और तुझे संतुलन प्रदान किया।" (कुरआन, 82:6-7)

"अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए धरती को ठहरने का स्थान और आकाश को एक भवन के समान बनाया और तुम्हारी शक्ल व सूरत (रूप) बनायीं और क्या ही अच्छे रूप प्रदान किये। (कुरआन, 40:64)

4. इन्सान को ईश्वर ने ससम्मान धरती में बसाया

"हमने आदम की संतान को श्रेष्ठता प्रदान की और उन्हें थल और जल में सवारी दी और अच्छी शुद्ध चीज़ों की उन्हें रोज़ी दी और अपने पैदा किये हुए बहुत से प्राणियों की अपेक्षा उन्हें श्रेष्ठता प्रदान की।" (कुरआन, 17:70)

तात्पर्य यह है कि ईश्वर ने इन्सान को धरती पर आदरपूर्वक रखा है और उन्हें अपनी नेमतें प्रदान की हैं इस सम्मान और आशीश में आदम की संपूर्ण नस्ल सम्मिलित है। ऐसा नहीं है कि एक वर्ग को यह गौरव प्राप्त हो और दूसरे को नहीं। ऊंच-नीच, आदर और अनादर इन्सानों के अपने क़ानून तो हो सकते हैं ईश्वर के नहीं। उसकी दृष्टि में सब बराबर हैं।

5. ज्ञान की शक्ति के साथ पैदा किया

इन्सान को ज्ञान प्रदान किया। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। आदम (अलैहि॰) को ज्ञान दिया गया (कुरआन, 2:31-33)। उनके बाद उनकी संपूर्ण मानवजाति को ज्ञान का प्रकाश दिया गया–"मनुष्य को वह ज्ञान प्रदान किया जिससे वह अनभिज्ञ था।" (कुरआन, 96:5)

"रहमान (दयालु प्रभु अल्लाह) ने कुरआन सिखाया, उसी ने मनुष्य को पैदा किया, उसे बोलना सिखाया।" (कुरआन, 55:1-4)

6. इस्लामी आस्था के सभी बिन्दु मानवीय समानता के पक्षधर हैं

इस्लाम की सभी बुनियादी आस्थाएं इन्सान-इन्सान के बीच समता व समानता को बढ़ावा देती हैं–

● **एक ईश्वर में विश्वास**–इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार अल्लाह संपूर्ण मानवजाति का पालनहार है । कुरआन के सबसे पहले मंत्र में यह घोषणा कर दी गयी–

"सारी प्रशंसा संपूर्ण जगत के पालनहार के लिए हैं ।"
(कुरआन, 1:1)

तात्पर्य यह है कि अल्लाह किसी विशेष वर्ग या जाति का रब नहीं, सारे जहान का रब है इसलिए सभी मनुष्य उसके पैदाइशी बन्दे हैं इसीलिए कुरआन अनेक स्थानों पर सीधे इन्सानों को संबोधित करता है–

"ऐ लोगो ! बन्दगी करो अपने पालनहार की जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया, ताकि तुम बच सको ।" (कुरआन, 2:21)

● **हज़रत मुहम्मद सबके लिए**–एक ईश्वर में विश्वास के बाद, इस्लामी आस्था का दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु ईशदूतत्व है । अंतिम ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) सारे इन्सानों के रहनुमा हैं–

"कहो, ऐ लोगो ! मैं तुम सबके लिए अल्लाह का रसूल हूं ।" (कुरआन, 7:158)

"हमने तो आपको सारे ही मनुष्यों को इकट्ठा करने वाला, शुभ सूचना देने वाला और सावधान करने वाला बनाकर भेजा, किन्तु अधिकतर लोग जानते नहीं ।"
(कुरआन, 34:28)

आप (सल्ल०) संपूर्ण जगत के लिए दयालुता हैं–

"हमने आपको संपूर्ण जगत के लिए रहमत (दयालुता) बनाकर भेजा है ।" (कुरआन, 21:107)

● **धर्म ग्रंथ सबके लिए**–ईश्वर का अंतिम संदेश पवित्र कुरआन सभी इन्सानों के मार्गदर्शन के लिए अवतरित किया गया–

"रमज़ान के महीने में कुरआन अवतरित हुआ लोगों के मार्गदर्शन के लिए ।" (कुरआन, 2:185)

"ऐ लोगो ! तुम्हारे पास आ गयी है नसीहत तुम्हारे रब की ओर से और इसमें उपचार है जो रोग सीनों में हैं और मार्गदर्शन और रहमत है आस्थावानों के लिए ।"
(कुरआन, 10:57)

● **परलोक**–मरने के बाद के जीवन में इस लोक के कर्मों का हिसाब सभी से होगा और अल्लाह पूरे इन्साफ़ के साथ अच्छा बदला या सज़ा देगा । स्वर्ग के आनन्द या नरक की यातनाएं कर्मों के आधार निर्धारित होंगी न कि जाति और वर्ग के आधार पर । इसमें किसी प्रकार का भेदभाव या सिफ़ारिश नहीं चलेगी ।

7. इबादत में समानता

इस्लाम में चार प्रकार की इबादतें या उपासनाएं हैं–नमाज़, रोज़ा, ज़कात व हज । इन सबके द्वारा मनुष्यों में आध्यात्मिक उत्थान के साथ-साथ नैतिक व सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है । ऊंच-नीच, भेदभाव तथा असमानता को समाप्त करने की इससे अच्छी कोई दूसरी रीति संसार में कहीं भी नहीं पायी जाती । इन चारों के सामाजिक समरसता में योगदान पर संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत है–

नमाज़ : निराक़ार ईश्वर की स्तुति हेतु दिन रात में पांच बार प्रत्येक मुस्लिम मर्द-औरत पर फ़र्ज़ है कि वह उसके सामने खड़ा हो, उसकी शिक्षाओं को पढ़े, उसके आगे झुके, उसे शीष नवाए, उसका गुणगान करे । अपनी याचना उसके आगे प्रस्तुत करे । यह फ़र्ज़ हर एक व्यक्ति पर लागू है चाहे वह किसी भी जाति या नस्ल का हो और कहीं भी निवास करता हो । सामूहिक रूप से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के समय सामाजिक एकता का अद्भुत नमूना देखने को मिलता है । सभी श्रेणी के मुसलमान, अमीर-ग़रीब, मंत्री संतरी, काले-गोरे एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर नमाज़ पढ़ते हैं । नमाज़ की अगुवाई या इमामत के लिए कोई जाति या उपाधि निर्धारित नहीं है । मात्र ज्ञानी और ईश-भय रखने वालों को इमाम बनाने में वरीयता दी जाती है ।

रोज़ा : उपवास और व्रत सभी धर्मों में है । इस्लाम में एक माह, रमज़ान के महीने में पूरे विश्व में एक साथ रोज़े फ़र्ज़ किये गये । सुबह से शाम तक खान-पान और सहवास से बचना, बुराइयों से दूर रहना और ग़रीबों, दबे-कुचलों, भूखे लोगों की ख़बरगीरी करने पर उकसाया गया है । भेदभाव को मिटाने तथा समाज के कमज़ोर वर्ग से सहानुभूति पैदा करने में यह इबादत बहुत कारगर है ।

ज़कात : ज़कात समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों हेतु अनिवार्य दान है । यह सामाजिक भाईचारे को

बढ़ाने का बड़ा साधन है । यह दान-पुण्य आम लोगों के लिए है, किसी विशेष जाति का इस पर अधिकार नहीं है, बल्कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपने परिवार की भावी पीढ़ियों पर ज़कात का दान खाने की मनाही कर रखी है ताकि यह दान-पुण्य किसी एक वर्ग का विशेषाधिकार होने से बचा रहे ।

हज : यह तीर्थ यात्रा हर वर्ष होती हैं जो इस यात्रा का व्यय वहन कर सके वह जीवन में एक बार इस फ़र्ज़ को पूरा करे । पूरी दुनिया के मुसलमान इस इबादत के लिए एक ही समय में मक्का नगर में इकट्ठा होते हैं और हर तीर्थ यात्री (हाजी) एक ही लिबास में दो सफ़ेद चादर ओढ़े हुए होता है । काले-गोरे, अमेरिकी अफ़्रीकी, हिन्दी, चीनी सब एक लिबास में परिक्रमा नमाज़ आदि अदा करते हैं । विश्व भाईचारे और समानता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं ।

8. हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की शिक्षाएं

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का संपूर्ण जीवन भेदभाव को समाप्त करने को समर्पित था जिसके उदाहरण इतिहास के पन्नों में देखे जा सकते हैं । यहां सामाजिक न्याय के संबंध में आपकी शिक्षाओं को उल्लिखित किया जा रहा है–

अन्तिम हज के भाषण के उद्धरण

"लोगो ! मेरी बात ध्यान से सुनो, हो सकता है इस वर्ष के बाद इस स्थान पर मैं तुमसे कभी न मिल सकूं । अज्ञानकाल को समस्त रीतियां मेरे पैर के नीचे हैं । तुम सबका प्रभु एक है और बाप भी एक है । किसी अरब वाले को किसी ग़ैर-अरब पर बड़ाई नहीं, न किसी गोरे को किसी काले पर, हां बड़ाई तो केवल ईशभय के आधार पर है ।"

(बैहक़ी)

मक्का विजय के अवसर पर फ़रमाया

"शुक्र है उस प्रभु का जिसने तुम्हें अज्ञानकाल के घमंड से दूर कर दिया । सारे मनुष्य मात्र दो भागों में विभाजित होते हैं–एक सदाचारी व संयमी जो अल्लाह की दृष्टि में सम्मान वाले हैं, दूसरे दुराचारी और दुष्ट जो अल्लाह की नज़र में अपमानित और तुच्छ हैं । सारे इन्सान आदम की सन्तान हैं और आदम को मिट्टी से पैदा किया था ।"

(बैहक़ी)

■ "अल्लाह प्रलय के दिन तुम्हारा गोत्र या वंश नहीं पूछेगा, अल्लाह के यहां सम्मान वाला वह है जो सबसे अधिक ईशभय रखता है ।" (इब्ने-जरीर)

■ "अल्लाह तुम्हारी सूरतें और तुम्हारी दौलत नहीं देखता, वह तो तुम्हारे मन और कर्म देखता है ।"

(मुस्लिम)

असमानता पर कुठाराघात

इस्लाम एक ओर तो समता समानता और सामाजिक न्याय को धरती पर देखना चाहता है तो दूसरी ओर ऐसे तमाम कारणों व कारकों को समूल नष्ट करता है जो नाबराबरी को पैदा करते तथा उसे पोषित करते हैं । मुख्य बिन्दु इस प्रकार है–

1. जाति, नस्ल (Race)

आदमी किस जाति में पैदा हुआ यह प्राचीनकाल से आज तक ऊंच-नीच और असमानता का महत्वपूर्ण कारक रहा है । भारत में दलित, अरब में ग़ैर-अरब और दास, यहूदियों में अपनी नस्ल से बाहर के लोग वह रुतबा न रखते जो सवर्ण या अरब वाले या यहूदी रखते थे । इसी तरह यूनानी, ईरानी, अलग-अलग सामाजिक स्थान रखते थे । इस्लाम ने इसको समाप्त किया कि तुम एक जोड़े की संतान हो । अलग-अलग क़बीले और गोत्र, छोटा-बड़ा नहीं बनाते, यह तो मात्र पहचान के लिए है ।

2. रंग (Colour)

भेदभाव का बड़ा कारण आदमी की त्वचा का रंग भी रहा है । काले (Negroes) तथा गोरे (Whites) के बीच रंग भेद पर बहुत कटुता रही है । गोरे, कालों को इन्सान मानने को तैयार नहीं थे । अनेक प्रयासों के बाद भी अपेक्षित सुधार नहीं लाया जा सका । पवित्र कुरआन में विभिन्न रंग होना एक प्राकृतिक मामला बताया गया है ।

(कुरआन, 35:27,28)

अन्तिम हज में ऐतिहासिक भाषण में महाईशदूत (सल्ल०)ने फ़रमाया, 'लोगो ख़बरदार रहो ! तुम सबका रब एक है । किसी अरबवासी को ग़ैर-अरब पर वरीयता नहीं और किसी गोरे को किसी काले पर कोई बड़ाई नहीं ।" (बैहक़ी)

3. भाषा

भाषा के आधार पर किसी को ऊंचा-नीचा समझने को इस्लाम स्पष्ट रूप से नकारता है । अरबवासी अपनी भाषा पर इतना अधिक गर्व करते थे कि अरबी न बोलने वालों को 'गूंगा' कहते थे । कुरआन ने बताया कि ईश्वर ने हर समुदाय में अपने दूत भेजे और वे अपनी क़ौम की भाषा ही बोलते थे । (कुरआन, 14:4)

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपने शिष्यों को हेब्रु तथा सुरयानी आदि विदेशी भाषा सीखने को प्रेरित किया ।

4. क्षेत्रवाद

इन्सानों के पैदा होने तथा रहने-बसने के स्थानों को भी ऊंच-नीच और भेदभाव का कारण बना लिया गया । अलग-अलग क्षेत्रों में जीवन व्यतीत करने को इस्लाम एक स्वाभाविक क्रिया के रूप में देखता है जैसा कि कुरआन के इस अंश से स्पष्ट है–

"और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर क्या देखते हैं कि तुम इन्सान हो फैलते जा रहे हो ।" (कुरआन, 30:20)

"कह दो ! वही है जिसने तुम्हें धरती में फैलाया और उसी की ओर तुम एकत्र किये जा रहे हो ।

(कुरआन, 67:24)

5. पेशा

इन्सान अपनी रोज़ी-रोटी कमाने के लिए कौन-सा पेशा अपनाता है यह ऊंच-नीच का एक बड़ा कारण बना । भारतीय सामाजिक व्यवस्था में इसकी जड़े बहुत गहरी हैं । दूसरे स्थानों पर भी यह सामाजिक असमानता का बड़ा कारक है । आध्यात्म तथा विद्या के क्षेत्र से जुड़े लोगों को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था । सेवा कार्य करने वालों को नीचा स्थान मिला । सेवकों में भी दर्जा बन्दी हुई और कुछ दलित और शूद्र कहलाए । इस्लाम ने भेदभाव के इस द्वार को बन्द किया । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने श्रम को सम्मान प्रदान किया । आपने फ़रमाया–

"किसी ने इससे बेहतर रोटी कभी न खायी कि अपने हाथ की कमायी से खाये । अल्लाह के संदेशवाहक हज़रत दाऊद (अलैहि०) अपने हाथ के परिश्रम की कमाई खाते थे । (बुखारी)

शारीरिक श्रम करके कमाने वालों को आपने सदा सम्मान दिया तथा उन्हें प्रोत्साहित किया । इससे समाज में पेशों को लेकर भेदभाव उत्पन्न न हो सका ।

6. समुदायवाद

अपने समुदाय या क़बीले या रिश्तेदारों को दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ समझना और उनके ग़लत कार्यों में भी साथ देना, यह मानसिकता भी सामाजिक न्याय की स्थापना में रुकावट रही है । पवित्र कुरआन में शिक्षा दी गयी–"ऐ लोगों जो ईमान लाए हो ! तुम अल्लाह के लिए इन्साफ़ पर मज़बूती से चलने वाले, इन्साफ़ की गवाही देने वाले बनो । देखो, कहीं ऐसा न हो कि किसी विशेष संप्रदाय की शत्रुता तुम्हें न्याय से विचलित कर दे ।" (कुरआन, 5:8)

प्राचीन समय से अब तक 'मेरी क़ौम' (My Community) का नारा इन्सानियत को तबाह करता रहा है । क़बिलियाई मारकाट से लेकर विश्व युद्ध तक इससे अछूते नहीं रहे हैं । ग़लत कार्य में अपनी क़ौम को पुकारने को हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अज्ञानता और नरक का मार्ग बताया है । आप (सल्ल०) ने एक सुन्दर उपमा देकर इस मानसिकता को उजागर कर दिया–

"जो कोई अपनी क़ौम की नाहक़ बात पर मदद करे तो उसकी मिसाल ऐसी है कि किसी का ऊंट कुंए में गिर रहा हो और तुम उसकी दुम पकड़ कर ख़ुद भी कुंए में जा गिरो ।"

7. महिलाओं के दर्जे को उठाया

इस्लाम ने समाज में औरत के दर्जे (Status) को ऊपर उठाया । कई धर्मों में औरतों को पापजननी बताया गया था, इस्लाम ने महिला वर्ग के इस कलंक को धोया । मां के रूप में उसे अति सम्मानित किया । 'मां के पैरों तले जन्नत' की शुभ सूचना दी । बेटी को पैदा होने को मुबारक अच्छा शगुन बताया और उनके लालन-पालन को स्वर्ग मिलने का माध्यम बताया । बेटों को उन पर वरीयता देने से रोक दिया । विवाह के समय उनकी सहमति को महत्व दिया । उन्हें विवाह धन (मेहर) प्राप्त करने का अधिकारी बनाया । आर्थिक स्वतंत्रता और पिता, पति, पुत्र की विरासत में हिस्सेदार बनाया । इस प्रकार औरत के साथ हो रहे भेदभाव को इस्लाम ने समाप्त किया ।

भ्रष्टाचार निवारण की सामाजिक ज़िम्मेदारियां

● संपादन प्रभाग

15 अगस्त 1947 को देश के स्वातंत्र्योपरांत हमने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया तथा जाति, धर्म संप्रदाय, लिंग, क्षेत्र और भाषा-भूषा पर आधारित भेद-भावना से ऊपर उठकर 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' के आदर्श मानवीय संकल्प को हमने संवैधानिक मान्यता प्रदान की। कालांतर में समय बीतने के साथ ही अपनी इस लोकतांत्रिक जीवन यात्रा में हम अपने मानवीय संकल्प तथा आदर्श उद्देश्य से भटक गये और व्यापक राष्ट्र बोध एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों के अभाव में देश में जातिवाद, सम्प्रदायवाद, अनैतिकता, भ्रष्टाचार आदि के अलग-अलग रूपों में विकृतियों तथा समस्याओं का ख़तरनाक जाल फैलने लगा।

सामाजिक विकृतियों तथा समस्याओं के मकड़जाल में लोकतांत्रिक आदर्श उलझ तथा दिग्भ्रमित हो गया। आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र में नैतिक मूल्यों का पतन सामान्य बात हो गयी है। लोकतांत्रिक मूल्य दुर्बल हो गये हैं तथा जनतांत्रिक व्यवस्था पर धन बली, गन बली, बाहु बली, अपराधी, माफ़िया सरग़ना तथा भ्रष्टाचारी भारी साबित हो रहे हैं, जो अपने स्वार्थपूर्ति के लिए जनतांत्रिक परंपराओं, मर्यादाओं तथा लोकनिष्ठ मूल्यों को ध्वस्त करने का कोई अवसर बाक़ी नहीं छोड़ रहे हैं। वर्तमान भ्रष्ट विकृत व्यवस्था पर लोकतंत्र का ख़ूबसूरत लेबल चस्पा कर जनसाधारण को भ्रमित किया और मूर्ख बनाया जा रहा है। आम जनता भी ऐसी है जो दशकों से भ्रष्ट सियासतबाज़ों तथा नौकरशाहों के झांसे में आकर जाने-अनजाने बेवक़ूफ़ बन रही हैं। वर्तमान भ्रष्ट तंत्र के लिए जनता कम दोषी नहीं है तथा वह ग़लत क़िस्म के लोगों को चुनकर जनप्रतिनिधि सभाओं में चुनकर भेजती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण स्तर पर ग्राम प्रधान, ज़िला पंचायत सदस्य तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य से लेकर विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव तक ज़्यादातर मतदान प्रत्याशियों के चरित्र तथा गुणावगुण पर ध्यान देकर मतदान नहीं करते। थोड़े मतदाता ही गंभीरतापूर्वक औचित्यानौचित्य का विचार कर अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग करते हैं। अधिकतर मतदाता स्वार्थपूर्ण संकीर्णताओं से प्रभावित होकर मतदान करते हैं तथा वे मतदान करने से पूर्व यह जानने तथा समझने का प्रयास कभी नहीं करते कि जिस प्रत्याशी के पक्ष में हम अपने संविधान प्रदत्त मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उसका चरित्र, व्यक्तित्व तथा आचार-विचार कैसा है तथा वह चुने जाने योग्य है अथवा नहीं। वोटरों का एक बड़ा भाग ऐसा है जो जाति-बिरादरी के नाम पर मतदान करता है। उसको प्रत्याशियों के चरित्र से मतलब नहीं रहता। प्रत्याशी बस उसकी बिरादरी अथवा हल्क़े का होना चाहिए। नेता और सांसद तथा विधायक ही बिकाऊ नहीं होते। मतदाता भी बिकाऊ होता है। भ्रष्ट आपराधिक चरित्र के उम्मीदवार चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के मक़सद से नोट, शराब का पाउच, कंबल, साड़ी आदि का मतदाताओं में वितरण करवाते हैं।

जिस प्रत्याशी ने चुनाव में शराब की बोतल लुंगी, कंबल तथा साड़ी बंटवा दिया, मतदाता उसी के समर्थन में प्रचार तथा मतदान करते हैं। ग्रामीण मतदाताओं में ऐसी मान्यता है–कच्ची दारू, कच्चा वोट। पक्की दारू, पक्का वोट। मुर्ग़ा-दारू, खुल्ला वोट। यह सूरतेहाल कितनी ख़तरनाक और चिंताजनक है, इसका सहज ही अंदाज़ा किया जा सकता है। इस हथकंडे को भी बन्द करना होगा।

जिस प्रत्याशी ने चुनाव में शराब की बोतल लुंगी, कंबल तथा साड़ी बंटवा दिया, मतदाता उसी के समर्थन में प्रचार तथा मतदान करते हैं। ग्रामीण मतदाताओं में ऐसी मान्यता है–कच्ची दारू, कच्चा वोट। पक्की दारू, पक्का

वोट । मुर्ग़ा-दारू, खुल्ला वोट । यह सूरतेहाल कितनी ख़तरनाक और चिंताजनक है, इसका सहज ही अंदाज़ा किया जा सकता है । इस हथकंडे को भी बन्द करना होगा ।

ऐसा नहीं है कि सभी प्रत्याशी इसी तरीक़े से विजयी होते हैं । उम्मीदवारों में ईमानदार उसूल पसन्द तथा चरित्रवान भी होते हैं । मगर ज़्यादातर स्थिति ठीक नहीं है । हम एक किलो, आधा किलो आलू ख़रीदने के उद्देश्य से सब्ज़ीमंडी जाते हैं तथा जांच परख कर ही आलू ख़रीदते हैं । सब्ज़ी विक्रेता सड़ा आलू तो नहीं दे रहा है, घटतौली तो नहीं कर रहा है तथा सही मात्रा में दे रहा है या नहीं, इस बात का पूरी तरह से इत्मीनान करने के बाद ही हम दुकान से आलू ख़रीदते हैं, मगर जिस प्रत्याशी के कंधे पर आगामी पांच सालों के लिए देश और समाज का भविष्य सौंपते हैं, हम उसके किरदारों-क़ाबिलियत पर संजीदगी से ग़ौर करने की आवश्यकता और औचित्य नहीं महसूस करते । जब ग़लत भ्रष्ट आपराधिक वृत्ति के प्रत्याशी विधायक या सांसद के रूप में निर्वाचित होकर विधानसभाओं तथा लोकसभा में जाते हैं तो उनसे हम सदाचरण तथा लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुपालन की उम्मीद करते हैं ।

दूसरी तरफ़ ईमानदारी और सच्चाई से ज़िन्दगी व्यतीत करने वाले व्यक्ति को लोग हीन दृष्टि से देखते हैं तथा उसके बारे में लोगों की अमूमन यही राय होती है, 'यह तो ख़ुद मरगिल्ला है । लड़की की शादी में दहेज में चार-छह लाख रुपया यह कहां से दे पाएगा । इसके यहां रिश्ता करना बेकार है ।'

हम यह महसूस करने की तनिक भी आवश्यकतानुभूति नहीं करते कि जो प्रत्याशी चुनावकाल में अपनी विजय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लुंगी, साड़ी, शर्ट-पैंट आदि का पीस तथा कंबल ग्रामवासियों में बंटवा रहा है तथा बाटी, चोखा, दारू-मुर्ग़ा, बिरयानी, क़बाब वग़ैरह में हज़ारों रुपया ख़र्च कर रहा है, विजय के बाद वह उसका दस गुना ग़लत ढंग से वसूल कर लेगा । हम यह नहीं सोचते कि जिस देश में चुनाव की बुनियाद ही झूठ, लोभ तथा भ्रष्टाचार की ज़मीन पर टिकी हो, उस मुल्क का भविष्य कैसा होगा । ज़्यादातर मतदाताओं को इस बात से मतलब नहीं रहता कि चुनाव में खड़ा प्रत्याशी कैसा है । उन्हें तो सिर्फ़ चुनाव में बांटे जाने वाली चीज़ों से मतलब रहता है । वे सोचते हैं–जब तक चार दिन की चांदनी है, मज़ा ले लो । बहती गंगा में हाथ धो लो । चुनाव जीतने के बाद फिर किसको कौन पूछता है । मौजूदा जनतांत्रिक व्यवस्था के संबंध में एक शायर का यह कथन एकदम सत्य है–जम्हूरियत वह तर्ज़-हुकूमत है जिसमें बन्दों को गिना जाता है, तौला नहीं ।

राजनीति तथा सरकारी सेक्टर में ही भ्रष्टाचार नहीं है । प्राइवेट सेक्टर तथा सामान्य जनजीवन में भी शक्ल बदल-बदलकर भ्रष्टाचार कम नहीं है तथा रिश्वत ली ही नहीं, दी भी जाती है । समाज में ऐसे लोगों की तादाद कम नहीं है जो न्यायालय में मनमाफ़िक़ फ़ैसले करवाने, बेरोज़गार पुत्र की नौकरी लगवाने, वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण करवाने या प्राप्तांक के प्रतिशत में वृद्धि, मनचाहे जनपद में स्थानांतरण वग़ैरह कार्यों के लिए जुगाड़ लगाते हैं तथा वे एतदर्थ रुपया बतौर रिश्वत देने को सहर्ष तैयार रहते हैं । उनका कहना होता है–रुपया चाहे जो लगे, काम हो जाना चाहिए । जनता के बीच के ही लोग शीघ्र काम करवाने के लिए रिश्वत देते हैं । जनता में ही ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो दूध तथा खाद्य पदार्थों में मिलावटख़ोरी, मुनाफ़ाख़ोरी तथा घटतौली करते हैं । दुकानदार दाम बढ़ाकर घटिया सामान ख़रीददार को देता है । क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है ?

भ्रष्टाचार को समाज में शिष्टाचार की मान्यता मिल रही है । जिस बुराई को शिष्टाचार के रूप में मान्यता तथा स्वीकृति मिलने लगे, उसे समाप्त करना मुश्किल होता है । हमारी आपकी ज़िन्दगी के आसपास ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है, जब किसी युवक को नौकरी मिलने पर अथवा नौकरी करने वाले व्यक्ति के स्थानांतरण के उपरांत दूसरी जगह जाने पर शुभचिंतक मित्र तथा सगे-संबंधी उससे पूछते हैं–कुछ ऊपरी आमदनी हो जाती है या नहीं । नौकरी करने

के आठ दस साल के अन्दर ग़लत तरीक़े से धनोपार्जन कर जो व्यक्ति शहर में पक्का आलीशान दो मंज़िला मकान बनवा लेता है तथा घर में रंगीन टी॰वी॰, डी॰वी॰डी॰, फ्रिज़, स्कूटर, मोबाइल आदि की व्यवस्था कर लेता है, उसे बड़ा आदमी माना जाने लगता है तथा लोग यह नहीं सोचते कि उसके पास इतना पैसा आया कहां से ?

समाज में अनेक ऐसे समाज सेवी संगठनों के पदाधिकारी तथा विद्यालयों के प्रबंधक तथा प्राचार्य हैं जो सांसद निधि तथा विधायक निधि में भी दस-बीस लाख रुपया पाने के लिए भ्रष्ट एम॰पी॰ तथा एम॰एल॰ए॰ को खुश करने हेतु कार्यक्रम में उनका स्वागत अभिनन्दन तथा माल्यार्पण करते हैं ।

जिस भ्रष्ट जनप्रतिनिधि का बहिष्कार तथा तिरस्कार किया जाना चाहिए, दस-पांच लाख रुपयों की लालच में उसका मिथ्या प्रशस्ति गान, ठकुरसुहाती, खुशामद तथा चाटुकारिता क्या उचित एवं आवश्यक है ?

सरकारी तौर पर क्षेत्रीय विकास कार्य करवाने के लिए मिलने वाली निधि में सांसद तथा विधायक कम कमीशनख़ोरी नहीं करते । उनकी निधि से लाभांवित होने वाले व्यक्ति अथवा संस्था के पदाधिकारीगण सोचते हैं–'एम॰पी॰ या एम॰एल॰ए॰, एम॰एल॰सी॰ का कैरेक्टर कैसा है, हमें इससे क्या लेना-देना तथा क्या वास्ता सरोकार । यदि उसको माल्यार्पण तथा मौखिक खुशामद से हमें चालीस प्रतिशत कमीशन काटने के बावजूद 60 प्रतिशत का फ़ायदा होने वाला है, तो इसमें बुराई, ख़राबी और हर्ज़ क्या है । भ्रष्टाचार रोकने का हमने ठीका थोड़े ही ले रखा है । बिना हर्रे-फ़िटकिरी लगाये रंग चोखा हो रहा है तो इसमें किसी को क्यों बुराई नज़र आती है ।'

दूसरी तरफ़ ईमानदारी और सच्चाई से ज़िन्दगी व्यतीत करने वाले व्यक्ति को लोग हीन दृष्टि से देखते हैं तथा उसके बारे में लोगों की अमूमन यही राय होती है, 'यह तो खुद मरगिल्ला है । लड़की की शादी में दहेज में चार-छह लाख़ रुपया यह कहां से दे पाएगा । इसके यहां रिश्ता करना बेकार है ।'

एक तरफ़ जनता स्वयं प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती और भ्रष्टाचारियों को पुरस्कृत तथा ईमानदारों को तिरस्कृत करती है तथा दूसरी तरफ़ जब भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम महंगाई तथा सरकारी डॉक्टर के ग़लत इंजेक्शन से परिवार के सदस्य की मौत की शक्ल में सामने आता है तो वह भ्रष्टाचार का रोना रोती है । हम दूसरों से भ्रष्टाचार दूर करने की उम्मीद तो ख़ूब करते हैं मगर ख़ुद सुधरने का प्रयास तथा संकल्प नहीं करते ।

कुछ दिनों पूर्व दिल्ली के रामलीला मैदान में जनलोकपाल विधेयक के समर्थन तथा भ्रष्टाचार के विरोध में अन्ना हज़ारे द्वारा संचालित आन्दोलन में ऐसे भी लोग शामिल थे और ऐसे भी लोग उनकी हिमायत में कैंडल मार्च कर रहे थे जो ख़ुद भ्रष्ट थे और जिन्होंने अवैध रूप से लाखों-करोड़ों रुपये की चलाचल संपत्ति अर्जित-संचित कर रखी थी । भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई में भ्रष्ट ईमानदारी का तमग़ा हासिल करने में सबसे आगे व अव्वल थे । जब तक हम ख़ुद नहीं सुधरेंगे तथा भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने की लड़ाई की शुरुआत हम आत्मसुधार से नहीं करेंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होने वाला है ।

ग़ज़ल

पांव तले धरती, आंखों में नभ का हम आभास लिए
तपती रुत में भी चलते हैं मेघों का विश्वास लिए ।

हलधर हैं तो सर्दी, गर्मी, वर्षा सब-कुछ सहना है
हम चलते-फिरते हैं अपने सिर पर बारह मास लिए ।

जैसे जीते आये हैं हम मर जाएंगे वैसे ही
हम भूखों की भूख हृदय में, हर प्यासे की प्यास लिए ।

मधुबन और बहारों से है क्या लेना-देना हमको
हम कांटों में रह लेते हैं फूलों का एहसास लिए ।

शहरों से जब भी ख़त आये गांवों ने उत्तर भेजा
हमको यहीं रहने दो अपनी माटी की बू-बास लिए ।

ऋषि कुमार मिश्र
बी-303, साईंधाम अपार्टमेंट, चिकनघर,
कल्याण (प॰)

टैगोर की नज़र में राष्ट्रवाद मानवता संहारी

■ डॉ॰ सुरेश खैरनार

पुराणों में भस्मासुर नाम के राक्षस की एक कहानी मशहूर है । वह जिस किसी के भी सर पर हाथ रखता था, वह भस्म हो जाता था । आजकल संघ परिवार ने उसी भस्मासुर का रूप ले लिया है । उसने हमारे राष्ट्र पुरुषों के सर पर हाथ रखना शुरू किया है । स्वामी विवेकानंद से योगी अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी तक उनके लपेट में आ गये और अब रवींद्रनाथ टैगोर की नौबत आ गयी । वर्तमान सरसंघचालक मोहन भागवत ने मध्य प्रदेश के सागर संघ शिविर में अपने भस्मासुर के रूप का परिचय देते हुए कहा कि रवींद्रनाथ टैगोर ने अपने स्वदेशी समाज नामक किताब में हिंदू राष्ट्र की संकल्पना और आह्वान किया है (मराठी दैनिक लोकसत्ता, नागपुर, दि । 20-01-2015 अंक)।

पहली बात यह कि स्वदेशी समाज नाम की कोई किताब नहीं, बल्कि वह कुल तीस पन्नों का एक निबंध है जो टैगोर ने बंगभंग (1905) के तुरंत बाद वहां की पानी की समस्या से संबंधित एक टिप्पणी के रूप में लिखा था । उन्होंने उसमें हिंदू राष्ट्र का कहीं भी समर्थन नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसमें यह कहा था कि आर्यों ने जब भारत पर आक्रमण किया, तब किस तरह यहां की स्थानीय जातियों ने उन्हें अपने भीतर समा लिया । बाद में फिर मुसलमान आएं, उन्हें भी इसी तरह अपना लिया गया । इस भूमि की इसी ख़ासियत को उन्होंने इस निबंध में उजागर किया । महत्व की बात यह है कि टैगोर ने हमेशा नेशन स्टेट (राष्ट्र-राज्य) संकल्पना की आलोचना की है ।

उन्होंने उसे 'यह शुद्ध यूरोप की देन है' ऐसा कहा है । अपने 1917 के 'नेशनलिज़्म इन इंडिया' नामक निबंध में उन्होंने साफ़ तौर पर लिखा है कि राष्ट्रवाद का राजनीतिक एवं आर्थिक संगठनात्मक आधार सिर्फ़ उत्पादन में वृद्धि तथा मानवीय श्रम की बचत कर अधिक संपन्नता प्राप्त करने का यांत्रिक प्रयास इतना ही है । राष्ट्रवाद की धारणा मूलत: विज्ञापन तथा अन्य माध्यमों का लाभ उठाकर राष्ट्र की

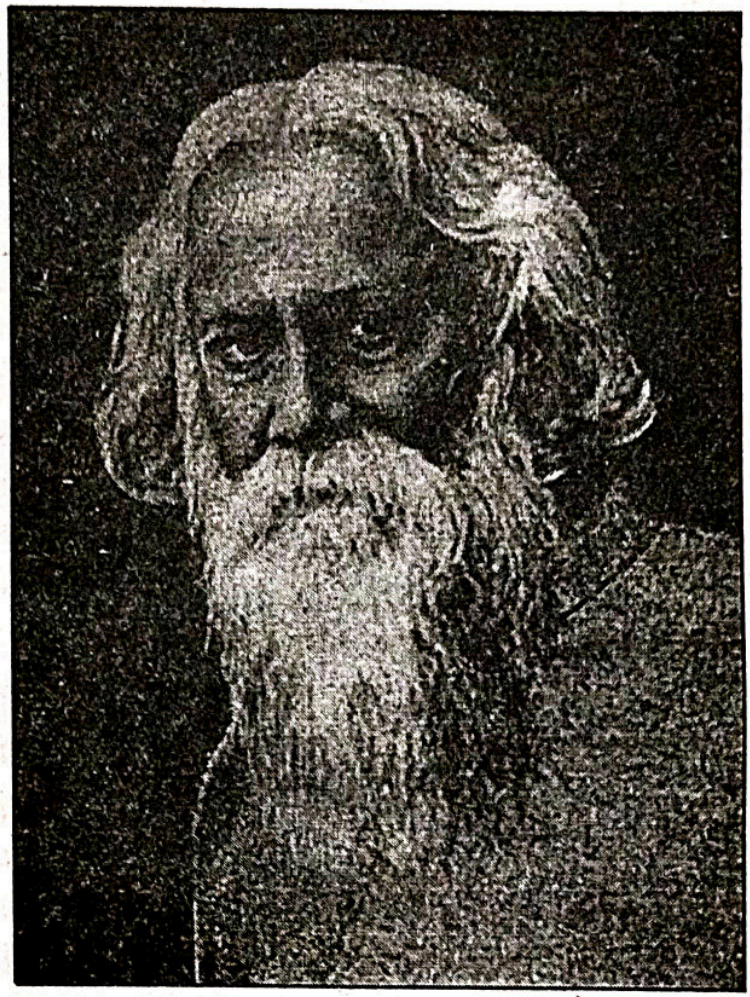

समृद्धि एवं राजनीतिक शक्ति में अभिवृद्धि करने में प्रयुक्त हुई हैं । शक्ति की वृद्धि की इस संकल्पना ने राष्ट्रों में पारस्परिक द्वेष, घृणा तथा भय का वातावरण उत्पन्न कर मानव जीवन को अस्थिर एवं असुरक्षित बना दिया है । यह सीधे-सीधे जीवन के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि राष्ट्रवाद की इस शक्ति का प्रयोग बाह्य संबंधों के साथ-साथ राष्ट्र की आंतरिक स्थिति को नियंत्रित करने में भी होता है । ऐसी परिस्थिति में समाज पर नियंत्रण बढ़ना स्वाभाविक है । फलस्वरूप, समाज तथा व्यक्ति के निजी जीवन पर राष्ट्र छा जाता है और एक भयावह नियंत्रणकारी स्वरूप प्राप्त कर लेता है ।

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इसी आधार पर राष्ट्रवाद की आलोचना की है । उन्होंने राष्ट्र के विचार को जनता के स्वार्थ का ऐसा संगठित रूप माना है, जिसमें मानवीयता तथा

आत्मत्व लेशमात्र भी नहीं रह पाता है । दुर्बल एवं असंगठित पड़ोसी राज्यों पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास यह राष्ट्रवाद का ही स्वाभाविक प्रतिफल है । इससे उपजा साम्राज्यवाद अंततः मानवता का संहारक बनता है । राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि पर कोई नियंत्रण संभव नहीं, इसके विस्तार की कोई सीमा नहीं । उसकी इस अनियंत्रित शक्ति में ही मानवता के विनाश के बीज उपस्थित हैं । राष्ट्रों का पारस्परिक संघर्ष जब विश्वव्यापी युद्ध का रूप धारण कर लेता है, तब उसकी संहारकता के सामने सब कुछ नष्ट हो जाता है । यह निर्माण का मार्ग नहीं, बल्कि विनाश का मार्ग है । राष्ट्रवाद की धारणा किस तरह शक्ति के आधार पर विभिन्न मानवी समुदायों में वैमनस्य तथा स्वार्थ उत्पन्न करती है, इस बात को उजागर करता रवीन्द्रनाथ टैगोर का यह मौलिक चिंतन समूचे विश्व के लिए एक अमूल्य योगदान है, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक बताकर उन्हें भस्म करने का प्रयास कर रहे हैं ।

भारत के लिए राष्ट्रवाद विकल्प नहीं बन सकता

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि भारत में राष्ट्रवाद नहीं के बराबर है । वास्तव में भारत में यूरोप जैसा राष्ट्रवाद पनप ही नहीं सकता । क्योंकि सामाजिक कार्यों में रूढ़िवादिता का पालन करने वाले यदि राष्ट्रवाद की बात करें तो राष्ट्रवाद कहां से प्रसारित होगा ? उस ज़माने के कुछ राष्ट्रवादी विचारक स्विटज़रलैंड (जो बहुभाषी एवं बहुजातीय होते हुए भी राष्ट्र के रूप में स्थापित है) को भारत के लिए एक अनुकरणीय प्रतिरूप मानते थे । लेकिन रवीन्द्रनाथ टैगोर का यह विचार था कि स्विटज़रलैंड तथा भारत में काफ़ी फ़र्क़ एवं भिन्नताएं हैं । वहां व्यक्तियों में जातीय भेदभाव नहीं है और वे आपसी मेलजोल रखते हैं तथा अन्तर्विवाह करते हैं, क्योंकि वे अपने को एक ही रक्त के मानते हैं । लेकिन भारत में जन्माधिकार समान नहीं है । जातीय विभिन्नता तथा पारस्परिक भेदभाव के कारण भारत में उस प्रकार की राजनीतिक एकता की स्थापना करना कठिन दिखायी देता है, जो किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है । टैगोर का मानना है कि समाज द्वारा बहिष्कृत होने के भय से भारतीय डरपोक एवं कायर हो गये हैं । जहां पर खान-पान तक की स्वतंत्रता न हो, वहां राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ कुछ व्यक्तियों का सब पर नियंत्रण ऐसा ही होकर रहेगा । इससे निरंकुश राज्य ही जन्म लेगा और राजनैतिक जीवन में विरोध अथवा मतभेद रखने वाले का जीवन दूभर हो जाएगा । क्या ऐसी नाम मात्र स्वतंत्रता के लिए हम अपनी नैतिक स्वतंत्रता को तिलांजलि दे दें ?

संकीर्ण राष्ट्रवाद के विरोध में वे आगे लिखते हैं कि राष्ट्रवाद जनित संकीर्णता यह मानव की प्राकृतिक स्वच्छंदता एवं आध्यात्मिक विकास के मार्ग में बाधा है । वे राष्ट्रवाद को युद्धोन्मादवर्धक एवं समाज विरोधी मानते हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद के नाम पर राज्य शक्ति का अनियंत्रित प्रयोग अनेक अपराधों को जन्म देता है । व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देना उन्हें कदापि स्वीकार नहीं था । राष्ट्र के नाम पर मानव संहार तथा मानवीय संगठनों का संचालन उनके लिए असहनीय था ।

उनके विचार में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि मानव की सहिष्णुता तथा उसमें स्थित नैतिकताजन्य परमार्थ की भावना राष्ट्र की स्वार्थपरायण नीति के चलते समाप्त हो जाएंगे । ऐसे अप्राकृतिक एवं अमानवीय विचार को राजनैतिक जीवन का आधार बनाने से सर्वनाश ही होगा । इसी लिए टैगोर ने राष्ट्र की धारणा को भारत के लिए ही नहीं, अपितु विश्वव्यापी स्तर पर अमान्य करने का आग्रह रखा था । वे भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के राजनैतिक स्वतंत्रता संबंधी पक्ष के भी आलोचक थे, क्योंकि उनका यह विश्वास था कि भारत इससे शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता । वे मानते थे कि भारत को राष्ट्र की संकरी मान्यता को छोड़ अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । आर्थिक रूप से भारत भले ही पिछड़ा हो, मानवीय मूल्यों में पिछड़ापन उसमें नहीं होना चाहिए । निर्धन भारत भी विश्व का मार्गदर्शन कर मानवीय एकता में आदर्श को प्राप्त कर सकता है । भारत का अतीत-इतिहास यह सिद्ध करता है कि भौतिक संपन्नता की चिंता न कर भारत ने आध्यात्मिक चेतना का सफलतापूर्वक प्रचार किया है ।

समाज बनाम राज्य

टैगोर राष्ट्रवाद की आलोचना इसलिए करते हैं, क्योंकि वे समाज को राज्य से अधिक प्रमुखता देते हैं और मानवीय विकास में उसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं । वे फासीवादियों को राष्ट्रवाद के पागलपन का प्रतीक मानते थे । फासीवाद के प्रवर्तन से पहले राष्ट्रिवाद आर्थिक विस्तारवाद तथा उपनिवेशवाद से जुड़ा हुआ था । प्रथम विश्व युद्ध के बाद

राज्यों की बढ़ती हुई शक्ति के कारण राष्ट्रवाद को राज्य द्वारा काफ़ी सराहा गया । बेनितो मुसोलिनी (इतालवी तानाशाह) ने कहा कि राष्ट्र, राज्य का निर्माण नहीं करता अपितु राज्य द्वारा राष्ट्र का निर्माण होता है । राष्ट्रवाद की अवधारणा, जो कि उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध तथा बीसवीं सदी की शुरुआत के राजनैतिक दौर में सहयोगी अवधारणा बन गयी थी, अपने मूल रूप से सांस्कृतिक थी । इस विचार के चलने से पहले पश्चिमी देश अधिक विश्वव्यापी दृष्टिकोण रखते थे और इस कारण वहां पर राष्ट्रवाद पहले सुप्तावस्था में रहा । किंतु क्षेत्रीयता के प्रचार ने धीर-धीरे स्थिति परिवर्तित कर दी । मशीनीकरण ने एक नया वातावरण तैयार किया । परंपरागत मूल्यों को समाप्त किया जाने लगा तथा मानव-समुदाय की एकता के सूत्र बिखरने लगे । भारत में हिन्दू राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उदय को इसी सन्दर्भ में देखना-समझना होगा ।

दूसरे गोलमेज परिषद के पश्चात (1931) हिन्दू महासभा के वरिष्ठ नेता डॉ॰ मुंजे सीधे इटली गये, जहां उन्होंने काफ़ी जगहों की यात्राएं कीं तथा नाज़ी संगठनों के स्कूल, कॉलेज तथा प्रशिक्षण के संस्थाओं का नज़दीकी से अध्ययन किया । डॉ॰ मुंजे की डायरी के 13 पन्ने (जो नेहरू मेमोरियल में उपलब्धा हैं) बताते हैं कि उन्होंने 15 मार्च से 24 मार्च 1931 में वहां के मिलिट्री कॉलेज तथा फैसिस्टब अकादमी ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन का निरीक्षण किया । महाराष्ट्र के नागपुर में 1925 में शुरू किये गये आर॰आर॰एस॰ के प्रशिक्षण के लिए ही उन्होंने इसका अध्ययन किया था और इटली से निकलने से पहले उन्होंने बेनितो मुसोलिनी से मुलाक़ात कर इटली में चल रहे इन कार्यक्रमों की भूरि-भूरि प्रशंसा भी की थी । डॉ॰ हेडगेवार से मिलकर उन्होंने आर॰एस॰एस॰ को जो आकार दिया, उसी का प्रतिफल आज का आर॰आर॰एस॰ है, जिसके द्वारा नागपुर तथा नाशिक में स्थित भोंसले मिलिट्री स्कूल संचालित किये जाते हैं । उसके बाद जीवन के हर क्षेत्र में विभिन्न संगठनों की रचनाएं कर संघ आज अपनी ताक़त का परिचय दे रहा है ।

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद के इसी अंतिम पक्ष की आलोचना की, जिसमें नृशंसता, रुग्णता तथा पृथकता दिखायी देती है । वे राष्ट्रवाद को शक्ति का संगठित समष्टिगत रूप मानते हुए राज्य के शोषणकारी पक्ष को दर्शाते हैं । उनके अनुसार पश्चिम में वाणिज्य तथा राजनीति की राष्ट्रीय मशीन द्वारा मानवता की साफ़-सुथरी दबाई हुई गाठें तैयार कीं । आर॰एस॰एस॰ राष्ट्रवाद के नाम पर इसी संकल्पना की गाहे-बगाहे वकालत करते रहती है । उसी पॉलिसी के अंतर्गत उनके नेतागण समय-समय पर कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल तो कभी रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे राष्ट्रीय नेताओं के वचनों को अपने प्रचार-प्रसार हेतु तोड़-मरोड़ कर पेश करते रहते हैं । रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत को पश्चिम के राष्ट्रवाद से दूर रहने की सलाह दी थी । उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए यह आवश्यक था कि भारत इस पश्चिमी राष्ट्रवादी विष से अलग रहे । उनका कहना था कि पश्चिमता एक ऐसा बांध है, जो उनकी सभ्यता को राष्ट्र रहित देशों की ओर प्रवाहित होने से रोकता है ।

वे भारत को राष्ट्ररहित देश मानते थे । क्योंकि भारत विभिन्न प्रज़ातियों का देश था और भारत को इन प्रजातियों में समन्वय बनाए रखना था । यूरोप के देशों के सामने प्रजातियों के समन्वय की कोई समस्या ही नहीं थी । अतः वे राष्ट्रवाद रूपी मदिरा का सेवन कर अपनी आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिकता को ख़तरा उत्पन्न कर रहे थे । उनके अनुसार भविष्य में पश्चिमी राष्ट्र या तो विदेशियों के लिए अपने द्वार ही बंद कर दे या उन्हें फिर अपना दास बना लें, यही उनकी प्रजातीय समस्या का समाधान हो सकता है । साफ़ है भारत के लिए यह विकल्प नहीं हो सकता ।

राष्ट्रवाद की आलोचना के तीन प्रमुख आधार जो रवीन्द्रनाथ टैगोर ने प्रस्तुत किये, वे थे–

1. राष्ट्रीय राज्य की आक्रमक नीति,
2. प्रतियोगी वाणिज्यवाद की विचारधारा, तथा
3. प्रजातिवाद ।

टैगोर फासीवादियों की प्रखर आलोचना करते थे । फासीवाद तथा साम्यवाद की तुलना करते हुए उन्होंने फासीवाद को असह्य निरंकुशवाद की संज्ञा दी । वे फासीवादियों की स्थिति को सर्वाधिक हेय मानते थे, क्योंकि उस व्यवस्था में हर चीज़ नियंत्रित होती है । आज की तारीख़ में भारत में आर॰एस॰एस॰ यह काम पहले से ही करता आ रहा है । मई 2014 में केन्द्र में भाजपा की सरकार आने के बाद संघ परिवार का उत्साह और तेज हुआ है । इसीलिए लव-जिहाद, रामज़ादे-हरामज़ादे से लेकर घर वापसी तक अलग-अलग राग आलापे जा रहे हैं । मदर टेरेसा

जैसे ग़रीबों की संत महिला से लेकर, चर्चों पर हमले, दंगे, फ़साद तथा अपने हिंदुत्व के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न राष्ट्रनायकों के उद्धरणों को तोड़-मरोड़कर पेश करना उनकी रणनीति बन चुकी है । उसी क्रम में रवीन्द्रनाथ टैगोर को वर्तमान संघ का प्रमुख बार-बार हिंदू राष्ट्र का समर्थक बनाने का प्रयत्न कर उनका अपमान कर रहे हैं ।

संघ के बारे में विनोबाजी के विचार

आर०एस०एस० ने इसके पूर्व विवेकानंद को भी इसी तरह तोड़-मरोड़कर पेश करने की नाकामयाब कोशिश की है । स्वामी जी विश्व स्तर के विचारक थे । किंतु संघ ने उन्हें संकरे हिंदुत्व के दायरे में बांधकर उन्हें हिंदू भिक्षु या साधु के रूप में ढालकर उनके क़द को छोटा कर दिया है । झूठ का सहारा लेना, चीज़ों को तोड़-मरोड़कर पेश करना यह संघ की रणनीति का हिस्सा है, यह मैं नहीं, खुद आचार्य विनोबा भावे कहते हैं । गांधी जी की हत्या के बाद 11 मार्च से 15 मार्च 1948 में सेवाग्राम में एक चिंतन बैठक हुई थी, जिस बैठक में विनोबा जी ने अपनी बात रखते हुए साफ़ शब्दों में कहा कि, "मैं उसी प्रांत का हूं जिसमें आर०एस०एस० का जन्म हुआ है । मैं जाति छोड़कर बैठा हूं पर भूल नहीं सकता कि मैं उसी जाति का हूं जिस जाति के नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की और वह उसी संगठन का आदमी था, जो महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण हेडगेवार ने स्थापित किया है । उनके देहांत के बाद जो आज सरसंघ चालक बने हैं, वे श्री गोलवलकर भी महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण हैं ।

इसके ज़्यादातर प्रचारक भले वे पंजाब, मद्रास, बंगाल या उत्तर भारत कहीं भी काम करते हों, लगभग सभी अक्सर महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण ही हैं । यह संगठन इंतने बड़े पैमाने पर बड़ी कुशलता के साथ फैलाया गया है । इसकी जड़ें बहुत ही गहरी है । यह संगठन ठीक फासिस्ट ढंग का संगठन है, इसमें प्रधान रूप से महाराष्ट्र की बुद्धि का उपयोग हुआ है । इसके सभी पदाधिकारी तथा संचालक अक्सर महाराष्ट्रीयन और ब्राह्मण रहे हैं । इस संगठन के लोग दूसरों को विश्वास में नहीं लेते । गांधी जी का नियम सत्य का था । मालूम होता है इनका नियम असत्य का होना चाहिए । यह असत्य उनकी टेकनिक, उनके तंत्र और उनकी फिलॉसफी का हिस्सा है ।

"एक धार्मिक अख़बार में मैंने उनके संगठन के सरसंघचालक श्री गोलवलकर का एक ऐसा लेख पढ़ा जिसमें उन्होंने लिखा कि हिंदू धर्म का उत्तम आदर्श अर्जुन है । उसे अपने गुरुजनों तथा आप्तंजनों के प्रति स्नेह, आदर था । किंतु कर्तव्य कर्म के नाते उसने उन्हें नम्रतापूर्वक प्रणाम कर उनकी हत्याएं कीं । इस प्रकार की हत्या जो कर सकता है, वह स्थितप्रज्ञ होता है । वे लोग गीता की मुझ से कम उपासना नहीं करते और वे गीता उतनी ही श्रद्धा से रोज़ पढ़ते होंगे जितना मैं पढ़ता हूं ।

"मनुष्य यदि पूज्य गुरुजनों तथा अपने आप्त जनों की हत्याएं कर सके तो वह स्थितप्रज्ञ होता है, यह उनकी गीता का तात्पर्य है । बेचारी गीता ! उसका हर प्रकार से उपयोग होता है । मतलब यही कि यह सिर्फ़ दंगा-फसाद करने वाले उपद्रवकारियों की जमाअत नहीं है । यह फिलासफ़रों की भी जमाअत है । उनका अपना तत्वज्ञान है, उनकी अपनी टेकनिक है ।"

गीता से लेकर गुरुदेव टैगोर के स्वदेशी समाज का अपने ढंग से अर्थ निकाल कर उसे प्रचारित-प्रसारित करना यह उसी टेकनिक का हिस्सा है, जिसे संघ ने 1925 से धीरे-धीरे विकसित किया है । रवीन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबल पुरस्कार मिलने के कारण उन्हें पूरे विश्व भ्रमण करने का मौक़ा प्राप्त हुआ था । उसी यात्रा के दौरान 1917 में जापान की यात्रा में भी उन्होंने राष्ट्रवाद की तीखी आलोचना की थी । उस वक़्त जापान राष्ट्रवाद के बुख़ार में तड़प रहा था । इसीलिए टैगोर को जापान से बग़ैर भाषण दिये वापस जाना पड़ा था । ऐसे टैगोर जी को मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र के समर्थक बता रहे हैं ! विनोबा जी ने बिल्कुल ही सही कहा है कि यह फिलासफरों की जमाअत है, जिनका अपना ख़ास टेकनिक है । गीता से लेकर, विवेकानंद से लेकर, गांधी और नेहरू, पटेल तक सबको अपने ढंग से तोड़-मरोड़कर पेश करने में वे माहिर हैं । रवीन्द्रनाथ टैगोर उस शृंखला में एक नयी कड़ी मात्र हैं ।

संदर्भ ग्रंथ

1. कल तक बापू थे, आज रहनुमाई कौन करेगा, सं० गोपाल गांधी, परमानेंट ब्लैक
2. Tagore, Selected Essays, Rupa Publications, New Delhi
3. स्वदेशी समाज, रवीन्द्रनाथ टैगोर (मराठी अनुवाद), साहित्य अकादमी
4. रवीन्द्र रचनावली, विश्वभारती प्रकाशन, शांति निकेतन
5. गांधी, नेहरू और टैगोर, प्रकाश नारायण नाटानी, पॉइंटर पब्लिशर्स, जयपुर ।

विश्वास और अंधविश्वास

■ राधागोन्विद पातर
(रांची, झारखंड)

मनुष्य सामाजिक प्राणी है । उसे समाज में रहकर अन्य लोगों के साथ अन्योन्य व्यापार-व्यवहार करना पड़ता है । इस प्रक्रिया में प्रत्येक क़दम पर लोगों को परस्पर विश्वास की आवश्यकता होती है । सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध, दोस्त-मित्र, स्त्री-पुरुष, गुरु-शिष्य के संबंध में सहज रूप से लोग एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं । विश्वास का अदृश्य बंधन लोगों को आपस में बांधे रखता है । शांत एवं खुशहाल समाज के लिए परस्पर व्यापार व्यवहार में विश्वास नामक तत्व की अहम भूमिका रहती है । विश्वास के द्वारा ही समाज में परस्पर संबंध दृढ़ होते हैं । विश्वास के अभाव में समाज-समाज नहीं रह जाता बल्कि मानव समूह की भीड़ बनकर रह जाती है और सब तरफ़ कटुता, वैमनस्य, हिंसा, घृणा आदि का बोलबाला होता है, और समाज बिखर जाता है ।

इस वक़्त ऐसे कुछ संतों और बाबाओं का कलुषित रूप जनता के समक्ष उजागर हो रहा है और वे जेलों की हवा खा रहे हैं । धर्म क्षेत्र में अंधविश्वास का बाहुल्य कुछ अधिक ही है । इस क्षेत्र में शिक्षित-अशिक्षित सभी एक ही धरातल पर दिखते हैं । विवेक-ज्ञान का उपयोग वहां कोई नहीं करता । इसीलिए धर्मभीरु अंधविश्वासी जनसमूह का दोहन बाबाओं और पंडितों द्वारा धड़ल्ले से होता है ।

परस्पर विश्वास अक्षुण्य बनाए रखने के लिए समाज में मानवीय भाव-संवेदनाओं का होना परम आवश्यक है । सच्चरित्रता, नैतिकता, कर्तव्यबोध, उत्तरदायित्व बोध, परोपकारिता दूसरों की भावनाओं का सम्मान आदि मानवीय गुण विश्वसनीयता को दृढ़ता प्रदान करता है । इसके विपरीत छल, कपट चालाकी, दूसरों की भावनाओं का निरादर अथवा असम्मान उत्तरदायित्व हीनभाव, भाव-संवेदनाओं का अभाव आदि गुण (अवगुण) विश्वसनीयता को गहरा आघात पहुंचाता है ।

किसी व्यक्ति, विषय, अथवा वस्तु पर विश्वास के संदर्भ में विवेक (समझ) की बड़ी भूमिका होती है । विवेकहीन व्यक्ति जिस किसी पर विश्वास करके सहज ही छल और धोखे का शिकार होता है । व्यक्ति को दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के लोगों से किसी न किसी रूप में परस्पर व्यापार व्यवहार करना पड़ता है । उस क्रम में वह उनके व्यवहार बर्तावों के आधार पर स्वविवेक से विश्वास अथवा अविश्वास करता है । बहुधा नये लोगों के चाल चरित्र को उसके तत्काल के बर्ताव व्यवहार से जान पाना संभव नहीं हो पाता ।

ऐसे में स्वविवेक ही एकमात्र सबल रहता है । यूं देखा गया है कि सीधा, सरल लोग अथवा लोभी लोग अतिविश्वास के शिकार होकर घोर विपत्ति में पड़ते हैं, क्योंकि सीधे सरल लोग स्वविवेक का उपयोग कम ही करते हैं और लोभी के स्वविवेक पर तो लोभ का परदा रहता है । लोभी किसी भी असामान्य अथवा असंभव की प्राप्ति के लोभ में फंस जाता है । आज ऐसे दृष्टांत भरे पड़े हैं जहां छोटी-बड़ी वित्तीय एजेंसियां बड़ी-बड़ी लुभावनी आर्थिक योजनाओं से असंभव धन वृद्धि का सब्ज़ बाग़ दिखती हैं और जनता उसकी संभावनाओं पर सोचे बिना अतिविश्वास के साथ सरलता से फंस कर लाखों करोड़ों रुपये गंवा बैठती हैं ।

धर्म से संबद्ध लोगों यथा-कथावाचकों, संतों, बाबाओं, महंतों आदि पर तो लोग आंख बन्द कर विश्वास कर लेते हैं उनके लच्छेदार प्रवचनों को सुनकर लोग गद्‌गद् हो जाते हैं और उन्हें भगवान का स्थान देने लगते हैं । इस प्रक्रिया

में वे स्वविवेक या समझ को एक किनारे रख देते हैं और उनका अतिविश्वास अंधविश्वास के क्षेत्र में पहुंच जाता है। ऐसे में लोगों को उन ढोंगी संतों और बाबाओं में कोई दोष नहीं दिखता और वे उन्हें ईश्वर का अवतार मानने लगते हैं।

इस वक्त ऐसे कुछ संतों और बाबाओं का कलुषित रूप जनता के समक्ष उजागर हो रहा है और वे जेलों की हवा खा रहे हैं। धर्म क्षेत्र में अंधविश्वास का बाहुल्य कुछ अधिक ही है। इस क्षेत्र में शिक्षित-अशिक्षित सभी एक ही धरातल पर दिखते हैं। विवेक-ज्ञान का उपयोग वहां कोई नहीं करता।

इसीलिए धर्मभीरु अंधविश्वासी जनसमूह का दोहन बाबाओं और पंडितों द्वारा धड़ल्ले से होता है। साधारणजन धर्म संस्थाओं से संबद्ध लोगों को धर्मान्धता अथवा अंध विश्वास के कारण ही श्रेष्ठ समझते हैं, यद्यपि उनमें अनेक ऐसे हैं जो अध्यात्म से मीलों दूर रहते हैं।

धर्म से संबंध कुछ अनुषंगी समस्याओं, ज्योतिष, हस्तरेखा आदि में भी अंधविश्वास का भरमार है। इसी के फलस्वरूप विभिन्न शुभकर्मों के लिए मुहूर्त का अत्यधिक महत्व है। यथा-विपणि (व्यापार) मुहूर्त, कूपारंभ मुहूर्त, गृह प्रवेश मुहूर्त, व्यक्ति के 16 संस्कारों के मुहूर्त, यात्रा मुहूर्त आदि है। यात्रा के लिए विभिन्न दिशाओं के मुहूर्त का एक दृष्टांत है–

सोम शनिवार पूरब न चालू ।
मंगल बुध उत्तर दिशी कालू ॥
गुरुवार को दक्षिण जावे ।
पग-पग पर ठोकर पावे ॥
शुक्र रविवार को पश्चिम जाई ।
निश्चय जानो सुख-शांति नशाई ॥

क्या यात्रा से संबद्ध दिशाओं को अनुपालन आज के परिप्रेक्ष्य में संभव है ?

अंधविश्वास के हज़ारों उदाहरण हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक बात विद्युत गति से देश-विदेश में फैल गयी कि भगवान गणेश चम्मच से दूध पीने लगे हैं। फिर तो क्या था, देश-विदेश में हज़ारों लीटर दूध भगवान गणेश की मूर्ति को पिलाने के प्रयास में नालियों में बहा दिये।

इस प्रकार अनेकों मंदिरों में भगवान का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने के लिए लाखों, करोड़ों का सोना आदि रूप में दान देते हैं। वस्तुत: विश्वास के बजाय अतिविश्वास और अंधविश्वास दोनों ही नुक़सानदेह है।

समाज का सुदृढ़ता प्रदान करने में विश्वास की अहम भूमिका है। विश्वास ही समाज को मज़बूत बनाए रखता है। वास्तव में परस्पर विश्वास ही सामाजिकता की धुरी होती है जिसके सहारे अज्ञात, अनागत और अनिश्चित क्षणों को ज्ञात, आगत और सुनिश्चित क्षणों में ढालते हैं। परन्तु विश्वास नैतिकता, निश्छलता आदि मानवीय गुणों की मांग करता है, जिससे समाज बंधता है। जहां छल, प्रपंच हिंसा आदि अमानवीय गुणों का बोलबाला हो, जो समाज के लिए विघटनकारी है, वहां विश्वास का भाव प्राप्त करना असंभव ही है। अफ़सोस की बात है कि आज यह विश्वास या भरोसा हमारे बर्ताव से बाहर निकलता जा रहा है।

आज के नये सामाजिक गणित के समीकरण में कुछ भी दांव पर लग सकता है, क्योंकि सब कुछ नाते, रिश्ते, मित्रता आदि वस्तुएं बनकर रह गयी हैं और वस्तुओं का महत्ता उनकी क़ीमत से होती है। शहरों और महानगरों में आज प्रत्यक्षत: इसका जीता जागता दृश्य दिखता है। जहां बग़ल का व्यक्ति भी अनजान होता है अर्थात अनजान-सा व्यवहार करता है।

हर व्यक्ति की सोच इतनी संकीर्ण हो रही है कि वह स्वयं को एक द्वीप बनाए हुए रहता है। ऐसा लगता है कि किसी से किसी का कोई वास्ता नहीं है। बात व्यवहार, हाव-भाव, भाव-संवेदना आदि में कृत्रिमता रहती है। महानगरों में लोगों की आपार भीड़ तो है, पर समाज नहीं है और इसीलिए विश्वसनीयता भी नहीं है। यह एक चिंताजनक स्थिति है।

क्या इस समस्या का कोई समाधान है ? कदाचित नहीं संसद से क़ानून बनवाकर अथवा अध्यादेश के द्वारा इसका समाधान नहीं निकल सकता। क़ानून के डंडे से विश्वास को जीता नहीं जा सकता, क्योंकि यह मान भावना से संबद्ध मामला है। लोगों के आचरण और बर्ताव से संबद्ध मामला है। अतएव लोगों के आचरण और बर्ताव पर ही विश्वास निर्भर करता है। परन्तु अंधविश्वास से सतत् सहज प्रयास तथा विवेक और तर्कों के सहारे मुक्ति मिल सकती है।

(सा० : मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद पत्रिका)

क्यों नहीं कम हो रहे अपराध ?

■ सी॰ के॰ रहमानी

16 फ़रवरी, 2015 को ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर (उत्तर प्रदेश) की भरी अदालत में एक किशोर गवाही के लिए पेश हुआ और दूसरी ओर खड़े कई हत्याओं, लूट, डकैती, अपहरण, फ़िरौती के आरोपी विक्की त्यागी की गोली मारकर हत्या की । गोली मारने के बाद अदालत में उसने समर्पण कर दिया । इस तरह 23 फ़रवरी 2015 को गुड़गांव में एक युवक की गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया । इस तरह के अपराधों की इतनी लंबी लिस्ट है, जिससे कई किताबें लिखी जा सकती हैं । हत्याओं के अलावा बलात्कार का आलम यह है कि देश में हर रोज़ सैकड़ों रेप हो रहे हैं । ऐसा कोई शहर, क़स्बा, नगर या महानगर नहीं है उसमें बलात्कार न हो रहे हों ।

लुटेरों की स्थिति यह है कि दिल्ली जैसे शहर में जहां पैर रखने की जगह नहीं है, वहां सरेआम बैंक लूटी जा रही हैं । एटीम में कैश डालने वाली बैन से करोड़ों रुपये लूट लिए जाते हैं । किसी ऑटो मोबाइल कंपनी का कैशियर कैश लाते या बैंक से ले जाते समय लूट का शिकार हो जाता है और लुटेरे यूं ही आराम से भाग निकलते हैं । छोटी-मोटी लूट की तो बात ही छोड़ दीजिए । इसी तरह युवतियां पर तेज़ाब फेंकने की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं । क्या कारण है कि अपराधियों के हौसले कम नहीं हो रहे हैं । क़ानून लाचार-सा दिखायी दे रहा है और न्याय भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है ।

भरी अदालत में गोली मारने की यह पहली और आख़िरी वारदात नहीं है । इससे पहले भी अदालत या परिसर में गोलियां चल चुकी हैं । मुल्जिमों को बदमाश सरेआम पुलिस से छुड़ाकर ले जाते हैं । अपराधों का यह सिलसिला अनवरत रूप से जारी है । इससे भी बढ़कर यह है कि किशोर यानी जवान हो रही पीढ़ी अपराधों की ओर तेज़ी से अग्रसर है । लोग हैरान परेशान हैं । सरकार कुछ भी करने में लाचार दिखायी दे रही है ।

गोली मारकर बदला लेने के पीछे क्या कारण रहा होगा ? इस सवाल का जवाब बहुत कठिन नहीं है । सबसे बड़ा कारण न्याय मिलने में देरी । जिस अपराधी को किशोर ने गोली मारी है उस पर दर्जनों केस चल रहे थे और कई मामलों में सज़ा काट चुका था । जिस किशोर ने गोली मारी थी उसके बाप और मौसा को भी उसी ने गोली मारी थी । वह जेल से आने के बाद सीना ताने घूमता था । किशोर को लगा होगा कि उसे न्याय और गोली मारने को दंड नहीं मिलेगा । तब उसने खुद ही बदला लेने का निर्णय लिया ।

दरअस्ल देरी से न्याय मिलना भी अन्याय है । जब देरी से न्याय मिलते दिखता है तो कई बार लोग खुद ही जज की भूमिका में आ जाते हैं और अपने ढंग से न्याय करने लगते हैं । मतलब प्रतिशोध लेने लग जाते हैं । अगर सही समय पर यानी जल्दी न्याय मिल जाए तो लोग क़ानून और न्याय को अपने हाथ में नहीं लेंगे ।

इस न्याय को आप क्या कहेंगे ? दो जनवरी 1957 को रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र और उनके समर्थकों को बम से उड़ा दिया था । मुक़दमा चलते 40 साल हो गये । इस हत्याकांड के दो आरोपियों की मौत भी हो चुकी है लेकिन अभी तक किसी को सज़ा नहीं हुई । यानी उस दौर की पीढ़ी भी अधेड़ हो चुकी है । लेकिन सुनवाई चल रही है लेकिन सज़ा किसी को नहीं हुई । अगर सज़ा होगी भी तो आगे की अदालतों का दरवाज़ा खुला है । यानी आरोपियों को जीते जी सज़ा नहीं मिल सकेगी ।

इसी तरह 1987 में मेरठ के पास हाशिमपुरा (उत्तर प्रदेश) में 40 मुस्लिम युवकों को पी॰ए॰सी॰ के जवानों ने गोली मार दी थी । लाशें हिंडन नदी में तैरती मिली । जिन लोगों को मारी थी खुशक़िस्मत से उनमें दो घायल लोगों की जान बच गयी थी । तब पी॰ए॰सी॰ की करतूत के बारे में पता चला था । इस केस को चलते 28 साल हो गये । इस मामले में दो आरोपियों की मौत हो चुकी है और कुछ मरने वाले होंगे लेकिन पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिला ।

यानी जो पीड़ित लोग हैं वे भी बूढ़े हो चुके हैं । उनके

लिए अब न्याय मिलने का कोई मतलब नहीं रह गया । इस बारे में प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉ॰ टी॰पी॰ जिंदल कहते हैं 'जब मामला ताज़ा होता है तो प्रतिशोध की आग बहुत होती है । जैसे-जैसे समय गुज़रता जाता है तो पीड़ित का गुस्सा कम होता जाता है । वह कोर्ट के चक्कर लगाकर इतना हताश और निराश हो चुका होता है कि वह मुक़दमा न लड़ने का मन बना लेता है । वह यह मान लेता है कि उसे न्याय नहीं मिलेगा । उधर, अपराधी डराता, धमकाता और केस वापस करने पर ज़ोर देता है । आक्रांता मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहता है और गवाह भी तोड़ चुका होता है । इसलिए अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं । अपराधी को लगता है कि उसे कभी सज़ा मिलेगी ही नहीं, और होता भी यही है । सज़ा बोली जाती है तो अभियुक्त ऊपरी अदालत में चला जाता है । वहां वर्षों मुक़दमा चलता रहता है । अगर यहां हार जाता है तो वह इससे ऊपरी अदालत में चला जाता है ।

इस तरह पीड़ित को न्याय मिलने की उम्मीद घटती चली जाती है । इधर गुनाह किया उधर सज़ा मिल जाए तो इसका असर दोनों तरफ़ देखने को मिलता है । पीड़ित को संतोष मिलता है कि उसे किये की सज़ा मिल गयी और उधर गुनाहगार को लगता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो वह आज सलाखों के पीछे नहीं होता । सज़ा देरी से मिलने और सालों परेशान होते रहने के डर से आधे ज़्यादा लोग केस ही नहीं करते । उन्हें लगता है कितना हमें अपराधी ने प्रताड़ित किया है उससे ज़्यादा हम अदालत में परेशान होंगे । हमारे यहां न्याय देर से मिलने के तमाम कारण हैं लेकिन सबसे कारण न्यायाधीशों और अदालतों की भारी कमी ।

देश में इस समय 15 हज़ार कोर्ट हैं, जबकि आबादी के हिसाब से 65 हज़ार कोर्ट की ज़रूरत है । देश में इस समय 33 करोड़ मुक़दमे चल रहे हैं जिनमें 70 हज़ार तो अकेले सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहे हैं । क़रीब 45 लाख केस हाईकोर्टों में लंबित हैं । पौने तीन करोड़ मामले निचली अदालतों में विचाराधीन हैं । हाल यह है कि इस समय साढ़े चार हज़ार से ज़्यादा जजों के पद ख़ाली पड़े हैं । यही कारण है कि भारतीय जेलों में साढ़े चार लाख लोग बंद हैं जिनमें तीन लाख से ज़्यादा विचाराधीन क़ैदी हैं । जिनके केस चल रहे हैं लेकिन उन्हें न तो अपराधी बताया गया है न निर्दोष लेकिन वे सज़ा काट रहे हैं । न्याय में देरी, जजों-अदालतों की कमी और इसी सुस्त रफ़्तार से मुक़दमों के निबटारे होते रहे तो जेलों में जगह नहीं रहेगी । आज दादा के ज़माने का केस पोता लड़ा है तो आने वाले समय में शायद पांचवीं पीढ़ी मुक़दमा लड़ती नज़र आएगी ।

कई बार हम अमेरिका की न्याय प्रणाली और क़ानून व्यवस्था की बात करते हैं लेकिन वहां स्थिति कुछ और है । वहां दस लाख की आबादी पर 133 जज हैं, जबकि हमारे यहां 13 हैं । अमेरिका में प्रति दस लाख लोगों पर 111 कोर्ट है, जबकि हमारे यहां नौ भी नहीं है । सवा सौ करोड़ लोगों की दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को शामिल कर लिया जाए तो कुल आठ कोर्ट हैं । देश के बाक़ी हिस्सों का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है ।

जब सज़ा जल्दी नहीं मिलती तो अपराधियों में ख़ौफ़ कम हो जाता है । वह कहता है जब होगा तब देख लेंगे उसे लगने लगता है कि जब तक सज़ा मिलेगी तब तक वह दुनिया के सब सुख भोग चुका होगा या फिर मर चुका होगा । इसलिए उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं । तारीख़ पर तारीख़ का जुमला जब तक ख़त्म नहीं होगा तब अपराध कम होने का सवाल ही नहीं उठता । कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि अदालतों में अपराधी से ज़्यादा पीड़ित परेशान हो जाता है और वह गुनहगार को सज़ा नहीं दिला पाता । कई बार अपराधी बड़ा गुनाह करने के बाद क़ानूनी दांव-पेच का फ़ायदा उठाकर साफ़ छूट जाता है । इसलिए हमें अपराधियों के प्रति सहानुभूति का नज़रिया त्यागना होगा । कड़ी सज़ा ही अपराधों को कम करने का सही और कारगर इलाज है ।

लेखकों एवं रचनाकारों से

"कान्ति" में प्रकाशनार्थ जो रचनाएं हमें मिलती हैं, उनकी स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना अथवा रचनाओं की वापसी के लिए अपना पता लिखा लिफ़ाफ़ा डाक टिकट सहित अवश्य भेजें । इसके अभाव में रचनाओं के विषय में हम आपको जानकारी देने में असमर्थ हैं । ध्यान रहे कि पर्याप्त डाक टिकट लगाकर प्रकाशनार्थ सामग्री भेजें, ताकि डाक, बैरंग न हो । आशा है, आपका सहयोग मिलता रहेगा ।

-संपादक

काका...मेरा मोबाइल खो गया है

■ पूरन सिंह

अम्मा और पिता जी, बड़े भइया के पास ही रहते थे। मैं अपने घर से बहुत दूर नौकरी पर आ गया था। अम्मा तो बड़ी बहू और उसके बच्चों में समा गयी थी। पिता जी को बाहर वाली कुठरिया दे दी गयी थी। घर छोटा नहीं था। हम दोनों भाइयों का घर था। मेरे हिस्से के घर में किरायेदार बसा दिये गये थे। किरायेदारों से जो पैसा आता था अम्मा उस पैसे से अपनी गांठ पक्की करती थीं। पिता जी बाहर वाली कुठरिया में ही रहते थे। अम्मा को उनकी कोई चिंता नहीं थी। बच्चे खाना दे आते तो ठीक और नहीं दे आते तो और ठीक।

मुझे पिता जी बहुत याद आते। वह मेरे लिए आज भी अच्छे पिता हैं और तब भी थे जब मैं पढ़ता था। अम्मा उनसे कब प्यार से बोली होंगी, मुझे ज्ञात नहीं, हमेशा यही कहतीं, ...बड़े जिद्दी थे तेरे बापू जो ठान लेते वही करके मानते, ऐसी भी ज़िद किस काम की। मैं अम्मा को देखता रहता और गुस्सा भी होता था।

अपने घर से कोसों दूर, अपने पिता के जीवन संघर्ष को याद करता तो मन होता कि फ़ोन पर बात करूं। फ़ोन मिलाता और पूछता...पिताजी से बात करना चाहता हूं।

कभी-कभी अम्मा से भी बात कर लिया कर। कोख में तो मैंने ही रखा है तुझे। अम्मा खिसियाती।

आप से तो बात कर ही रहा हूं...पिता जी से बात करा दो न। मानो कोई अबोध बालक खिलौना मांगने की ज़िद कर रहा हो।

उन्हें क्या हुआ...और उन्हें होगा भी क्या...खूब खते हैं...होंगे यहीं कहीं...देख रहे होंगे किसी को। फिर मुझसे कहतीं, रुक अभी कराती हूं बात तेरे बापू से...। और फिर मैं होल्ड किये रहता। कभी बात होती–कभी नहीं। मैं तड़प जाता था।

फिर एक दिन मैं छुट्टी लेकर घर चला गया था। अम्मा ने पिताजी की बुराइयों का ढेर मेरे सामने लगा दिया था। बड़े भइया अम्मा का साथ देते और पिता जी अकेले, बिल्कुल अकेले।

मैंने पिता जी से कहा था, चलो...आप मेरे साथ रहना।

उन्होंने मेरे माथे को चूमते हुए कहा था, नहीं राघव, मैं यहां पैदा हुआ हूं यहीं मरना चाहूंगा। हां इतना ज़रूर है मेरे मरने पर तू आना ज़रूर...। और कहते-कहते उनकी आंखों से दो मोती गिरे थे और मेरे माथे पर बहने लगे थे।

क्या पिता जी आप भी न...। बस इतना ही तो कह पाया था मैं और उनके दामन में अपना सिर छिपाकर खूब रोया था। तभी न जाने कहां से अम्मा आ गयी थीं, क्यों रूला रहे हो उसे...दो एक दिन के लिए आया है...सारी झूठी–सांची लगा रहे होंगे...क़तई शर्म नहीं है...वह घर से बाहर रहता है, यह तो नहीं कि उसे प्यार देते–रूलाने बैठ गये...प्यार...प्यार तो इनके पास था ही कब जो यह दे पाते...। अम्मा और न जाने क्या–क्या कहती रही थीं। बाद में चली गयी थीं।

मां जब चुप हुई तो पिता जी अपराधी की तरह देखे जा रहे थे।

पिता जी मेरी एक बात सुनो। मैंने उनकी तरफ़ देखा था।

...कुछ नहीं बोले थे पिता जी।

मेरा यह मोबाइल रख लो। कुछ पैसे मैं दिये जा रहा हूं और हर महीने भेज दिया करूंगा। आप से बात हो जाया करेगी। और मैंने उन्हें अपना मोबाइल दे दिया था।

पिता जी मोबाइल से किसी खिलौने की तरह खेलने लगे थे मानो कोई बच्चा खिलौना मिलने से खुश हो गया हो।

मैं वापस अपनी ड्यूटी पर आ गया था, मेरा जब भी मन होता, मैं फ़ोन पर बात कर लेता।

पिता जी खुश हो-होकर बातें करते थे। बातें भी जाने कहां-कहां की–बेटा ये बात..बेटा वो बात...। मज़े की बात यह थी कि अपनी बातों में कभी किसी की बुराई नहीं करते थे...बस हमेशा अपने अतीत की पूरी कहानी बताते थे। मैं अब उन्हें और अधिक पैसे भेजने लगा था।

एक दिन मैंने उन्हें फ़ोन किया था । उनका मोबाइल लगातार बजे जा रहा था । मैंने कई बार मिलाया...बजता ही रहा । मेरे मन में शंका घनी होने लगी थी । मैंने घर पर फ़ोन मिलाया । फ़ोन पर अम्मा थीं । अम्मा हमेशा फ़ोन पर ही रहती थीं मानो उनकी ड्यूटी ही फ़ोन पर हो ।

अम्मा घंटे भर से पिताजी को मोबाइल लगा रहा हूं, फ़ोन बजता है और कट जाता है...सब ठीक तो है...पिता जी ठीक तो हैं । मेरे मन में शंका नागफनी की तरह उग आयी थी । ठीक तो है से क्या मतलब...मर थोड़े ही गये हैं तेरे पिताजी...बैठे होंगे गप्पों में अपने यार दोस्तों के साथ । अम्मा बोली थीं ।

मुझे अम्मा पर गुस्सा आया था और पहली बार उन पर चीख़ा था, जाओ अभी...और पिता जी को देखो...सब ठीक तो है ।

अम्मा शायद सहम गयी थीं । फ़ोन बन्द हो गया था ।

ठीक पन्द्रह मिनट बाद फ़ोन आया था...पिता जी नहीं रहे ।

बाद में पता चला था कि पिता जी तो रात में ही इस दुनिया से चले गये, जबकि मैंने तो दोपहर में फ़ोन किया था ।

मैंने अपने कुछ कपड़े समेटे और चलने को हुआ तो मेरे नौकर दीनू काका ने पूछा था, ...साहब धीरज रखना...और हां...आपके पास आपका एक मोबाइल था, बड़े दिनों से दिखायी नहीं देता...।

काका, ...मेरा मोबाइल हमेशा-हमेशा के लिए खो गया है । मेरे होंठ फड़फड़ाये थे । दीनू काका क्या समझे क्या नहीं–मैं नहीं जानता । हां–मैं आज भी अपने मोबाइल को ढूंढ़ता हूं, मिलता ही नहीं ।

व्यंग्य

सावधान ! सफ़ाई चालू आहे

पूरे देश में सफ़ाई का दौर चालू है । सफ़ाई अच्छी बात है । सफ़ाई से सबका भला होता है । सफ़ाई से धूल उड़ती है । वैसे तो धूल में रोगों के कीटाणु होते हैं और सफ़ाई के दौरान नाक और मुंह के ज़रिये शरीर में प्रवेश कर लोगों को बीमार बना डालते हैं लेकिन सफ़ाई के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि सफ़ाई रोकना समझदारी का काम नहीं । लोगों को न सही डॉक्टरों को तो फ़ायदा होता है । देश में किसी का भी फ़ायदा हो देश का ही फ़ायदा है । तो सफ़ाई के बहुत फ़ायदे हैं । सफ़ाई में जो धूल उड़ती है उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा है । दूसरों की आंखों में धूल झोंके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते और यदि हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा ? देश की उन्नति के लिए धूल और धूल के लिए सफ़ाई आवश्यक है । अब धूल के लिए आंधियों का इन्तिज़ार तो किया नहीं जा सकता अतः सफ़ाई अभियान शुरू करना ही ठीक लगता है । सफ़ाई व्यक्ति और देश की सेहत के लिए ही नहीं राजनीति की सेहत के लिए भी बड़ी मुफ़ीद शय है ।

सफ़ाई से धूल उड़ती है । धूल शरीर के अन्दर ही नहीं जाती शरीर के ऊपर भी जमती है । लगातार धूल उड़ते रहने से लोगों के चेहरों पर इतनी धूल जम जाती है कि चेहरे बेपहचान हो जाते हैं । इतने बेपहचान कि धीरे-धीरे भूल जाते हैं । तो राजनीतिक सेहत के लिए सफ़ाई चालू है । नेतागण ही नहीं अफ़सरगण भी ज़ोर-ज़ोर से झाड़ुएं चला रहे हैं । उनको देखकर दूसरे लोगों को भी जोश आ रहा है । सब एक-दूसरे के मुक़ाबले में बाज़ी मार लेना चाहते हैं । न जाने किसकी क़िस्मत पलटी मार जाए । आज झाड़ू की ताक़त सबको नज़र आ रही है । झाड़ुएं लोगों की क़िस्मत बदल रही हैं । अस्ली झाड़ू वाले नये झाड़ूबाज़ों की कारगुज़ारियों से भौचक्के हैं । जो भी हो धूल के बादल दूर-दूर तक ऊपर आसमान में छाये हुए हैं । आसमान में छाये धूल के बादल अब धीरे-धीरे नीचे बैठ रहे हैं । नीचे ज़मीन पर हर चीज़ को ढंक रहे हैं । सब अपनी पहचान खो रहे हैं । कुछ चालाक क़िस्म के लोग भी हैं जो बार-बार मुंह धोकर अपनी पहचान बनाए रखने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन अधिकांश सफ़ाई के गर्दो-गुबार में अंट चुके हैं । सफ़ाई के चक्कर में आदमी ही नहीं हर चीज़ बेपहचान ही रही है ।

सीताराम गुप्त
दिल्ली-34

आर्थिक आज़ादी का आह्वान

ज़िन्दगी की दौड़ में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए सभी जी-तोड़ प्रयास कर रहे हैं । मां-बाप ही नहीं बल्कि पूरा परिवार युवाओं से न जाने कितनी आशा लगाए उस शुभ घड़ी का इन्तिज़ार कर रहा है जब आप अपने इस अभियान में सफल होकर भारी-भरकम आय देने वाले किसी रोज़गार को प्राप्त करोगे और घर को सारे दुख-दैन्य और अभावों से मुक्ति मिल सकेगी ।

सुखद जीवन का यह सपना स्वाभाविक ही है और अच्छे सपने देखना उचित भी, किन्तु उसकी सफलता के लिए केवल आपका जी-तोड़ श्रम ही काफ़ी नहीं है । आपके सपनों की सफलता या असफलता में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था एक अति महत्वपूर्ण कड़ी है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । जो लोग इसकी उपेक्षा करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी समझ पर केवल तरस ही खाया जा सकता है । जो सुख़द सपना आपकी आंखों में है वही सपना, अन्य समस्त युवाओं द्वारा भी संजोया गया है, किन्तु समाज की स्थितियां क्या कह रही हैं ? क्या वे इस योग्य हैं कि वे सबके सपने पूरे कर सकें और सबके साथ न्याय कर सकें ? यदि आप समाज की स्थिति को गहराई से देखें तो आपको सहज ही समझ में आ जाएगा कि इस व्यवस्था में न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं है । ''ज़िस की लाठी, उसकी भैंस'' जैसा जंगल राज चल रहा है ।

हर मज़बूत व्यक्ति अपने से कमज़ोर व्यक्ति को जंगली जानवर की तरह खा जाने के लिए उतारू है । न्याय, नैतिकता, मानवता, धर्म और विश्वास की सभी मर्यादाएं ध्वस्त हो गयी हैं । आपको भी इस वहशी युद्ध में उतरना होगा । बल्कि यदि यह कहा जाए कि आप जाने-अनजाने इस वहशी युद्ध में उतरे हुए ही हैं । आपको भी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करके अपने से कमज़ोर के मुंह का कौर छीनना पड़ेगा ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें । इसके लिए आपको यदि ओछे-हथकंडे भी अपनाने पड़ें, तो आप पीछे नहीं हट सकते और यदि आपने ऐसा किया तो फिर सपना टूट कर बिखर जाएगा ।

आप अपने सपने को बिखरने से बचा सकेंगे या नहीं, यह तो मैं नहीं बता सकता, किन्तु यह अवश्य बता सकता हूं कि अधिकांश का यह सपना पूरा नहीं हो सकता । क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में इसकी दूर-दूर तक भी गुंजाइश नहीं है । सारी व्यवस्था के सूत्र कुछ सीमित हाथों में है और पूरा समाज उन हाथों की कठपुतली बना हुआ है । जिस सर्वश्रेष्ठ योग्यता के बल पर आप भारी आय देने वाला रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं, यह भी उन्हीं हाथों का खेल मात्र है । आपकी श्रेष्ठ प्रतिभा का उपयोग समाज में न्याय, नैतिकता, सद्भाव, शांति या समृद्धि लाने के लिए नहीं बल्कि उन्हीं क्रूर हाथों को मज़बूत करने के लिए होगा जो पूरी मानवता के लिए अभिशाप बने हुए हैं । क्या आपने सोचा कि जो आपके भाई, बहन, साथी और सहपाठी सर्वश्रेष्ठता की इस दौड़ में पिछड़ जाएंगे, उनका क्या होगा ?

यह सब इसलिए कहा जा रहा है ताकि इस व्यवस्था के क्रूर यथार्थ को आपके सामने रखा जा सके । प्रतिभावान

माल का लालच और ईमान दोनों किसी बन्दे के दिल में हरगिज़ जमा नहीं हो सकते ।
मद्रासी
मद्रासी होटल
मालवीय रोड
रायपुर (सी०जी०)
फोन : 0771-2539516,2236788
मद्रासी होटल
शॉप नं० 1-7
मोतीबाग़ चौपाटी, रायपुर
फोन : 0771-2533946, 5053603

होने का यह अर्थ तो नहीं होना चाहिए कि आप न्याय का विचार करना ही छोड़ दें और घोर स्वार्थी बनकर अन्याय को और मज़बूत कर दें। प्रतिभावान होने का मतलब सामान्य या उनसे भी कमज़ोर लोगों का हक़ मारना नहीं हो सकता। प्रतिभावान होने की सार्थकता तो इसमें है कि समाज में विद्यमान सभी प्रकार के अन्याय को आप अपने कौशल और शक्ति से समाप्त कर दें। आज देश को आवश्यकता है ऐसे ही उत्साही युवाओं की जो केवल स्वयं के बारे में सोचने के बजाए पूरे समाज के बारे में सोच सकें। यही वह उम्र है जो इस कठिन चुनौती को स्वीकार कर सकती है। आप भी यह काम बखूबी कर सकते हैं। विश्व की समस्त सात्विक शक्तियां आपके साथ हैं। आवश्यकता है तो केवल आपके द्वारा लिए जाने वाले दृढ़ संकल्प की जो सबको दुख, दैन्य और दरिद्रता से मुक्त कर सके।

किन्तु अपनी सफलता के लिए केवल इस प्रकार का संकल्प ले लेना ही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि अन्याय की जड़ को भी समझना होगा। यह केवल शक्ति से जीता जा सकने वाला युद्ध नहीं है बल्कि इसके लिए न्याय की स्पष्ट दृष्टि होना परम आवश्यक है। अत: आपको अपने लक्ष्य और उस तक पहुंचने के मार्ग को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का भ्रम समाज में मौजूद अन्याय व शोषण को और भी अधिक गहरा कर सकता है। अर्थात अन्याय किस प्रकार हो रहा है और उसे समाप्त करने का सरलतम उपाय क्या है, यह आपको ठीक प्रकार से समझना होगा।

किसी व्यक्ति के ताक़तवर होने का यह अर्थ तो नहीं कि वह कमज़ोर के इस मूलभूत संपत्ति अधिकार को ही छीन ले, क्योंकि इसका छिनना तो स्वतंत्रता और जीने के अधिकार का छिन जाना ही है इसलिए ऐसे सभी नियम क़ानून, मान्यताएं और परंपराएं ग़लत हैं जो नागरिक को इस मूलभूत अधिकार से वंचित करते हैं ? अत: अब रोज़गार की नहीं बल्कि मतदाता-वृत्ति (वोटर पेंशन) की मांग उठनी चाहिए। मतदाता वृत्ति न तो एहसान है और न ही भीख। बल्कि यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह राष्ट्र की सामूहिक संपत्ति से मिलने वाला अतिरिक्त लाभ है। इसका किसी व्यक्ति के श्रम, त्याग या पुरुषार्थ से कुछ भी संबंध नहीं है। यह मशीन से होने वाली आय है, जिससे पूरे समाज को समान लाभ मिलना चाहिए। यह विकास से मिलने वाला अतिरिक्त लाभ है जो किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं हो सकती। इस लाभ का थोड़े से लोगों में ही वितरण होना अन्याय है, शोषण है और संपूर्ण मनुष्यता के प्रति अपराध भी। सबको रोज़गार प्रदान करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है।

रोशन लाल अग्रवाल
4, के०एन० कम्पलेक्स, रायपुर (छ०ग०)

जग-जीवन दहता

आग प्रदूषण की फैली है
जग-जीवन दहता।

औद्योगिक उत्सर्जन से
जल-स्रोत भर रहे हैं
बढ़ा प्रदूषण जलाशयों में
जीव मर रहे हैं।

शहरों का मल, गंदा पानी
नालों से बहकर
मिलता है नदियों में
घोर प्रदूषण जग सहता।
कृमिनाशक अब बांट रहे हैं
अंधाधुंध हुआ,
रासायनिक खादों से खेलें
भोले कृषक जुआ।

पोखर घटे, प्रदूषित जल-थल
खेत हुए बंजर,
घटी उपज की मार झेलकर
दुखी कृषक ढहता।

नदियां पीड़ित होकर
दुर्बलगात हुईं,
जला अंश लाखों लाशों का
पानी में बहता।

डॉ० सत्यकाम शिरीष
110ए, गांधीग्राम, कानपुर

ज़रूरत है सामाजिक एकजुटता की

• सवाई सिंह

कुछ समय पूर्व संघ प्रमुख का यह बयान कि देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कितना राष्ट्र हित में है ? यह विचारणीय विषय है । दुनिया के इतिहास में अपने आपको स्थापित करने की चाह रखने वालों ने ऐसी घोषणाएं पहली बार की हों, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका क्या हश्र हुआ ? यह मूल्यांकन का विषय है । अनेक देशों में धर्म के नाम पर भाषा के नाम पर, क्षेत्र और प्रांत के नाम पर, इससे यह संकीर्णता और नफ़रत की दीवार बढ़ने लगती है तो बढ़ती ही जाती है । यह रेखा जाति, उपजाति तक पहुंच जाती है । अब तक के ऐसे नारों के क्या परिणाम रहे, यह हम देख सकते हैं ?

हिटलर ने नस्ल के नाम पर नफ़रत फैलाई उसके बावजूद क्या जर्मनी और दुनिया के देशों ने उनकी राह को सही माना ? कई देशों में ईसाइयत के नाम पर, इस्लाम के नाम पर भी हिंसा हुई देश बने फिर क्या रहा ? ईसाइयों में भी बंटवारे हो गये, इस्लाम के नाम पर भी जो देश बने वहां भी फ़िरक़े बन गये । कई देश जहां एक ही धर्म के लोग हैं वहां आज क्या हो रहा है ? धर्म के नाम पर ही अभी अभी पाकिस्तान में क्या हुआ ? निर्दोश बच्चों की हत्या पूरी मानवीयता पर कलंक के रूप में साबित हुई । धर्म के नाम पर आतंकवाद किसी भी धर्म में स्वीकार्य नहीं है ।

असलियत यह है कि आज धर्म के नाम पर जो आतंकवाद बढ़ रहा है उसके पीछे हथियारों की वे कंपनियां हैं, जिनका इससे व्यापार बढ़ता है । वे देश भी इन बातों को प्रोत्साहित करते हैं कि जिनकी कंपनियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए देशों में ऐसा माहौल बनाकर अपना स्थान बना लेते हैं । आतंकवाद किसी भी धर्म का प्रतीक नहीं है । इराक़, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान पर किन बड़े देशों की व्यापारिक प्रतियोगिता का परिणाम है । यह सभी जानते हैं । ओसामा बिन लादेन को किस ने पैदा किया ? क्यों पैदा किया कौन नहीं जानता ? धर्म का नाम लेकर सांप्रदायिकता का ज़हर फैलाना किसी भी देश के हित में नहीं है ।

धर्मों का अध्ययन करें तो पाएंगे कि सार सभी का एक है अच्छा इन्सान बनाना है । लेकिन आज धर्म का नाम लेने वाले अच्छे इन्सान बनाने का उल्लेख तक नहीं करते । अच्छे इन्सानों से ही राष्ट्र बनता है। भारत के दायरे में सोचें तो जहां भ्रष्टाचार, बेकारी, ग़रीबी, ग़ैर-बराबरी, अशिक्षा, शोषण, अन्याय, अत्याचार, आतंकवाद और जातिवाद चुनौती के रूप में मुंह बाए खड़े हैं । इन समस्याओं से निपटेंगे, तभी तो अच्छा राष्ट्र बनेगा । आश्चर्य है कि ये गंभीर समस्याएं नज़र नहीं आतीं । धर्म का नाम लेने वालों को देश की ये चुनौतियां कभी नहीं कचोटतीं । ये चुनौतियां कभी इनका मुद्दा नहीं बनतीं । अगर देश की समस्याओं को प्राथमिकता से लिया जाए तो संकीर्णता की बातों के लिए समय ही नहीं मिले ।

हिन्दू की परिभाषा काफ़ी व्यापक है हिंदू धर्म के बजाय एक संस्कृति है । यहां भलाई व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है बल्कि पशु-पक्षी से लेकर पेड़-पौधों तक पहुंचती है । इन मूल्यों को फैलाने और बढ़ाने की आवश्यकता है । हमारे जीवन मूल्यों को रौंधती हुई व्यवस्था ढोल बजाकर आगे बढ़ रही है हम उस व्यवस्था के पोषक बने हुए हैं । देश की व्यवस्था कार्पोरेट्स की "शरणम् गक्ष्छामी" जैसी लगती है । आज कार्पोरेट्स के लिए जल, जंगल, ज़मीन और खनिज न्योछावर किये जा रहे हैं, जिनका उन पर अधिकार है वे विस्थापित किये जा रहे हैं । इस इन्सानियत पर हमले को रोकने के लिए कोई धार्मिक संगठन आगे नहीं आते । हिंदू की मान्यता वाले व्यापक समाज में आज भी छुआछूत, ऊंच-नीच, महिलाओं पर अत्याचार, तिलक-दहेज पर होली जलती महिलाएं, शराबख़ोरी, ग़ैर-बराबरी और एक-दूसरे का शोषण तथा धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर फैली हुई है इनसे मुक्ति के लिए भी सभी धार्मिक संगठन आगे आएं ।

किसी भी धर्म में हिंसा और नफ़रत के लिए कोई स्थान नहीं है लेकिन धर्म के नाम पर व्यापक स्तर पर हिंसा ने अपना स्थान ले लिया है । इस्लाम धर्म के नाम पर इस्लाम को मानने वालों पर ही सबसे अधिक हिंसा हुई

हमारी नई पुस्तकें

तफ़हीमुल कुरआन-1	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	300.00
तफ़हीमुल कुरआन-2	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	500.00
झाड़-फूँक इस्लाम की रौशनी में	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	16.00
इस्लाम कैसे फैला?	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	36.00
कुव्वत का असल राज़	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	12.00
तलख़ीस तफ़हीमुल कुरआन (सूरा यासीन)	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	20.00
इस्लाम की पारिवारिक व्यवस्था	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	100.00
इस्लामी पारिभाषिक शब्द	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	18.00
सूफी बुज़ुर्गों की अनमोल बातें	मुहम्मद फारूक ख़ां	20.00
अध्यात्म का महत्व और इस्लाम	मुहम्मद फारूक ख़ां	20.00
आत्मा और परमात्मा	मुहम्मद फारूक ख़ां	24.00
सफलता और मुक्ति का एक ही रास्ता	मुहम्मद फारूक ख़ां	24.00
नफ़्स का तज़किया और हम	मुहम्मद फारूक ख़ां	24.00
मुक्ति की धारणा और इस्लाम	मुहम्मद फारूक ख़ां	26.00
कुरआन पर अमल	सुमय्या रमज़ान	75.00
विशुद्ध एकेश्वरवाद	मुहम्मद यूसुफ इस्लाही	24.00
हक़ की दावत और ग़ैर मुस्लिम	मतीन तारिक बाग़पती	16.00
रहमत ही रहमत	अश-शैख़ अताउल्लाह कुरेजा	66.00
प्यारे रसूल के प्यारे साथी	माइल खेराबादी	22.00
प्यार के चिराग़ (कहानियाँ)	अबरार मोहसिन	28.00
इस्लाम में पाकी और सफाई	नसीम ग़ाज़ी फलाही	20.00

MARKAZI MAKTABA ISLAMI PUBLISHERS

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone: 26981652, 26984347, Fax: 26987858
E-mail: mmipublishers@gmail.com Website: www.mmipublishers.net

है । तो दूसरी ओर हिन्दू धर्म की मान्यता वालों ने अपने समाज पर ही अधिक जुल्म ढहाया है । धार्मिक लोगों ने समाज को अंधविश्वासों कुप्रथाओं के अंधे कुएं में धकेल रखा है । इस अंधे कुएं में से समाज को निकालने में माननीय भागवत साहब, सिंघल साहब, राजेश्वर सिंह साहब और महंत आदित्यनाथ जी लगाएं तो समाज और देश पर बड़ा परोपकार होगा । देश में मानव मूल्यों को पुनः स्थापित करने में शक्ति लगाएं, जो आज पूरी तरह धराशायी हो गये हैं । धर्म के नाम पर राजनीति करने से राष्ट्र अपने आदर्शों को पुनः स्थापित नहीं कर पाएगा, बल्कि संकीर्णता की गर्त की ओर बढ़ेगा, यह संकीर्णता जाति, गोत्र, सवर्ण, अवर्ण आदिवासी, गैर-आदिवासी, क्षेत्र, भाषा तक की संकीर्णता के लिए गहरी खाई खोदेगी । धार्मिक उन्माद से सांप्रदायिकता फैलेगी जिससे अशांति और हिंसा उपजे बिना नहीं रह सकती । जिससे समाज और देश विकास की राह पर नहीं बढ़ेगा जो हमारी भावी पीढ़ी के लिए कांटे ही बोएंगे । देश के सच्चे विकास के लिए सभी धार्मिक आस्थाओं के लोगों को उसी तरह एकजुट होना पड़ेगा जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई के लिए एकजुट हुए थे । अब उस सामाजिक एकजुटता के लिए गांधीजी नहीं आएंगे हमें स्वयं ही आगे आनां होगा भारत की गंगा-जमुनी तहज़ीब ही भारत को आगे बढ़ाएंगी । (विविधा फीचर्स)

(पृष्ठ 24 का शेष)

रुको अभी जब कोई कुछ नहीं कर रहा है तो तुम भी न करो क्यों परेशान हो ।'' अम्मी के मुंह से पहली बार यह जुमले मेरे लिए निकले थे और आख़िरी बार निकले थे ।

रात में ही अम्मी को अटैक पड़ गया मैं उन्हें हारी हुई-सी असपताल जाती देखती रही ग्यारह महीनों से जो मैं कुदरत से लड़ रही थी एकदम से हार गयीं अम्मां का दम मेरे हाथों में टूट रहा था और मैं उनकी आख़िरी सांस तक खुदा से, कुदरत से, लड़ती रही अम्मी मेरी ज़िन्दगी थीं मेरी दुनिया थीं मेरी खुशी मेरा ग़म थीं मेरी सच्ची सहेली थीं मैं जीती रही मगर मेरी ज़िन्दगी अल्लाह ने ले ली ।

अम्मां का जाना मेरा पहला ग़म था ऐसी तकलीफ़ ऐसी तंहाई मैंने पहले कभी महसूस न की थी । हज़ार लोगों के बीच अम्मां तन्हा छोड़कर चली गयीं । पहली बार सच्चा एहसास हुआ कि यह दुनिया मुसाफ़िरख़ाना है अपना-अपना सफ़र तय करके यहां से चले जाना है ।

कविता

कहीं और नहीं

मैं जानता हूं-
साम-दाम-दण्ड-भेद की-
नीतियों को
जिनके द्वारा फैलता है भ्रष्टाचार
समाज में ।

भ्रष्टाचार
कहीं और नहीं
वह मौजूद है
हमारे दिलो-दिमाग़ के
दस्तावेज़ों में ।

जिसे मिटाने हेतु
आवश्यक है
हम और
हमारा चरित्र ।

क्योंकि
चरित्र के बिना
होती है स्थिति
विचित्र इन्सान की ।

चरित्र के अभाव में
कोई भी नियम
कोई भी बिल
होता है शौचालय में रखे
इत्र के समान ।

आओ ! विकास करें
उत्तम चरित्र का
करें निर्माण

क्योंकि-बिना चरित्र के
संभव नहीं मिटाना
भ्रष्टाचार देश से ।

डॉ० सुरेश उजाला
108, तकरोही, पं० दीनदयाल पुरम मार्ग,
इंदिरा नगर, लखनऊ

दिलचस्प है जलेबी की कहानी

कौन है जिसके मुंह में पाशनी में डूबी मीठी-मीठी जलेबी का नाम सुनकर पानी न भर आता हो । दुनिया में लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी, इमरती, लवंगलता तथा रसक़दम जैसी तमाम तरह की मिठाइयां हैं मगर जो बात जलेबी में है, वह अन्य मिठाइयों में कहां ।

इस मिठाई का इतिहास बहुत प्राचीन है । यह मूलत: ईरान की मिठाई है । मुग़ल शासकों के भारत आगमन के उपरांत यह भारत में प्रचलित हुई तथा तब से लेकर आज तक यह मिष्ठान्न लोगों का लोकप्रिय बना हुआ है । मुहम्मद बिन हसन बग़दादी द्वारा लिखित एक पुस्तक में जलेबी के संबंध में उल्लेख मिलता है । इस प्रस्तक की रचना 13वीं शताब्दी में की गयी थी । उन दिनों ईरान में इस मिष्ठान्न को जिलेबिया के नाम से जाना जाता था । भारत में प्रचलित होने के उपरांत इसका नामकरण जलेबी पड़ा । पन्द्रहवीं शताब्दी में लिखित एक प्राचीन जैन ग्रंथ में भी जलेबी के संबंध में उल्लेख मिलता है । रघुनाथ कृत भोजन कुतूहल नामक ग्रंथ में भी जलेबी बनाने की विधि पर प्रकाश डाला गया है । आज न केवल भारत बल्कि अमेरिका तथा स्पेन तक में जलेबी लोकप्रिय मिष्ठान्न माना जाता है । हमारे देश में अनेक लोग दूध में भिगी हुई जलेबी खाने के शौक़ीन हैं तथा इसे ताक़त देने वाला व्यंजन माना जाता है । उत्तर प्रदेश में चोटलिया जलेबी बनाने तथा खाने का चलन है ।

● **विद्या प्रकाश**



ईटिंग डिसआर्डर

ईटिंग डिसऑर्डर एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति को अत्यधिक अथवा अत्यल्प भूख लगती है । यह मुख्य रूप से खानपान की गड़बड़ी से संबंधित समस्या है । यह सिर्फ़ अधिक खाने तथा बाहर खाने की आदत से ही संबंधित नहीं होता बल्कि शारीरिक वज़न कम करने के लिए सप्ताह में दो तीन दिन व्रत रखना भी ईटिंग डिसआर्डर का ही एक रूप है । मानसिक कारणों से ग्रस्त व्यक्ति ख़ुद को ख़ुश करने के लिए खाते हैं लेकिन दिमाग़ में नकारात्मक सोच तथा प्रभाव के चलते वे इस दौरान किसी आरोग्यप्रद पौष्टिक खाद्य तथा पेय पदार्थ को पसन्द नहीं करते बल्कि खाने के लिए सेहत को नुक़सान पहुंचाने वाले खाद्य पदार्थों का चुनाव करते हैं । जो एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक बीमारी है जिसमें रोगी को खाने से नफ़रत तथा अरुचि हो जाया करती है । ऐसे लोग दिमाग़ी तौर पर यह मानकर चलते हैं कि खाने से उनके वज़न में बढ़ोत्तरी हो जाएगी । अनेक स्थितियों में यह रोग जानलेवा साबित हो जाता है ।

ईटिंग डिसऑर्डर दो प्रकार का होता है पहला– बुलिमिया तथा दूसरा एनोरेक्सिया नर्वोसा । बुलिमिया में लोग तब तक खाते हैं जब तक कि उन्हें उल्टी न हो जाए । एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित व्यक्ति अपनी शारीरिक बनावट के प्रति अधिक चिंतित रहते हैं तथा इसलिए खाने से बचते और परहेज़ करते हैं । शरीर में रक्त, कैलोरी तथा पोषक तत्वों की कमी से रोग प्रतिशोधक क्षमता में गिरावट, सिर दर्द, स्मरण शक्ति की क्षीणता, वज़न बढ़ने के भय से अधिक व्यायाम करना, अनिद्रा, सबके सामने जाने से डरना, वज़न में गिरावट पेट में दर्द, जल्दी-जल्दी खाना वग़ैरह इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं ।

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से मुद्रित ।
फोन : 011-26949430, 09818799223
संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णत: प्रतिबंधित है ।

मुनअम पब्लिक स्कूल

(इंगलिश मिडियम, सी॰बी॰एस॰ई॰, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त)

महाराजगंज, पो॰ : दादपुर, ज़िला : हजारीबाग़ (झारखंड)

नामांकण सूचना–एल॰ के॰ जी॰ से कक्षा नवम् तक





इस्लामी नहज पर आधुनिक शिक्षा का पूर्वी भारत का एकमात्र विद्यालय जिसके छात्रों ने दसवीं एवं बारहवीं के बोर्ड परीक्षा में शानदार कामयाबी हासिल की।

उपलब्ध सहुलियतें

विशाल कैंपस, भव्य इमारतें, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग आरामदेह साफ़-सुथरे छात्रावास की व्यवस्था, साइंस एवं कंप्यूटर लैब, ज्ञानवर्धक किताबों से भरपूर पुस्तकालय, स्पोर्ट्स एवं पी॰टी॰ के लिए विशाल खेल मैदान, सभी विषयों के लिए अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की टीम, नमाज़ पंजगाना के लिए ख़ुबसूरत मस्जिद।

नामांकण फार्म मिलने की अंतिम तिथि–15 मार्च 2015

एस॰ एम॰ नईम	साद राशिद ख़ान नदवी	वकील अहमद
एम॰ए॰, बी॰एड॰ (अलीग॰)	फ़ाज़िल नदवा, लखनऊ	एम॰एस॰सी॰, बी॰एड
निदेशक	छात्रावास अधिक्षक	प्राचार्य

विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें–

मोबाइल : 09431530878 / 7739748279

वेबसाइट : munammission.org , ई-मेल : hmpt.mission@gmail.com

Posted on 20-21 April 2015
May 2015
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.04.2015

कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2015-2017
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2015-2017

Dr. Mrs. Naheed F Khan

MBBS, DGO, MS (Obs & Gyn)
Mb. : 9830031647
E-mail : drnfkhan@yahoo.co.in
drnfkhan22@gmail.com

RESIDENCE

52B, Shakespeare Sarani
Sukh Sadan, Flat 7-D
Kolkata - 700 017
Ph. : 22830333

C H A M B E R S

B. N. CLINIC
84/5, Ripon Street
Kolkata - 700016
Ph. : 22296057, 22296096
Tue, Fri, Sat : 4 pm - 8 pm
Thu : 11 am - 1 pm

BHAGIRATHI NEOTIA WOMAN & CHILD CARE CENTRE
2, Rawdon Street, Kolkata - 700017
Ph. : 4040510, 40405100
Mon : 8 am - 10 am
Wed : 7 pm - 9 pm

FORTIS MEDICAL CENTRE
2/7, Sarat Bose Road
Kolkata - 700020
Ph. : 24754320, 24754096
Tue : 11 am - 1 pm
Thu : 8 am - 10 am

DILKUSHA NURSING HOME
94 A, Dilkusha Street
Kolkata - 700017
Ph. : 22803639, 22874318
Wed : 11 am - 1 pm